लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी, हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 21, गुरुवार, 1 दिसम्बर, 1966/10 अग्रहायण, 1888 (शक)

No. 21, Thursday, December 1, 1966/Agrahayan 10, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — **Oral Answers to Questions**

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	S.Q Nos	Subject	पृष्ठ/Pages
601.	मैसर्स झुनझुन वाला एण्ड ब्रदर्स		M/s Jhunjhunwala and Bros.	2688
602.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी लोकुर समिति का प्रतिवेदन		Lokur Committee's Report on Scheduled Castes and Scheduled Tribes	2689
602-क.	हल्दिया पेट्रो-रसायन उद्योग समूह		Haldia Petro Chemicals complex	2693
603.	भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संघ		Indian Audit and Accounts Department Employees Association	2695
604.	नागार्जुनसागर बांध		Nagarjunasagar Dam	2699
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या		**Short Notice Question No.**		
4.	पाकिस्तान के राष्ट्रपति का लन्दन में वक्तव्य		Statement by the President of Pakistan in London	2702
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**Written Answers to Questions**		
तारांकित प्रश्न संख्या		**Starred Question Nos.**		
605.	पी० एल० 480 निधियां		P. L. 480 Funds	2706
606.	स्वर्ण नियंत्रण आदेश		Gold Control Order	2707
607.	आवास परियोजनाओं के लिये धन		Funds for Housing Projects	2707
608.	अस्पतालों में दवाइयों की कमी		Shortage of medicines in hospitals	2708
609.	अवैध स्रोतों से आयात		Imports through Illegal channels	2708
610.	ऐडवांस इंस्योरेंश कम्पनी		Advance Insurance Co.	2709

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक हैं कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
611.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवाकाल का बढ़ाया जाना	Extension of Employment in Public Undertakings		2709
612.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम का मूल्यांकन	Job Evaluation in Public Undertakings		2710
613.	अत्यावश्यक औषधियों संबंधी समिति	Committee on Essential Drugs		2710
615.	अधिकारियों द्वारा सरकारी उपक्रमों की नौकरियां छोड़ कर गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करना	Officers leaving public undertakings to join Private Companies		2711
616.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector undertakings		2711
617.	मद्रास में तूफान	Cyclone in Madras		2712
618.	अशिक्षित लोगों में बेरोजगारी	Unemployment among Uneducated classes		2712
619.	सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण	House Building Advances to Government Employees		2713
620.	एम० बी० बी० एस० डिग्री का संक्षिप्त पाठ्यक्रम	Abridged M. B. B. S. Degree Course		2713
621.	मैसर्स ईस्टर्न एजेंसी सिंडीकेट	M/s Eastern Agency Syndicate		2714
622.	पासी आदिमजाति का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में शामिल किया जाना	Inclusion of Pasi Tribe in lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes		2714
623.	कलकत्ता में हुंडियों का पकड़ा जाना	Seizure of Hundies in Calcutta		2715
624.	धन का लेन देन करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियां	Private Finance Companies		2715
625.	अमरीकी परियोजना सहायता	American Project Aid		2716
626.	टाइप 3 के क्वार्टरों का बाजार भाव किराया	Market rent for Type III Quarters		2717
627.	संतति निग्रह	Birth Control		2717
628.	सुनारों को रोजगार देना	Rehabilitation of Goldsmiths		2717
630.	सहकारी ऋण समितियां	Co-operative Credit Societies		2718
अतारांकित प्रश्न संख्या		**Unstarred Questions Nos.**		
2772.	स्वयंसेवी संस्थायें	Voluntary Organisations		2719
2773.	पीने के जल की कमी	Shortage of Drinking Water		2719
2774.	खाद्य अपमिश्रण	Food Adulteration		2719

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2775.	ऐलोपैथिक होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां बनाने के भेषजालय	Allopathic, Homeopathic and Unnani Manufacturing Pharmacies		2720
2776.	भारत में सरकारी सहायता होम्योपैथिक कालेज	Government aided Homeopathic Colleges in India		2720
2777.	सरकार द्वारा चलाये जा रहे होम्योपैथिक अस्पताल तथा कालेज	Homeopathic Hospitals and College run by Government		2720
2778.	आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा कालेज	Ayurvedic and Unnani Medical Colleges		2172
2779.	घाटे की अर्थव्यवस्था	Deficit Financing		2721
2780.	मंत्रियों तथा अधिकारियों के निवास स्थानों में किये गये परिवर्तन तथा परिवर्द्धन	Additions and Alterations in Ministers' and Officers' Residences		2722
2782.	नेताओं की मूर्तियां	Statues of Leaders		2722
2783.	औषधीय पौधों सम्बन्धी योजना	Medicinal Plants Scheme		2722
2784.	लहरिया सराय में ऊन के व्यापारियों से सोना बरामद किया जाना	Gold recovered from Wool Traders in Laheriasarai		2723
2785.	विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violations		2723
2786.	महाराष्ट्र में मोहोल गांव के लिये जल संभरण योजना	Water Supply Scheme for Mohol Village in Maharashtra		2724
2787.	केरल राज्य के अस्पतालों के कर्मचारी	Hospital Employees of Kerala State		2724
2788.	विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले लोगों का गिरोह	Poreign Exchange Racket		2725
2789.	स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध करापवंचन के आरोप	Tax evasion charges against the late Dr. T. Saifuddin		2725
2790.	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष	Chairman, Central Board of Direct Taxes		2725
2791.	श्री हरि दास मूंदड़ा के विरुद्ध मामले	Cases against Shri Hari Dass Mundhra		2726
2792.	विदेशों से ऋण	Loans from Abroad		2727
2793.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर	M/s Oriental Timber Trading Corporation		

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
	ट्रेडिंग कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड	and M/s Makenzies Ltd.		2727
2794.	मैसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	M/s Oriental Timber Trading Corporation		2728
2795.	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये मकान	Houses for Life Insurance Corporation Employees		2729
2796.	मैसर्स टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (टेक्समर्माक)	Texmaco		2729
2797.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जेट्टियों तथा बन्दर गाहों का निर्माण	Construction of Jetties and Harbours in Andaman & Nicobar Islands		2729
2798.	अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर मांगना	Tenders called for by Andaman P. W. D.		2730
2799.	अंदमान लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के प्रावकलनों से अधिक राशि खर्च होना	Excessover Estimates of Works executed by Andaman PWD		2730
2800.	बम्बई में पकड़ी गई घड़ियां	Watches Seized in Bombay		2731
2801.	राज्यों में कृषि के लिये बिजली का कोटा	Power Quota for agriculture in States		2731
2802.	दामोदर घाटी निगम	Damodar Valley Corporation		2732
2803:	दामोदर घांटी निगम के जलाशयों में पानी की कमी	Shortage of Water in DVC Reservoirs		2733
2804.	दिल्ली में अन्धीकृत बस्तियां	Unauthorised Colonies in Delhi		2734
2805.	दिल्ली में फेरी वालों के लिये श्रमिक शिविर तथा बाजार	Labour Camps and Markets for vendors in Delhi		2734
2806.	नेपाल में त्रिशूली पनबिजली परियोजना	Trisuli Hydel Projects in Nepal		2735
2807.	कृषि पर व्यय की गई विदेशों से प्राप्त सहायता	Aid from Abroad Spent on Agriculture		2735
2808.	ग्राम्य जल संभरण योजना सम्बन्धी बोर्ड	Board for Rural Water Supply Scheme		2736
2809.	एशियाई विकास बैंक (एशियन डिवेलपमेंट बैंक)	Asian Development Bank		2737

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2810.	राजकोषीय वर्ष को बदलना	Change of Fiscal Year		2737
2811.	उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री को उनके जन्म दिवस पर थैली की भेंट	Birthday Purse to the former Chief Minister of U. P.		2737
2812.	पेंशनरों की सहायता	Relief to Pensioners		2738
2813.	जीवन बीमा निगम के लिये दिल्ली में भूमि	Land in Delhi for L. I. C.		2738
2814.	दिल्ली में नई बस्तियों के नक्शे	Lay out plan of New Colonies in Delhi		2739
2815.	अलीगढ़ के सरकारी मुद्रणालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Officers of Government Press, Aligarh		2740
2816.	दवाइयों तथा औषधियों के निर्माता	Drugs and Pharmaceutical Manufacturers		2740
2817.	केन्द्रीय सरकार द्वारा गंडक परियोजना को अपने अधीन लिया जाना	Taking over of Gandak Project		2741
2818.	भारत में आयकर दाता	Incom Tax Payers in India		2741
2819.	अधिकारियों को दिये गये भत्ते	Allowances Paid to Officers		2741
2820.	कर्मचारी निरीक्षण एकक	Staff Inspection Units		2742
2821.	सरकारी कर्मचारियों को मोटर कार स्कूटर आदि खरीदने के लिये ऋण	Conveyance Advance to Government Employees		2742
2823.	रेडियो सेटों का चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Radio Sets		2743
2824.	जीवन बीमा निगम में बिजली के चलने वाले संगणक (इलैक्ट्रानिक (कम्प्युटर)	Electronic Computors in L. I. C.		2743
2825.	प्रसूति बाल कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्र	Maternity Child Welfare and Family Planning Centres		2744
2826.	डा० बी० के० आर० वी० राव का ब्रिटेन का दौरा	Dr. V. K. R. V. Rao's visit to U. K.		2744
2827.	दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की एक बोतल में मच्छरों तथा कीड़ों का पाया जाना	Mosquitoes and Insects found in a DMS Milk Bottle		2745
2828.	उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Officers in U. P.		2745

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2829.	मद्रास में सूखी भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of dry lands in Madras		2746
2830.	भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति	Central Advisory Committee on Land Reforms		2746
2831.	कागज बनाने के कारखाने	Paper Factories		2746
2832.	चौथी पंचवर्षीय योजना	Fourth Five Year Plan		2747
2833.	उड़ीसा को सहायता	Aid to Orissa		2747
2834.	आसाम में बाढ़ नियंत्रण	Flood Control in Assam		2747
2835.	प्रजनन शक्ति नियंत्रण	Fertility Control		2748
2836.	श्री लंका में कंकेसंतुरल को चोरी छिपे कपड़ा ले जाने वाली मशीन से चलने वाली किश्ती	Mechanised Boat carrying smuggled Textiles at Kankesantural in Ceylon		2748
2837.	रामगुण्डम ताप बिजली संयंत्र के लिये उपकरण	Equipment for Ramgundam Thermal Plant		2748
2838.	बाल कल्याण के लिये प्रायोगिक परियोजना	Pilot Project for Child Welfare		2749
2839.	बदरपुर में अन्तर्राष्ट्रीय बाल ग्राम	International Village for Children at Badarpur		2749
2840.	पांच पैसे के नये सिक्के	New Five Paise Coins		2749
2841.	आदिम जातीय लोगों को शिक्षा की सुविधाएं	Educational Facilities to Tribal People		2750
2842.	चीन और पाकिस्तान को फैजाबाद से भारतीय सामान का चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Indian goods to China and and Pakistan from Faizabad		2750
2843.	केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में अधिकारियों की पदावनति	Reversion of Officers in CWPC		2751
2844.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पर्यवेक्षण कर्मचारी	State Bank of India Supervisory Staff		2752
2845.	लेडी हार्डिंग कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस	Strike Notice by Lady Hardings Employees Union		2735
2846.	सीमा शुल्क विभाग के मूल्यांक तथा निरीक्षक	Appraisers and Examiners of Customs Department		2753
2847.	केरल राज्य बिजली बोर्ड	Kerala State Electricity Board		2754

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
2848.	आसाम में उद्योगों के लिये ऋण की व्यवस्था	Credit Facilities for Industries in Assam		2755
2849.	नई दिल्ली स्थित वैस्टर्न कोर्ट ओस्टल से पानी गर्म करने के उपकरणों (गीजर) का लगाया जाना	Installation of Geysers in Western Court Hostel, New Delhi		2755
2850.	आर्थिक कार्य विभाग के सहायक	Assistants in Economic Affairs Department		2756
2851.	कार्यालयों में हिन्दी में काम-काज	Office work in Hindi		2756
2852.	कर्मचारी निरीक्षण एकक के कार्य	Functions of Staff Inspection Unit		2757
2853.	कर्मचारी निरीक्षण एकक	Staff Inspection Unit		2757
2854.	आर्थिक कार्य विभाग में अनुवादकों का कार्य भार	Load of work for Translators iu Department of Economic Affairs		2758
2855.	मैसूर की गृह-निर्माण योजनायें	Housing Plans for Mysore		2758
2856.	जोधपुर में हरिजनों को गृह-निर्माण योजनायें	Housing Loan to Harijans in Jodhpur		2759
2857.	सरकारी बचत बैंक	Government Savings Bank		2759
2858.	नागपुर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद से सम्बन्धित मामले	Affairs of Sriram Durga Prasad of Nagpur		2760
2859.	भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली में भ्रष्टाचार	Corruption in Land and Development office Delhi		2760
2860.	भूमि तथा विकास कार्यालय नई दिल्ली	Land and Development office, New Delhi		2761
2861.	नई दिल्ली में नई इमारतों के निर्माण के मामलों में नई दिल्ली नगरपालिका के मुकाबले में भूमि और विकास कार्यालय के काम	Functions of land and development office vis a vis N. D. M. C. in Matters of New Constructions in New Delhi		2762
2862.	नजूल भूमि को पट्टे पर देना	Lease of Nazul Land		2763
2863.	दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम के अभियन्ता	Engineers in DESU		2764
2864.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	Ranjit Hotel, New Delhi		2764

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	S.Q. No.	Subject	पृष्ठ/Pages
2865.	हिंडोन में सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था	Accommodation for Government Employees at Hindon		2765
2866.	आगरा छावनी स्टेशन पर यात्रियों से पकड़ा गया सोना	Gold recovered from passengers at Agra Cantonment Station		2765
2867.	मैसूर में आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद सोने की खानों का बन्द किया जाना	Closure of Unremunerative Gold Mines in Mysore		2765
2868.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का स्थानांतरण	Transfer of C. H. S. Doctors		2766
2869.	कम आय वर्ग गृह निर्माण योजना	Low Income Group Housing Scheme		2767
2870.	दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में प्रयोगशाला तकनीशीन (लेबोरेटरी टैक्निशियन)	Laboratory Technicians in Government Hospitals in Delhi		2767
2871.	नई दिल्ली के विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पतालों के प्रयोगशाला तकनीशनों के के वेतन क्रम	Pay scales of laboratory technicians in Willingdon and Safdarjang Hospitals New Delhi		2768
2872.	सफदरजंग अस्पताल से तकनीकी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for Technical Staff of Safdarjang Hospital		2769
2873.	विलिंगडन अस्पताल के तकनी की कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Technical Staff employed in Willingdon Hospital		2769
2874.	सफदरजंग अस्पाल में प्रयोगशाला तकनीशनों की नियुक्ति	Appointment of Laboratory Technicians in Safdarjang Hospital		2770
2875.	मैसूर की बिजली सम्बन्धी आवश्यकतायें	Requirements of Power in Mysore		2771
2876.	गुरु नानक कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली	Guru Nanak Cooperative House Building Society Ltd., New Delhi		2771
2876-क.	कारो नदी के जल का दूषित हो जाना	Pollution of Karo River Water		2772

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	U.S.Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना		Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance	2772
(1)	डिफु, में मिकिर आदिम जाति के सशस्त्र, लोगों द्वारा धावा	(i)	Raid by armed Mikir Tribals at Diphu	2772
	श्री नाथपाई		Shri Nathpai	2773
	श्री यशवन्तराव चव्हाण		Shri Y. B. Chavan	2774
(2)	केरल में सरकारी सेवा में इंजीनियरों की प्रस्तावित हड़ताल	(ii)	Proposed strike by Government Engineers in Kerala	2813—15
	श्री अ० व० राघवन		Shri A. V. Raghavan	2813
	श्री पू० शे० नास्कर		Shri P. S. Nasker	2813—14
	ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे मे (प्रश्न)		Re. Calling Attention Notice and Motion for Adjournment (Querries)	2776
	सदस्यों द्वारा त्यागपत्र		Resignation by Members	2777
	सभा पटल पर रखे गये पत्र		Papers Laid on the Table	2778
	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति कार्यवाही सारांश		Committee on absence of Members from sittings of the House Minutes	2788
	राज्य सभा से संदेश		Message from Rajya Sabha	2789
	विशेषाधिकार समिति बारहवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन		Committee of Privileges Twelvth and Thirteenth Reports	2789
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—सौवां प्रतिवेदन		Committee on Private Members Bill and Resolutions : Hundredth Report	2789
	प्राक्कलन समिति एक सौ दसवां प्रतिवेदन		Estimates Committee : Hundred and tenth Report	2789
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति चौंतीसवां प्रतिवेदन		Committee on Public Undertakings Thirty-fourth Report	2789
	विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में याचिका		Petition Re. Nationalisation of foreign Oil Companies	2790
	उपनगरीय रेल गाड़ियों में खतरे की जजीरों के निष्क्रय करने के बारे में वक्तव्य		Statement Re. Blanking off of Alarm Chains in Suburban trains	2790
	डा० राम सुभगसिंह		Dr. Ram Subhag Singh	2790

तारांकित प्रश्न संख्या विषय	U.S.Q. Nos. Subject	पृष्ठ/Pages
सभा का कार्य	Business of the House	2790
सैनिक समाचार के पत्रकारों के अध्यावेदन के बारे में गोआ	Re. Representation from Journalists of Sainik Samachar	2791
दमण और दीव (अभिमत संग्रह) विधेयक	Goa, Daman and Diu (Opinion Poll) Bill	2792
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	2792
श्री अल्वारेस	Shri Alvares	2792
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya	2793—94
श्री नारायण दडिकर	Shri N. Dandeker	2794—96
श्री हरिचन्द्र माथुर	Shri Harish chandra Mathur	2796
श्री किंशकरे	Shri Shinkre	2797—98
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulsidas Jadhav	2798
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	2798—99
श्री वासप्पा	Shri Basappa	2799
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	2800—01
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	2801
श्री बड़े	Shri Bade	2801
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kirpalani	2801—2
श्री रा० गी दुबे	Shri R. G. Dubey	2802
श्री हुमायूं कबीर	Shri Humayun Kabir	2802—3
श्री जोकीम अल्वा	Shri Joachim Alva	2803
श्री शिवमूर्ति स्वामी	Shri Sivamurthi Swamy	2803
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai	2803
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	2804
खण्ड 2 से 34 तथा 1	Clauses 2 to 34 and 1	2821
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	2821
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	2821
श्री बड़े	Shri Bade	2821
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	2821
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	2821
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya	2821
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi	2821
ऋषि राज ब्रह्मचारी की मृत्यु के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Death of Rishi Raj Brahmachari	2815—17
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	2815

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल द्वारा बर्मा से लाये गये चावल की कम सप्लाई के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Re. Shipping of rice supplies from Burma by Messrs. Aminchand Pyarelal Half an hour Discussion	2817—19
डा० राममनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia	2817—18
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govind Menon	2819

लोक–सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 1 दिसम्बर 1966/10 अग्रहायण, 1888 (शक)
Thursday, December 1, 1966 Agrahayan 10, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए / Mr. Speaker in the Chair]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

M/s. Jhunjhunwala and Bros.

*** 681. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri S. L. Verma : Shri Raghunath Singh :**

Will the Minister of Finanace be pleased to state :

(a) whether it is a fact that M/s. Jhunjhunwala and Bros., Bombay took huge loan from the United Commercial Bank in 1962-63 and 1963-64 by wrongly claiming the stocks of M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., Bombay as their own; and

(b) if so, action taken in the matter ?

The Minister in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat) :

(a) and (b) : According to Government's information M/s. Jhunjhunwala & Bros., Bombay had taken certain loans in 1962-63 and 1963-64 from the United Commercial Bank.

Government have, however, no information as to whether these loans were obtained by wrongly claiming the stocks of M/s, Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. as their own. This will be considered in the conrse of assessment for tax.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Is it fact that when fire broke out in the joint godown of M/s Jhunjhunwala and Bros. and M/s Oriental Timber Trading Corporation Limited on 1. 5. 64 and M/s Jhunjhunwala and Bros. put up their claim for goods worth about Rs. 4,20,000 on the bases of which they had taken loan from Bank of India, the surveyor of the company M/s C. P. Mehta and Company wanted to have the proof of ownership from them ? M/s Jhunjhunwala and Bros. could not not give any proof of that and stated that those goods were pledged with them by M/s Oriental Timber Tra-

ding Corporation. This fact has been stated by M/s C. P. Mehta and Company in their report. Have Government investigated into all these matters ?

Mr. Speaker : He says that they have shown the assets of some other Company.

Shri B. R. Bhagat : The hon. Member has stated that they took loan from the Bank of India. This is a separate question and I require notice for this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, they have not been able to give proof of these goods.

Mr. Speaker : He says that he does not have the information about this.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The information regarding the ownership of the said goods can be obtained from M/s Oriental Timber Trading Corporation.

Shri B. R. Bhagat : I do not have this information at the moment. If the hon. Members gives notice. I will give this information after making investigations.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि मैसर्स झुनझुन वाला एण्ड ब्रदर्स ने विदेशों से मशीने खरीदने के लिये 15 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा मंजूरी ले ली थी। परन्तु इस फर्म ने 7 लाख रुपये की मशीने मंगवाई और शेष धन जर्मनी के एक बैंक में जमा करा लिया।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता।

Shri Shinkre : The hon. Ministers stated in his reply that some loan was given to them. What was the amount of the loan and who stood surety for that ?

Shri B. R. Bhagat : This matter is between the Bank and its claimant. The details relating to the amount of loan, its terms and name of the surety cannot be published under Section 28 of the Bank Regulations Act.

Shri Bade : C. B. I. had reported that Jhunjhunwala firm had stated that the Oriental Corporation had manufactured goods of the value of Rs. 19, 11,000. C. B. I. passed on the whole matter to the C. I. D. of Maharashtra for further investigation. Have M/s Jhunjhunwala and Bros. given any information to the Government regarding the value of goods manufactured by Oriental Timber Trading Corporation ?

Shri B. R. Bhagat : I cannot fell off hand as to what amount was mentioned in this report. Some complaints have, however been received to the effect that there was discrepancy between the amount of stock shown and the amount of stock on which loan had been obtained. If it is so, we shall see to it at the time of levying the tax.

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों संबंधी लोकुर समिति का प्रतिवेदन

+

***602. श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दिगे :
श्री बिभूति मिश्र :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगस :
श्री मुहमद कोया :
श्री दे० शि० पाटिल :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोकुर समिति की सिफारिशे स्वीकार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इनका अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों पर क्या प्रभाव देना पड़ेगा; और

(ग) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित गैर-सरकारी संस्थाओं ने इस प्रतिवेदन को स्वीकार कर लिया है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) तथा (ख) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि लोकुर समिति की रिपोर्ट किसी गैर-सरकारी संस्था को स्वीकृति के लिये नहीं भेजी गई थी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों संबंधित इस सभा के सदस्यों में लोकुर समिति का प्रतिवेदन बांटा गया था और यदि हां, तो उनके साथ कोई बैठक की गई थी और उन सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया थी।

श्रीमती चन्द्र शेखर : इन समुदायों से सम्बन्धित इस सभा के सदस्यों को प्रतिवेदन की प्रतियां दी गई थीं और 9 और 10 दिसम्बर, 1964 को दो बैठकें हुई थीं। उन दो बैठकों में सदस्यों ने इच्छा प्रकट की उन्हें प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये और समय चाहिये। उसके बाद फरवरी और मार्च के महीनों में हमने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों से सम्बन्धित संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की बैठकें बुलाई और वहां पर सूचियों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में उनकी और सरकार की लगभग एक राय थी।

श्री स० मो० बनर्जी : चूंकि चुनाव करीब आ रहे हैं और इन समुदायों के लोगों को चुनाव लड़ने हैं और मत भी देने हैं। क्या इस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिये जाने से पूर्व सरकार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति के नाम को सूची से नहीं निकालेगी और उनको अब तक की तरह चुनाव में भाग लेने देगी ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : मतदाताओं के रूप में उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अभी सूची से किसी नाम को नहीं निकाला जा रहा है। जहां तक पुनरीक्षण के सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने बताया, यह अभी विचाराधीन है।

श्री विभूति मिश्र : यह प्रतिवेदन काफी पहले प्रकाशित किया गया था और सभी सदस्यों ने इस प्रतिवेदन को पढ़ लिया है। कुछ अनुसूचित जातियों के स्थान को ऊंचा उठाना है परन्तु राजनीतिक खिंचाव के कारण सरकार ने इस प्रतिवेदन को एक ओर उठा कर रख दिया है। यदि यह सत्य है तो सरकार का इस समय क्या इरादा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : पहले तो यह कि प्रतिवेदन को एक ओर नहीं रखा गया है। दूसरे, हमें विभिन्न जातियों का विस्तृत अध्ययन करना है। कुछ तो बहुत कम हैं और कुछ देश के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं और यह ऐसा काम है जिसको पूर्ण रूप से और सभी सम्बन्धित लोगों को संतुष्ट करके करना है। अतः हम इसपर सक्रिय रूप से विचार कर रहें हैं।

Shri K. N. Tiwari: May I know the reasons for not circulating this report to the Organisations belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and whether it is a fact that organisation of these Communities have sent a representation to the Government expressing their disagreement to the report ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : यह उन प्रतिवेदनों में से एक है जिनपर कि हमारा अन्तिम निर्णय आधारित होगा । हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज़ है और यह प्रतिवेदन उनमें से एक है ।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या इस समिति की सिफारिशों के क्रियान्वित किये जाने से अनुसूचित जातियों के लिये रक्षित स्थानो की संख्या कम हो जायेगी और यदि हां तो किस हद तक ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : क्रियान्विति का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि हम जिन प्रतिवेदनों पर विचार कर रहे हैं यह उनमें से एक है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस लोकुर समिति द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उनके परिणाम स्वरूप क्या जटिलताएं पैदा हुई हैं जोकि सरकार द्वारा निर्णय करने में इतने समय से बाधक सिद्ध हो रही हैं ?

श्रीमती चन्द्र शेखर : जैसा कि माननीय मंत्री ने पहले बताया यह एक बहुत ही नाजुक विषय है यदि हम जल्दबाजी में सूची में से किन्हीं नामों को निकाल देंगे या और नये नाम उसमें रख देंगे तो हो सकता है इससे कुछ समुदायों का अहित हो जाये । अतः निर्णय करने में समय लग रहा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को पता है कि इस विलम्ब के कारण बहुत सी आदिम जातियों को, जिनका नाम अनुसूची में होना चाहिए था, हानि पहुंच रही है जबकि उनका इसमें कोई दोष नहीं है । इस प्रतिवेदन के आधार पर जिन खण्डों की स्वीकृति दी गई थी उनको समाप्त कर दिया गया है क्योंकि उनको अनुसूची में शामिल नहीं किया जा सका था । यदि ऐसा है, तो कम से कम अनुसूची से नाम निकालने में तो देर की जा सकती है परन्तु अनुसूची में नये नाम रखने का काम तुरन्त किया जाना चाहिये । क्या माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे और ऐसा करेंगे ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : इस प्रतिवेदन के आधार पर ऐसे कोई खण्ड नियत नहीं किये गये थे । मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि कुछ ऐसी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को हानि पहुंच रही है जिनके नाम अब तक अनुसूची में नहीं रखे गये है और जिसके लिये हम शीघ्र कदम उठा रहे हैं ।

श्री कपूर सिंह : क्या अनुसूची में कुछ नये नाम रखने का भी प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री अशोक मेहता : अनुसूची में नये नाम जोड़ने और पुराने नामों में से कुछ को निकालने के काम को थोड़ा थोड़ा करके नहीं किया जा सकता । इसके लिये हमें संसद में एक व्यापक विधान लाना होगा और उसमें यो दोनों चीजें की जायेंगी ।

Shri Vishwanath Pandey: Would the State Governments also be consulted before a final decision is taken on the recommendations of the labour Committee ?

कुछ माननीय सदस्य : उनकी राय ली गई है ।

Shri Vishram Prasad: By what time shall we be able to get the revised list ?

श्री अशोक मेहता : जैसा कि बार बार बताया गया है, हमें राज्य सरकारों का परामर्श लेना था । तब हमने देखा कि कुछ ऐसी जातियां थीं जिसके सम्बन्ध में गहरा मतभेद था । एक

विशिष्ट मासले में, उदाहरणार्थ, उस राज्य के संसद सदस्यों में ही गहरा मतभेद था, फिर उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों में गहरा मतभेद था ; फिर राज्य सरकार और संसद सदस्यों में गहरा मतभेद था ऐसे मामलों में हमने निरपक्ष रूप से सही तथ्यों के पता लगाने का प्रयत्न किया है ताकि किसी के साथ भी अन्याय न हो ।

जैसा कि पहले बताया गया है हमारे काम को लगभग अन्तिम रूप दिया जा चुका है और अगले सत्र में विधेयक लाया जायेगा ।

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या लोकुर समिति, जिसने कुछ समुदायों के नाम सूची से निकालने की सिफारिश की है, ने किसी निश्चित कसौटी का पालन किया है और क्या किसी समुदाय ने शिक्षा और आर्थिक स्तरों के मामले में समूचे तौर पर लाभ उठाया है यह पता लगाने के लिये उस समिति को कोई माप दन्ड दिया गया गया था ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : उस समिति में तीन सदस्य थे । उन्होंने देश के सभी भागों का दौरा किया और वे कई विभिन्न संस्थाओं और उन समुदायों के प्रमुख सदस्यों से मिले और तब उन्होंने अपने निष्कर्ष निकाले हैं । उनकी राय को पालन करने के लिये हम किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है ।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि लोकुर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की जनसख्या अनुपात में बढ़ जायेगी और जनसंख्या की इस वृद्धि का निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर असर पड़ेगा और क्या इस कारण ही प्रतिवेदन की क्रियान्विति में विलम्ब किया गया है और सरकार इतना समय ले रही है ? यह कहां तक सच है ?

श्री मती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य का निष्कर्ष सही नहीं है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Ths Hon. Minister stated that opinion of certain Members of Parliament was taken on this matter and that there was sharp difference of opinion among them. What specific steps have been taken to resolve this difference ? The Hon. Minister also stated that some information has to be collected from the State Governments. How much time will be taken in obtaining this information from the State Governments. For the attention of the Government been drawn to that part of the report in which it has been stated that certain Communitles have been treated as scheduled castes in one District and not in the other, i. e. They have been given some chances to contest the election in the former case. What steps have been taken by Government to remove this anomaly ?

श्री मती चन्द्रशेखर : माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध क्षेत्र सम्बन्धी प्रतिबन्ध से है । व्यापक विधान को लेते समय इस पहलू पर भी विचार किया जायेगा । जब संसद सदस्यों की बैठक हुई तो अधिक मतभेद नहीं था और वे लगभग सभी प्रश्नों पर सहमत हो गये, परन्तु उसके बाद भी, जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है, कुछ मतभेद थे ; यदि संसद सदस्य सहमत हो गये तो राज्य सरकारें सहमत नहीं हुई और यदि राज्य सरकारें सहमत हो गईं तो संसद सदस्य सहमत नहीं हुए । अतः कुछ प्रश्न थे जिनका हमें स्पष्टीकरण चाहिये था । अतः हम स्पष्टीकरण के लिये राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को लिखते रहे हैं । इसके अतिरिक्त हमने स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिये विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों जैसे स्वतन्त्र निकायों से सहायता मांगी है ।

Shri Sheo Narain : May I know whether any Hrijan was appointed to the Labour Committee or not and secondly, how many M. Ps and M. L. As were examined by the Labour Committee ? Is it a fact that the Members who met you on 24th December and later in February, held an opinion contrary to the Labour Committee report ?

श्रीमती चन्द्रशेखर : निःसंदेह लोकुर समिति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कोई सदस्य नहीं था। परन्तु जब सदस्यों ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया तो वे इन समुदाय के सदस्यों से मिले थे और उन्होंने जिन-जिन संस्थाओं से और लोगों से चर्चा की इसका ब्यौरा प्रतिवेदन मे दिया गया है जो कि माननीय सदस्यों को पहले दिया जा चुका है।

हल्दिया पेट्रो-रसायन उद्योग-समूह

+

*602-क **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री बृजवाही लाल :
श्री राम स्वरूप :
श्री बालगोविन्द वर्मा :
श्री ब० कु० दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ब्रज बिहारी मेहरोत्रा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हल्दिया में एक तेल शोधन कारखाना, लुब्रीकेटिंग आयल प्लांट तथा एक रासायनिक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में फ्रांस से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि फ्रांस की सरकार ने हल्दिया पेट्रो-रसायन परियाजना के लिये एक पुराने ऋण का इस्तेमाल किये जाने की अनुमति दे दी है ; और

(ग) क्या केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अपनी हाल की फ्रांस यात्रा के दौरान प्रस्तावित परियोजना के लिय धन की व्यवस्था करने के लिये ऋण की नवीन मंजूरी देने का प्रश्न उठाया था ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) फ्रांस की कई फर्मों ने तेल शोधन कारखाने तथा लुब्रीकेटिंग आयल प्लांट (रिफाइनरी-कम-ल्यूब-प्लांट) के लिए अपने अपने प्रस्ताव भेजे हैं।

(ख) इस प्रकार के किसी पेट्रो-रसायन परियोजना के बारे में कोई भी चर्चा नहीं हुई है। तथापि तेल शोधन कारखाने के लिये वित्त-व्यवस्था का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

(ग) जी हां, केवल तेल शोधन कारखाने तथा लुब्रीकेटिंग प्लांट के सम्बन्ध में।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : लगभग 350 लाख डालर की विदेशी मुद्रा खर्च होगी।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या देशी उर्वरक का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार विदेशी सहयोग का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहती है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जी, हां। यह किया जा रहा है।

श्री ब० कु० दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह बातचीत बहुत लम्बे समय से चल रही है, क्या सरकार इस परियोजना के वित्त-घोषणा के लिये किसी अन्य संसाधन को भी खोज रही है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे मालूम नहीं कि यह बातचीत बहुत लम्बे समय से चल रही है। परन्तु मैं यह जानता हूं कि मैं फ्रांस हाल ही में गया था और उसके बाद में ही इस सम्बन्ध में बातचीत शुरू हुई हैं।

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether Govt, are trying to have financial assistance for this Haldia Petro-Chemical Project from any country other than France ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसा मैंने पहले बताया है कि फ्रांस के साथ इस सम्बन्ध में वार्ता अभी जारी है, और किसी अन्य देश से वार्ता शुरू करने का प्रश्न तभी उठेगा जबकि चालू बात चीत पूरी हो जायेंगी या असफल हो जायेंगी।

श्री हेम बरुआ : वित्त मंत्री ने यह कहा है कि हम देशी उर्वरकों के उत्पादन में हम आत्म निर्भर होने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इसके लिये भी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी इस कार्य के लिये सरकार कहां से विदेशी मुद्रा लेने का प्रयास कर रही है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस कार्य के लिए पहले हम देशी संसाधनों का प्रयोग करेंगे और कुछ विदेशी मुद्रा भी इस पर खर्च की जा सकेगी और इसके लिये भी विदेशी मुद्रा की व्यवस्था उन्हीं देशों से की जायेगी जिनसे विदेशी सामग्री आती है।

श्री भागवत झा आजाद : मैं सरकार की उर्वरक सम्बन्धी नवीनतम नीति की सराहना करता हूं और साथ ही यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मार्च, 1967 की अवधि में कोई परिवर्तन किया जायेगा जैसा कि अमेरीका वालों का विचार है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : हम अपनी नीति केवल बना ही सकते हैं। यह स्पष्ट कर दिया गया था कि अन्तिम तारीख 31 मार्च, 1967 है परन्तु साथ में यह भी व्यवस्था रखी गयी थी कि यदि कोई प्रस्ताव इससे पहले आयेगा तो उस पर इस तारीख से बाद में भी विचार किया जायेगा परन्तु इससे बाद में कोई नये प्रस्ताव नहीं मांगे जायेंगे।

Shri Madhu Limaye : Sulphur is required for fertilizer plant which is being imported through the State Trading Corporation. For this purpose 3,60,000 tons of sulphur is required, but for it State Trading Corporation has entered into an agreement with a firm which produces female shoes. May I know whether Govt. have conducted any inquiry into it ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : प्रश्न तो तेल-शोधन कारखाने के सम्बन्ध में फ्रांस से बातचीत करने का था। इससे बाद उर्वरक के सम्बन्ध में प्रश्न नहीं किया गया और अब राज्य व्यापार निगम के बारे में प्रश्न उठाया गया है। इनके लिये पृथक सूचना की आवश्यकता है।

श्रीमती सावित्री निगम : इन बातचीतों के दौरान किन किन विषयों पर बातचीत की जा रही है। क्या फ्रांस से पुराने ऋण को इन परियोजनाओं के लिये प्रयोग करने या उनके लिये नया ऋण लेने के बारे में बातचीत की जा रही है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस सम्बन्ध में बातचीत चल रही हैं। इस समय उस सम्बन्ध में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं है। इस प्रकार के सुझाव भी दिये जा रहे हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि फ्रांस हमें उचित शर्तों पर विदेशी मुद्रा की मदद दे।

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखाविभाग के कर्मचारियों का संघ

+

* **603. श्री मधु लिमये :** **श्री किशन पटनायक :**

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 779 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा-परीक्षण तथा लेखा विभाग के कर्मचारी संघ को वस्तुतः/विधि सम्मत मान्यता प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में देरी होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारी संघों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित पुराने और नये नियम सभा पटल पर रखने का है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) सेवा संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में इस समय कोई प्रभावी नियम नहीं हैं, इसलिए विधि सम्मत (डि ज्योर) मान्यता देने का सवाल ही नहीं उठता । फिर भी संघों को वस्तुतः (डि-फेक्टो) मान्यता देने के प्रश्न पर भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा कार्यवाही की जा रही है । इस प्रयोजन के लिए, अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखापरीक्षा नया लेखासंघ ने जिन कर्मचारी संघों के बारे में यह दावा किया था कि वे उससे सम्बन्धित है उनके सदस्यों की जो सूचियां उक्त संघ से 16 नवम्बर, 1966 तक प्राप्त हुई थी उनकी जांच सम्बन्धित कार्यालयों के अध्यक्षों द्वारा यह इतमिनान करने के लिए की जा रही है उक्त संघ कर्मचारी-वर्गो का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है वे उन सूचियों में पर्याप्त संख्या में हैं अथवा नहीं ।

(ग) सरकारी कर्मचारियों के संघों को मान्यता देने के सम्बन्ध में पुराने नियमों की एक प्रति सदन की मेज पर रखी जाती है । केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों/संस्थाओं को मान्यता देने के लिए संशोधित नियय बनाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाना चाहिए । इसके एक एक सेकिंड का उपयोग प्रश्नों के पूछने में किया जाना चाहिए ।

श्री स० मो० बनर्जी : श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के प्रश्न के उत्तर में उप-मंत्री श्री ल० ना० मिश्र ने बताया था कि वस्तुतः मान्यता सभी उद्देश्यों के लिये दे दी गयी है, जबकि आज मंत्री महोदय ने यह उल्लेख किया है कि वस्तुतः मान्यता देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । ये दोनों वक्तव्य परस्पर विरोधी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । किस नियम का उल्लंघन हुआ है ।

Shri Madhu Limaye On 9th March 1966, the Finance Minister assured that if the employees of Auditor General's office will de novo elect the office-bearers of their association, the recognition will be accorded to the same. This condition was fulfilled. Now there is a new condition, which is regarding the varification of membership. May I seek the clarification in this matter ? By when the recognition will be given to them ? Is there any guarantee that no further condition will be imposed thereon ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : स्थिति यह है । वस्तुतः मान्यता देने के लिये यह आवश्यक है कि संघ में इन कर्मचारियों के कम से कम 15 प्रतिशत कर्मचारी अवश्य होने चाहिये जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है । संघ ने सम्बद्ध संघों के सदस्यों की अन्तिम सूचि 16 नवम्बर 1966 को दी थी । हमें उसकी जांच करनी है और जांच समाप्त होते ही विधि-सम्मत मान्यता दे दी जायेगी । इसी समय मैं यह कह सकता हूं कि इस संघ को महंगाई भत्ते आयोग की बैठकों के लिये भी नियंत्रित किया गया था तो यह कहना कि उनकी अवहेलना की गई है, उचित नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : परन्तु उप-मंत्री ने ऐसा क्यों कहा था कि मान्यता दी जाने वाली है या यह मान्यता दे दी गयी हैं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि उन्होंने शायद यह सोचा होगा कि सदस्यों की सूची आ चुकी है और सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी की जा चुकी है । यदि स्वयं संघ ने यह सूची 16 नवम्बर से पहले नहीं भेजी तो इसमें हमारा क्या दोष है ?

Shri Madhu Limaye : I want to raise a Point of Order. He placed rules of 1959, as amended upto 11th September 1962, on the Table of the House. But he has now stated a new condition of 15 percent. I would like to know whether there is any set of rules for granting de-facto recognition. If so, in reply to part (c) of my question that might have been placed on the table of the House. Why has it not been placed on the Table.

Mr. Speaker : It is not a point of order. It is a question for Minister to reply.

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं प्रश्न नहीं समझ पाया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि 1962 तक संशोधित नियमों में कोई ऐसी शर्त नहीं थी कि विधि सम्मत मान्यता के लिये 15 प्रतिशत मदस्यों का होना जरूरी है, परन्तु एक नई शर्त और लगा दी गयी है । वे यह जानना चाहते हैं कि क्या विधि सम्मत मान्यता के लिये कोई नये नियम बनाये गये गये हैं ।

श्री शचीन्द्र चौधरी : जहां तक 1962 तक के नियमों का सम्बन्ध हैं, वे सभा-पटल पर रख दिये गये हैं । मुझे यह भी बताया गया है कि विधि सम्मत मान्यता के लिये 15 प्रतिशत सदस्यों की आवश्यकता है । मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा और सभा को बता दूंगा ।

Shri Madhu Limaye : I am asking whether there is any rules for de-facto recognition ?

Mr. Speaker: He said that he would look into the matter.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : क्या इसके अतिरिक्त भी कोई अन्य संघ है जो मान्यता का दावा कर रहा है, यदि नहीं तो फिर सरकार के सामने मान्यता देने में क्या अड़चन पैदा हो गई है और 15 प्रतिशत सदस्यों की जांच की शर्त क्यों लगाई गयी है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जब भी किसी नये संघ को मान्यता दी जाती है तो यह देखना

आवश्यक होता है कि उक्त संघ कर्मचारियों का वास्तव में प्रतिनिधित्व करता है या नहीं । अतः मान्यता देने के सम्बन्ध में बातचीत तभी शुरू की जा सकती है जबकि हमें यह मालूम है कि कर्मचारियों की एक निश्चित संख्या संघ के सदस्य हैं ।

श्री रंगा : इस सम्बन्ध में एक बात यह और कहना चाहता हूं कि मंत्रियों द्वारा सभा में दिये जाने वाले उत्तरों को तैयार करने की रीति सम्यक् प्रतीत नहीं होती । सचिवालय के अधिकारी प्रश्नों का उत्तर तैयार करते हुये इतना भी कष्ट नहीं करते कि वे उसी विषय पर पहले दिये गये उत्तर को देख लें । इसी कारण दो मंत्रियों द्वारा एक ही विषय पर दिये गये उत्तरों में परस्पर विरोध आ जाता है । क्या प्रश्नों का सभा में दिये जाने वाले उत्तरों को तैयार करने का यही तरीका है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्वयं उन्हें इस बारे में बता चुका हूं ।

श्री रंगा : क्या यह तरीका नहीं होना चाहिये कि किसी भी प्रश्न का उत्तर तैयार करते समय सचिवालय के अधिकारी उसी विषय पर पहले दिये गये उत्तरों को देख लें क्योंकि वे उनके पास रिकार्ड में होते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यह मानता हूं कि ऐसा होना चाहिए ।

Shri Madhu Limaye ; The hon. Minister has stated that the old rules are no more in force now. He also has stated that the Government are now considering for **de facto** recognition and not for **de-jure** recognition. It shows that there are some rules in existance and of which the hon. Minister has quoted Rule 368 which says:—

"If a minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table."

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कोई उदाहरण नहीं दिया है । उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि उसके लिए 15 प्रतिशत की आवश्यकता होती है । यह नियम 368 के अन्तर्गत अपेक्षित है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : भारत के लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों का संघ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के सर्वाधिक शक्तिशाली संघों में से एक है । क्या यह सच है कि सेवा संस्थाओं की मान्यता सम्बन्धी पुरानी नियमावली के अनुसार देश भर के सभी संघ सम्बन्धित सभी जानकारी जिसमें सदस्यता भी सम्मिलित है, पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं ? सरकार ने केवल यह तर्क दिया है कि इस संस्था ने कोई बैठक आयोजित नहीं की है और पदाधिकारियों का, जो उसी विभाग के कर्मचारी हैं, चयन नहीं किया है । उनकी बैठक हुई थी और उन्होंने अपने नये पदाधिकारियों के नाम 8 अप्रैल को दे दिये थे और यह कहा जाता है कि मान्यता के लिए यह जानकारी पर्याप्त है । इसके बाद भी उसे मान्यता नहीं दी गई । गत 1 सितम्बर को कहा गया था कि मान्यता दे दी गई होगी । महा लेखा परीक्षक काफी समय पहले सभी मान्यता प्राप्त संघों की सदस्यता के सत्यापन के बारे में अब जानकारी क्यों चाहते हैं ? क्या वास्तव में सरकार इस कार्य में जान-बूझकर विलम्ब नहीं कर रही है ताकि इस शक्तिशाली संघ को विधि सम्मत मान्यता देने के उसके वचन को स्थगित किया जा सके ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : माननीय सदस्या अनुभव करेंगी कि 1962 के नियमों को उच्चतम न्यायालय ने समाप्त कर दिया था । अब सरकार ऐसे नियमों पर विचार कर रही है कि उन्हें वास्तव में तथा विधि सम्मत मान्यता किस प्रकार दी जा सकती है । मुझे आशा है कि नियम शीघ्र

बन जायेंगे। सभा की भांति मैं भी इस मामले को शीघ्र निपटाना चाहता हूं। जहां तक सदस्यता का सम्बन्ध है, ये संघ अपनी सदस्यता में परिवर्तन करने के अभ्यस्त हो गये हैं। अतः हमें अभी यह शर्त पूरी करवानी है कि सदस्य संख्या कुल कर्मचारियों की पन्द्रह प्रतिशत हो। 16 नवम्बर तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ था। इस कार्य में महालेखा परीक्षक के कार्यालय और संघ के कर्मचारियों में सहयोग है। अत इस सभा में व्यक्त भावना को ध्यान में रखते हुए मुझे आशा है कि यह कार्य शीघ्र पूरा हो जायेगा। इसके अतिरिक्त और अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं।

श्री अ० प्र० शर्मा : कर्मचारी संघों को मान्यता देने सम्बन्धी नियमों के अनुसार अब तक स्वैच्छिक आधार पर मान्यता दी जाती रही है किन्तु यहां पर चर्चा की प्रवृति के अनुसार मैं समझता हूं कि यदि कोई संघ मान्यता सम्बन्धी सभी अपेक्षित शर्तें पूरी करे तो उसे मान्यता दिया जाना अनिवार्य है। क्या आगे के लिए, इन सभी शर्तों को पूरा किया जाने पर, स्वैच्छिक आधार पर मान्यता देने सम्बन्धी प्रवृत्ति में भी परिवर्तन किया जायेगा और क्या सभी अपेक्षित शर्तों को पूरा करने वाले सभी संघों को अवश्य मान्यता दी जायेगी ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन दूं, जो कि मैं नहीं दे सकता हूं। मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार नियमों पर विचार कर रही है और नियम बन जाने के बाद ही मैं कुछ बता सकूंगा। इस समय मैं माननीय सदस्य की ही भांति नियम बनाये जाने का उत्सुक हूं।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय द्वारा सभा-पटल पर रखे गये पत्र में 11 सितम्बर, 1962 तक के संशोधित नियम दिये गये हैं। मंत्री महोदय ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 1962 में दिये गये निर्णय के अनुसार इन नियमों की मान्यता अवैध घोषित की गई है। इन नियमों के अवैध घोषित किये जाने पर मंत्री महोदय द्वारा इन्हें सभा पटल पर रखना उचित नहीं था।

क्या यह सच है कि चुनाव पूर्ण हो जाने के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने पन्द्रह प्रतिशत सदस्यों की नई बात सोची है तथा हानि पहुंचाई जाने के भय से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने नाम नहीं दिये और यदि हां, तो क्या यदि वे नाम दे दें तो उन्हें किसी प्रकार की हानि न पहुंचाई जाने के लिए कोई संरक्षण दिया जायेगा ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं समझता हूं कि इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, मेरे विचार से जानकारी देना अनुचित नहीं है। मैंने यह नहीं कहा कि ये अवैध हैं। मैंने केवल यह कहा कि ये नियम पुराने हैं। तब मैंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने इन्हें अमान्य घोषित कर दिया था। अतः नियमों का सभा पटल पर रखा जाना अनुचित नहीं है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है महालेखा परीक्षक द्वारा जानकारी मांगने के पीछे कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि प्रतिनिधियों की एक संस्था हो जिसमें हम बात-चीत कर सकें और नाम मांगना भी आवश्यक है अन्यथा हम प्रतिनिधियों का परिचय कैसे प्राप्त कर सकेंगे ?

श्री श्यामलाल शर्मा : क्या असैनिक कर्मचारियों द्वारा संघ मजदूर संघ अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जा रहे हैं अथवा संगठन स्थापित करने से सम्बन्धित विधान के अन्तर्गत ? क्या मंत्री महोदय को पता है कि यदि इनमें से किसी एक के अन्तर्गत बनाई जा रही है तो इससे असैनिक कर्मचारियों में काफी भ्रम पैदा हो जायेगा ? अन्यथा क्या गृह कार्य मन्त्री वे अनु-

सार असैनिक कर्मचारियों के लिए हिटले परिषद की प्रणाली लागू की जायेगी और यदि हां, तो कब तक ताकि असैनिक कर्मचारियों के लिए संगठन बनाने के बारे में एक समान नियम बनाये जा सकें ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : नियम विचाराधीन है अतः उनके बारे में अन्तिम निर्णय किये बिना मैं तत्काल कोई उत्तर नहीं दे सकता हू ।

नागार्जुनसागर बांध

+

*604. **डा० म० मो० दास** :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये नागार्जुन सागर बांध का पुनरीक्षित प्राक्कलन 91.12 करोड़ रुपये से बढ़ कर 139.53 करोड़ रुपये हो गया है ;

(ख) क्या रुपये के अवमूल्य के परिणामस्वरूप यह राशि और अधिक बढ़ जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो मूल प्राक्कलन तथा पुनरीक्षित प्राक्कलन में इतना भारी अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी हां ।

(ख) रुपये के अवमूल्यन के कारण अधिक नहीं बढ़ जायेगी ।

(ग) 'इस्पात, सीमेन्ट के मूल्य और मजूरी दर बढ़ जाने से बांध पर लगभग 8 करोड़ रुपये ।

मजूरी दर बढ़ जाने से मुख्य नहर में मिट्टी-कार्य में लगभग 15 करोड़ रुपये और छोटी नहरों में मिट्टी-कार्य में लगभग 9 करोड़ रुपये ।

इस्पात, सीमेन्ट के मूल्य और मंजूरी दर एवं जल विकास द्वार बढ़ जाने से आर-पार नाली व्यवस्था पर लगभग 8 करोड़ रुपये ।

डा० म० मो० दास : उपरोक्त भाग (ग) उत्तर पहले ही जैसा दिया गया है। निर्माण कार्य आरम्भ हो जाने पर प्राक्कलन बढ़ाना इन्जीनियरों का परमाधिकार है और मंत्री महोदय ने, जो एक सुप्रसिद्ध इन्जीनियर हैं, कारण अच्छी तरह बता दिये हैं। इस बात के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी कि निर्माण कार्य आरम्भ होने के बाद प्रक्कलन कम से कम बढ़ायें जायें ?

डा० कु० ल० राव : यह वृद्धि इन्जीनियरों के कारण नहीं हुई । यह वृद्धि मूल्य बढ़ जाने के कारण हुई है । उदाहरणार्थ मूल प्राक्कल 1956 में तैयार किया गया था और पिछले दस वर्षों में सीमेंट का मूल्य 60 प्रतिशत और इस्पात का मूल्य 40 प्रतिशत बढ़ गया है । अतः इसमें

कोई आश्चर्य नहीं है कि इस प्रकार की परियोजनायों के, जिन पर होने वाले व्यय को कई वर्षों में बांटा जाता है, प्राक्कलनों में वृद्धि हुई है । प्राक्कलनों का बढ़ना अनिवार्य है ।

डा० म० मो० दास : जिस समय इस परियोजना का निर्माण कार्य आरम्भ किया गया था उस समय यह विचार था कि इसमें पत्थर की चिनाई की जाये अथवा ककरीट की । क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि यदि नागार्जुन सागर परियोजना में पत्थर की चिनाई के स्थान पर कंकरीट का प्रयोग किया जाता तो व्यय और समय में बचत होती ।

डा० कु० ल० राव : यह सच है कि इस बारे में कुछ विवाद था कि बांध पत्थर की चिनाई से बनाया जाये अथवा कंकरीट की । पत्थर की चिनाई से कंकरीट की चिनाई वाला बांध सस्ता बनता है । अब जब पत्थर की चिनाई के स्थान पर कंकरीट की चिनाई का प्रयोग करने से बांध पर अधिक व्यय होगा क्योंकि कंकरीट के बांध पर अधिक लागत आती है और उसमें अधिक सीमेन्ट लगता है । अतः वर्तमान व्यय से कहीं अधिक व्यय होना चाहिए था । जहां तक बांध के निर्माण कार्य की प्रगति का प्रश्न है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इस कार्य में कितना धन दे सकते हैं । यह केवल सामग्री का प्रश्न है और इस सम्बन्ध में ककरीट की चिनाई की अपेक्षा पत्थर की चिनाई पर कम व्यय होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : विवरण में स्वीकार किया गया है मूल व्यय में 40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है । इस तथ्य को देखते हुए इस योजना के निमित्त चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष तथा बाद के वर्षों के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

डा० कु० ल० राव : चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है ताकि यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना में ही पूरी हो जाये ।

Shri M. L Dwivedi ; Keeping in view the increase of 48·41 crores of rupees in the original estimate due to devaluation may I know the meaning of "Not appreciably due to devaluation" and may I also know what is the total percentage of increase due to devaluation ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना के लिए मशीनों के पुर्जों के निमित्त विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जो खरीदे जा चुके हैं और वे अधिक नहीं है । अतः हमारा अनुमान है कि रुपये के अवमूल्यन के कारण व्यय में एक करोड़ रुपये से अधिक वृद्धि होगी । इसलिए मैंने कहा था कि इस परियोजना पर रुपये के अवमूल्यन का अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

श्री स० चं० सामन्त : उपरोक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है कि व्यय में 48·41 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है और भाग (ग) में कहा गया है व्यय केवल 40 करोड़ रुपये बढ़ा है । यह 8·41 करोड़ रुपये की वृद्धि कैसे हो गई ?

डा० कु० ल० राव : : मैंने संक्षेप में उन कारणों को बताया है जिनसे व्यय में वृद्धि हुई है । कुछ अन्य छोटे-मोटे कारणों से बाद में कुछ व्यय होता रहा है ।

श्री सुबोध हंसदा : पुनरीक्षित प्राक्कलन के अनुसार व्यय में लगभग 40 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई । क्या सरकार इस बात का आश्वासन दे सकती है कि इस अनुमान से और अधिक व्यय नहीं होगा । सरकार ने बताया कि रुपये के अवमूल्यन के कारण कोई वृद्धि नहीं होगी । क्या अन्य कारणों से वृद्धि होगी ?

डा० कु० ल० राव : मैंने इसका उत्तर जान बूझकर नहीं दिया था क्योंकि पुनरीक्षित

आंकड़े 1962 में तैयार किये गये थे और मूल्य बढ़ जाने से व्यय में और वृद्धि हो सकती है। अतः मैं यह नहीं बता सकता कि अभी और कितनी वृद्धि होगी ? मैं यह कह सकता हूं कि यह वृद्धि अधिक नहीं होगी।

श्री रंगा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस परियोजना को पूरा करने में जितना विलम्ब होगा, मूल्य बढ़ जाने के कारणों से व्यय में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी तथा इस वर्ष विलम्ब के कारण 5,50,000 एकड़ क्षेत्र में पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी है, भारत सरकार तथा आन्ध्र सरकार का विचार कम से कम इस योजना के प्रथम चरण को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या निश्चित कार्यवाही करने का है ?

डा० कु० ल० राव : यह निश्चित है कि जून, 1967 तक बांध काफी बन जायेगा तथा 6 लाख एकड़ भूमि के लिए, जो पानी लेने के लिए तैयार है, पानी दिया जायेगा। शेष भूमि के लिए हमें नहरें बनानी पड़ेंगी जो चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

श्री पे० वेंकटासुब्बया : मन्त्री महोदय ने बताया है कि धन की कमी के कारण इस परियोजना का कार्य पूरा नहीं हो सका। क्या इस परियोजना की 21 लाख एकड़ भूमि को सींचने की क्षमता होगी क्योंकि इससे 60 करोड़ रुपये के मूल्य के 15 लाख टन का उत्पादन होगा जो कि सिंचाई के बिना नहीं हो सकता है।

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना का निर्माण काफी हो चुका है और सरकार का विचार इसे यथाशीघ्र पूरा करने का है। इसीलिए चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए अपेक्षित पूरे धन की व्यवस्था कर दी गई है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या यह सच नहीं है कि आन्ध्र प्रदेश की जनता यह अनुभव करती है कि इस परियोजना के पूरे होने में विलम्ब का कारण यह है कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए अपेक्षित धन की शीघ्र मंजूरी तथा अन्य इसी प्रकार के मामलों के बारे में विवाद है तथा कुछ अन्य भी कारण हैं अथवा क्या इस परियोजना की क्रियान्विति में राज्य सरकार की ओर से कोई कमी है ? क्या इस बात का ध्यान रखेंगी कि इस राष्ट्रीय योजना को, जो खाद्यान्न उत्पादन के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण है, पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार का विवाद मार्ग में बाधा न हो और क्या इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि राज्य सरकार धन का दुरुपयोग न किया जाये अथवा अन्य कार्यों पर व्यय न किया जाये ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना के लिए निर्धारित धन और किसी कार्य पर व्यय नहीं किया जायेगा। राज्य सरकार न तो इसे किसी अन्य कार्य पर व्यय कर सकती है और न कर रही है। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि इस मामले में राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार के बीच थोड़ा विवाद रहा है।

चूंकि राज्य सरकार अपनी राज्य योजनाओं में उतनी राशि नहीं रख रही है जितनी कि केन्द्रीय सरकार देने के लिए तैयार है, इसलिए केन्द्रीय सरकार योजनाओं के बाहर पैसा नहीं दे सकती है। यही मुख्य कठिनाई है और जिन राज्यों में बड़ी परियोजनाएं आरम्भ की जानी है और उनको राज्य योजनाओं में धन के अभाव के कारण नहीं रखा जा सकता है वहां पर यह कठिनाई हमें हमेशा ही रहेगी। इसलिए इस हद तक इस पर आने का विचार किया जायेगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह एक राष्ट्रीय परियोजना है और इसलिये, यदि हम अपेक्षित धन दे देते हैं तो इससे पैदा हुआ अनाज सारे भारत के लिये होगा।

श्री तुलसीदास जाधव : क्या सरकार ने कृष्णा नदी के पानी के सम्बन्ध में महाराष्ट्र राज्य की उचित मांग पर सरकार ने विचार कर लिया है; यदि हां, तो क्या सरकार महाराष्ट्र, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के बीच पानी के मूल अनुपात में परिवर्तन करने जा रही है।

डा० कु० ला० राव : यह परियोजना उस समय मंजूर की गई थी जबकि विभिन्न राज्यों के बीच कोई विवाद नहीं था। सामान्यतः इस क्षेत्र को उस समय मंजूर किया गया सारा पानी मिल जाना चाहिये था, परन्तु उसके बाद 1960 में विवाद खड़ा हो गया और अब भारत सरकार ने कहा है कि केवल छः लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करने के लिये परियोजना का केवल पहला चरण ही पूरा होगा।

श्री शिव मूर्ति स्वामी : क्या यह सच है कि आंध्र सरकार द्वारा योजना या डिजाइन में परिवर्तन किये जाने के कारण उस लागत में वृद्धि हो गई है ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य की बात सही नहीं है। डिजाइन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना आन्ध्र सरकार कुछ नहीं कर सकती है।

Shri Bibhuti Mishra : The Hon. Minister stated that the Nagarjunsagar Dam will be completed by 1967 and that it will provide irrigation to 6 lakh acres of land. At the time the dam is completed the water should reach the whole of the commanded area at the same time, but in actual practice it does not happen so and this very thing we had noticed in the case of Gandak project. The Government gives more attention to the dam and not to the construction of channels and canals. By what time will it be fully completed ?

डा० कु० ल० राव : इस प्रश्न का सम्बन्ध इंजीनियरी से है। गंडक के मामले में पानी के स्तर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर नदी और नहर के पानी का स्तर लगभग एक ही है। अतः एक साधारण निर्माण से ही पानी नहर में चला जाता था। नागार्जुन सागर के मामले में ऐसा नहीं है। पानी के स्तर को 250 फुट उठाना होगा ताकि यह नहर में प्रवेश कर सके जो कि बहुत ऊंचे स्तर पर है। इसलिये बांध का निर्माण करना होगा और बांध के तैयार होते ही नहर में पानी बहने लगेगा।

अल्प सूचना प्रश्न
Short Notice Question

पाकिस्तान के राष्ट्रपति का लन्दन में वक्तव्य

4. श्री हेम बरुआ : **श्री उ० मू० त्रिवेदी**

क्या **वैदेशिक कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खां द्वारा लन्दन में भारत के बारे में व्यक्त किये गये परिद्वेषपूर्ण विचारों तथा व्यक्त में उनके द्वारा कही गई बातों की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति के वक्तव्य तथा उसमें कही गई बातों पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) :

(क) और (ख) : 18 नवम्बर 1966 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने लन्दन में रायल इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्टरनेशनल अफेयर्स के सम्मुख एक भाषण दिया था। अपने भाषण की समाप्ति पर कुछ सवालों के जवाब में राष्ट्रपति ने हिन्दू धर्म और भारत पर आक्षेप करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाया कि दोनों असमानता, कठोर जातिवाद और वर्गप्रथा पर आधारित है। उन्होंने इसे झूठे और दूषित सिद्धान्त का उल्लेख किया कि हिन्दू और मुसलमान एक झंडे के नीचे साथ-साथ नहीं रह सकते और इस तरह उन्होंने सैंकड़ों वर्षों के भारत तथा पाकिस्तान के लोगों के समान इतिहास को झुठलाया जिसके दौरान दोनों धर्मों के मानने वाले लोग शांतिपूर्वक रहते आये हैं। उन्होंने हमारे धर्म-निरपेक्ष राज्य की जड़ों पर चोट की और दरअसल पाकिस्तान में रहने वाले लाखों हिन्दुओं के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दिया। सरकार इसकी निन्दा करती है और उसने एक ऐसे धर्म के प्रति कहे गये अपशब्दों के खिलाफ पाकिस्तान से विरोध प्रकट किया है, जिसे भारत, पाकिस्तान तथा अन्य देशों में रहने वाले लोग मानते हैं।

सरकार के ख्याल में, पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा कहे गये इस प्रकार के शब्दों से ताशकन्द घोषणा को भावना के अनुरूप भारत तथा पाकिस्तान के बीच साम्प्रदायिक मेलजोल अथवा मैत्रीपूर्ण और अच्छे पड़ोसी के से सम्बन्धों के बढ़ने की सम्भावना नहीं है।

श्री हेम बरुआ : क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान राष्ट्रपति अय्यूब खां के उस वक्तव्य की ओर दिला सकता हूं जिसमें उन्होंने भारत पर ताशकन्द करार के उल्लंघन करने का आरोप लगाया है और चूंकि पाकिस्तान से ताशकन्द करार से कड़े उल्लंघन का दोषी है—पाकिस्तान ने ताशकन्द करार को 50 'फैदज' की गहराई पर दबा दिया है—इस सन्दर्भ में क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी सरकार कब तक इस करार को एकपक्षीय रूप से क्रियान्वित करती रहेगी ;

श्री मु० क० चागला : इस तथ्य को मैं पूरी तरह महसूस करता हूं कि पाकिस्तान ने ताशकन्द करार का बार-बार और निरन्तर उल्लंघन किया है। परन्तु हमने वफादारी के साथ करार का पालन किया है और जैसा कि मैंने पहले बताया है हमने पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है परन्तु पाकिस्तान ने अभी तक उसको पकड़ा नहीं है। मैं समझता हूं कि जब तक ऐसा करना सम्भव है और हमारे राष्ट्रहित में है हमें इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तान को यह अहसास नहीं करा सकते हैं कि उसको जिस करार पर उसने हस्ताक्षर किये हैं उसके प्रति न केवल वफादार ही होना चाहिये अपितु यह भी कि ताशकन्द करार का पालन किया जाना न केवल पाकिस्तान के हित में ही है, अपितु यह दोनों देशों के हितों में है।

श्री हेम बरुआ : राष्ट्रपति ने अपने वक्तव्य में पाकिस्तान को एक इस्लामी राज्य बताया है और इसके साथ ही यह भी कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हिन्दुओं और पाकिस्तान में रहने वालों के बीच लड़ाई है। इस संदर्भ में मैं जानाना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इस प्रकार के वक्तव्यों का पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की जान और माल पर बुरा असर पड़ेगा और यदि हां, तो सरकार नेहरू-लियाकत अली करार के अन्तर्गत क्या कदम उठाये

हैं या उठाने का विचार है ताकि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दुओं की जान और माल को खतरा कोई न हो।

श्री मु० क० चागला : मैं इस बात को बड़े दुख के साथ महसूस करता हूं कि राष्ट्रपति अयूब ने न केवल भारत के हिन्दुओं पर ही आक्रमण किया है अपितु उनके अपने देश में रहने वाले 90 लाख हिन्दुओं और भारत और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले करोड़ों हिन्दुओं पर आक्रमण किया है। उन्होंने उस धर्म पर आक्रमण किया जिसको संसार के करोड़ों लोगों ने अपनाया है। जहां तक हमारे द्वारा कार्यवाही किये जाने का सम्बन्ध है, ज्योंही हमने वक्तव्य को पढ़ा, हमने पाकिस्तान के उच्चायुक्त को बुलाया और उसको विरोध प्रकट किया और फिर एक कड़ा विरोधपत्र लिखा। जहां तक लन्दन स्थित हमारे उच्चायोग का सम्बन्ध है, आयोग को निदेश दिया गया कि वह राष्ट्रमण्डल के कार्यालय को अभ्यावेदन दे।

जहां तक इस व्यापक प्रश्न का सम्बन्ध है कि पाकिस्तान में हिन्दू अल्प संख्यको की सुरक्षा के लिये हम क्या करेंगे, मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि, हम बड़े गौर से देख रहे हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई चीज नहीं होंगी जोकि पूर्व पाकिस्तान में रहने वाले 90 लाख हिन्दुओं की जान और माल के लिये खतरा बने।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या भारतीय नागरिकों ने, चाहे वे हिन्दू या मुसलमान या इसाई या पार्सी हों राष्ट्रपति अयूब के वक्तव्य पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की है और क्या पूर्व पाकिस्तान के किसी नेता ने चूंकि पूर्व पाकिस्तान में स्वाधीनता के लिये एक बड़ा आन्दोलन जारी है— या परवत् निस्तान या बलूचिस्तान के किसी नेता ने इस भारत विरोधी वक्तव्य पर कोई आपत्ति उठाई हैं ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक मुझे पता है मैंने अखबारों में मेरा विश्वास है मैं ठीक हूं—एक मुसलिम धार्मिक नेता का वक्तव्य पढ़ा था जिम्में उन्होंने राष्ट्रपति अयूब के भाषण की निन्दा की थी। इसके अतिरिक्त मैंने भारतीय विदेशी या समाचार पत्रों में कोई प्रतिक्रिया नहीं पढ़ी है। शायद प्रत्येक व्यक्ति को इतना धक्का लगा है कि उनको इस सदमे पर काबू पाने का अभी समय नहीं मिला है।

Shri Prakash Vir Shastri : Pakisian's President has also stated that their relations with India would very much deperd upon Government in India after the ensuing elections. From the attitude of the Prasident of Pakistan it appears that he has no inclination to implement the Tashkant Pact. In view of this do our Government keep the friendly powers informed about it and if so, what is the reaction of those countries in this regard ?

श्री मु० क० चागला : मैं इस सभा को तथा पाकिस्तान को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चुनावों के बाद भी भारत की मूल नीति वही रहेगी जो आज है और इस नीति का समर्थन सभा के दोनों पक्षों ने किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति अयूब के लिये ऐसा समझना बड़ी भूल हैं कि मूल नीति में चुनावों के बाद परिवर्तन हो जायेगा। ताशकंद करार की क्रियान्विति के लिये पाकिस्तान ने जो कुछ किया है या यूं कहिये कि जो कुछ नहीं किया इस बारे में हमने भी सभी मित्र देशों को सूचित कर दिया है।

श्री नि० चं० चटर्जी : उन देशों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मु० क० चागला : वास्तव में कोई विरोध नहीं है। वे इसके विरोध समझते हैं, वे आवश्यक रूप से हमें यह नहीं बताते कि वे इस बारे में क्या समझते हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रपति अयूब का न केवल यह वक्तव्य ही अपितु उनके कुछ अन्य वक्तव्य भी स्पष्ट रूप से ताशकंद घोषणा का उल्लंघन करते हैं, क्या संसार को यह बताने के लिये कि पाकिस्तान उस करार से पीछे हट गया है और अब अकेले भारत के लिये इस करार का अधिक समय तक पालन करना संभव नही होगा, इन गतिविधियों के सम्बन्ध में सरकार ने पाकिस्तान सरकार और रूस और अमरीका की सरकारों से लिखा पढ़ी की है ?

श्री मु० क० चागला : जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमने पकिस्तान को जबानी भी काफी कुछ कहा है और जोरदार लिखा पढ़ी भी की है। जहां तक रूस का सम्बन्ध है, वह गतिविधियों से पूरी तरह अवगत है। उस देश के साथ पूरी तरह संपर्क बनाये हुये हैं, क्योंकि रूस की सहायता से ही ताशकद करार पर हस्ताक्षर किये गये थे। मैं बता देना चाहता हूं कि रूस पाकिस्तान और भारत द्वारा करार के क्रियान्वित किये जाने का बहुत इच्छुक हैं। हमने रूस को बताया है कि जहां तक हमारा सम्बन्ध है हम करार को क्रियान्वित करने के इच्छुक हैं। इसके लिये हमने जो भी हमारी शक्ति के भीतर था किया है। इसकी अक्रियान्विति के लिये पाकिस्तान को ही दोषी ठहराया जाना चाहिये क्योंकि उसने बैठक करने और करार को क्रियान्वित करने सम्बन्धी हमारी पेशकणों को अब तक ठुकराया है।

Shri Yashpal Singh : Have the Government of India put before the whole world the fact that in Pakistan only 80 thousand persons have got the right to vote while the rest 7 crores, 99 lakhs and 20 thousand Mohamedans there, are living the life of slaves ? In view of this what right President Ayub has got to pleade for the Mohamedans in India ? Have Government projected this view before the world ?

श्री म० क० चागला : मुझे विश्वास है संसार जानता है कि पाकिस्तान का संविधान क्या है, कि वहां पर एक बनावटी लोकतन्त्र है। संसार के लोग जानते हैं कि हमारे देश और पाकिस्तान के बीच क्या अन्तर है। हमारे यहां वास्तविक लोकतन्त्र है, प्रत्येक प्रौढ़ व्यक्ति को यहां मत देने का हक है. हमारे यहां संसदीय संस्थान हैं जो उचित रूप से कार्य करते हैं। पाकिस्तान में हालत दूसरी है। मैं समझता हूं कि सारा संसार जानता है कि दोनों देशों के बीच क्या अन्तर है।

श्री नाथपाई : क्या माननीय मंत्री यह समझते हैं कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति को ऐसा जहरीला आक्रमण करने का साहस इस बात से मिला कि क्योंकि (क) भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अकेला पड़ता जा रहा है जो कि इस बात से विदित है कि भारत ने सुरक्षा परिषद् का स्थान केवल दो मतों से प्राप्त किया है और वे दो मत भी उन राष्ट्रों के हैं जिनका हम निरन्तर विरोध करते रहे हैं, जबकि इथोपिया जैसे छोटे राष्ट्र हम से काफी अच्छे रहे हैं और (ख) पाकिस्तान के लिये संसार का समर्थन बढ़ता जा रहा है जैसा कि इस बात से विदित होता है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब की हाल की यात्रा बड़ी सफल रही, जार्डन में विज्ञप्ति जारी की गई, उन्होंने राष्ट्रपति दगौल से विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर करवाये जिसमें काश्मीर के कथित गंभीर संकट का उल्लेख किया गया, और उनको इंग्लैंड में समर्थन मिल रहा है ?

श्री मु० क० चागला : मैं अपनी पूरी ताकत के साथ इस बात का खण्डन करता हूं कि भारत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अकेला पड़ता जा रहा है। जहां तक सुरक्षा परिषद् में हमारे चुनाव

का सम्बन्ध है, मुझे हर्ष है कि मुझे कुछ गलत आदमियों को दूर करने का अवसर मिला है। यह स्मरण रहे कि हम पहली बैलट में ही सुरक्षा परिषद् के लिये चुने जा चुके थे।

सुरक्षा परिषद् के चुनाव के इतिहास में बिरले ही ऐसा होता है जबकि किसी देश ने पहले बैलट में ही चुनाव जीता हो। सामान्यत: 6, 8, 10, 12 बैलट होते हैं। भारत के लिये गर्व की बात है कि हम पहले बैलट में ही चुनाव जीत गये।

Shri Bade : Is the statement of President Ayub not the clear violation of the Tashkant Pact ? Will it not adversely affect the Hindus and Mohmadans of both the countries ? Has Russian written anything to Pakistan in this regard ?

Mr. Speaker : All these questson have been answered.

श्री मु० क० चागला : इस प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। रूस को जानकारी दे दी गई है। उसको गतिविधियों का पता है। सारा संसार जानता है कि इस देश में हिन्दू और मुसलमान दोनों शांतिपूर्वक रह रहे हैं। हम राष्ट्रीयता और धर्म को एक तराजू में नही तोलते। हमारे संविधान के अनुसार सारे नागरिक समान हैं और इनको समान अधिकार और अवसर प्राप्त हैं। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान हमारी नकल करेगा और हिन्दू अल्प संख्यकों को वही अधिकार देगा जो कि हम अपने देश में अल्पसंख्यकों को देते हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : कभी नहीं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Why our Embassy has not repudiated it ?

Mr. Speaker : He says they have done it ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : This has not been replied. Why our Embassy has not repudiated it ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस प्रकार आग्रह क्यों कर रहे हैं।

श्री त्यागी : जब से ताशकन्द करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं तब से अब तक पाकिस्तान सरकार को उसके उल्लंघन के बारे में कितने विरोध पत्र भेजे गये हैं ?

श्री मु० क० चागला : मेरे पास संख्या तो नहीं है, परन्तु जब भी ताशकन्द करार का उल्लंघन किया गया है हमने विरोध पत्र भेजा है।

श्री जोकीम आल्वा : फ्रांस ने पाकिस्तान को दो पनडुब्बियां बेची हैं पैरिस में हमारा दूतावास सतर्क क्यों नहीं है और उसने पाकिस्तान को दो पनडुब्बियां क्यों बेचने दीं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पी० एल० 480 निधियां

***605. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की कोई जानकारी है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत की

गई बिक्री से प्राप्त राशि में से कितनी राशि अब तक भारत में खर्च की गई है ; और

(ख) उस राशि में से अब तक कितनी राशि विदेशी मुद्रा में बदली गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, हां । पी० एल० 480 सम्बन्धी बिक्री की प्राप्तियों से 30 सितम्बर, 1966 तक भारत में खर्च की गई रकम का विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है ।

(ख) विदेशी मुद्रा में बदली गई रकम भी विवरण में दिखाई गई है । **(पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7481/66)**

स्वर्ण नियंत्रण आदेश

***606. श्री श्रीनारायण दास :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश के प्रवर्तन का पुनर्विलोकन करने के लिये स्थापित की गई अनौपचारिक समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

आवास परियोजनाओं के लिये धन

***607. श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास परियोजनाओं के लिए विशेष-कर गरीब वर्गों के लोगों के लिए मकानों के निर्माण की परियोजनाओं के लिए और धन की व्यवस्था की जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये 6 अप्रैल, 1966 को इस सभा मे सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं को उनके द्वारा प्रधान-मंत्री और वित्त मंत्री को बताये जाने का क्या परिणाम निकला है ;

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में आवास तथा नगरीय विकास के लक्ष्यों में काट छांट की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) सदस्यों की भावनायें प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को बता दी गई थीं । फिर भी, सरकार को बचत के उपाय कड़ाई के साथ लागू करना आवश्यक लगा है ; इसके फलस्वरूप चौथी

पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में आवास के लिए व्यवस्थाओं को बढ़ाना संभव नहीं हो सका ।

(ख) और (ग) : जी हां, चौथी योजना के ज्ञापन में आवास तथा शहरी विकास के कार्यक्रम के लिए संस्तुत (रिकमेन्डेड) व्यवस्थाओं में, चौथी योजना के प्रारूप में पर्याप्त कमी कर दी गयी है ।

Shortage of Medicines in Hospitals

***608. Shri Bibhuti Mishra : Shri K. N. Tiwari :**

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute shortage of medicines in the hospitals in the country even after the completion of three Five Year Plans; and

(b) if so, the steps taken to meet the overall shortage.

The Minister of Health And Family Planning (Dr. Shushila Nayar) :

(a) and (b) ; So far as the Central Government Hospitals are concerned, there is no shortage of medicines. It is possible, however, that there is shortage in the District Hospitals and Dispensaries in various States. This is a matter for the State Governments to look into.

The import policy in respect of Drugs and raw meterials for drugs has been liberalised under the Import Trade Control Regulations in order to step up the manufacture of drugs and medicines.

अवैध स्रोतों से आयात

+

***609. श्री अ० क० गोपालन : डा० सारादीश राय :**

श्री उमानाथ : श्री नम्बियार :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बम्बई के बैंकरों के तेहरवें वार्षिक समारोह के अवसर पर भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा दिये गये भाषण की ओर दिलाया गया है, जिसमें उन्होंने आयात की भारी मांग का उल्लेख किया था और उन मांगों को पूरा करने के लिए अवैध स्रोत अपनाये जाने की उत्तरोत्तर प्रवृति का भी उल्लेख किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस वक्तव्य के परिणामों का अध्ययन किया है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अवैध तरीकों के कारणों का अध्ययन करने तथा उनको समाप्त करने के उपाय सुझाने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का है ;

(घ) यदि हां तो कब तक आयोग के नियुक्त किये जाने की संभावना है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने रुपये के अवमूल्यन से पहले की असन्तोषजनक स्थिति के कुछ पहलुओं का उल्लेख किया है, जिनके कारण रुपये के अवमूल्यन का निर्णय करना और भी आवश्यक हो गया था । इसके साथ ही प्राथमिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए उदारता से लाइसेंस देने के लिए भी कदम उठाये गये । स्थिति को सुधारने के

लिए किये गये इन उपायों के साथ-साथ अवैध स्रोतों का पता लगाने और उन पर नियंत्रण रखने के लिए चौकसी रखी जा रही है तथा उसे और भी जोरदार बनाया जा रहा है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) चूंकि स्थिति को सुधारने के लिए एक बुनियादी कदम उठाया जा चुका है और सरकार द्वारा किये गये अन्य उपायों को देखते हुए भी, आयोग की नियुक्ति आवश्यक नहीं समझी जाती ।

एडवांस इंस्योरेंश कम्पनी

***610. श्री उटिया :** **श्री मधु लिमये :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि श्री गोइंका एडवांस इन्सोरेंश कम्पनी के विरुद्ध आय-कर सम्बन्धी कार्यवाहियों के दौरान इस कम्पनी द्वारा किये गये कदाचार तथा दुर्विनियोग के मामलों का पता चला है ;

(ख) क्या इन पार्टियों ने जाली मदें दर्ज़ की हैं तथा बनावटी रसीदें बनाई है और अन्य ऐसे ही जाली तरीके अपनाये हैं ; और

(ग) उक्त पार्टी/पार्टियों के विरुद्ध समवाय अधिनियम की धारा 209, 237 आदि तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 407–9 के अन्तर्गत कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) और (ख) : आयकर अधिकारियों द्वारा मारे गये छापों में पकड़े गये कुछ कागजातों के आधार पर, बीमा नियंत्रक ने बीमा अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत मैसर्स एडवांस इंश्योरेंश कम्पनी लिमिटेड के बारे में जांच-पड़ताल करने के आदेश दिये हैं । जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है यह कहना सम्भव नही है कि कम्पनी ने उक्त अपराध किये हैं अथवा नहीं ।

(ग) कम्पनी अधिनियम अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आगे कोई कार्यवाही होनी हुई, तो वह उपर्युक्त जांच के पूरी हो जाने के बाद निश्चित की जायेगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवाकाल का बढ़ाया जाना

***611. श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेवाकाल को बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ आधारभूत सिद्धान्त निर्धारित किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सेवाकाल में वृद्धि केवल उन्हीं मामलों में की जाती है, जहां उपयुक्त नये उम्मीद-वार उपलब्ध नहीं होते ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) से (ग) : सरकारी प्रतिष्ठानों के उन उच्च प्रबन्धकीय पदों के सम्बन्ध में, जिन पर सरकार द्वारा या सरकार की सहमति से नियुक्तियां की जाती है, अधिवर्षता और सेवा की वृद्धि के मामलों में वही सिद्धान्त लागू होते हैं, जो सरकारी नियुक्तियों के सम्बन्ध में। दूसरे पदों के बारे में, जिन पर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा खुद नियुक्तियां की जाती हैं, सरकार ने इन प्रतिष्ठानों को कोई हिदायत नहीं दी हैं।

सरकार ने जो सिद्धान्त अपनाये हैं वे ये हैं :—जिन पदों के लिये वैज्ञानिक अथवा तकनीकी योग्यतायें नहीं चाहियें, उनके सम्बन्ध मे 60 वर्ष की उम्र से ज्यादा उम्रतक सेवा काल की अवधि में तब तक वृद्धि न की जाय, जब इस प्रकार के पद को सम्भालने के लिए कोई उपयुक्त व्यक्ति न मिले और उस स्थिति में 62 वर्ष की उम्र तक सेवा-काल बढ़ाया जा सकता है। वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों के मामले में भी, जहां इन सीमाओं से आगे सेवाकाल में वृद्धि करनी ही पड़े, वहां भी सेवा-काल की ऐसी वृद्धि अपने आप नहीं होनी चाहिए, बल्कि वृद्धि करने से पहले ऐसे पदों के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की सुलभता पर भी विचार किया जाना चाहिये।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में काम का मूल्यांकन

*612. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों में काम का मूल्यांकन करने की सम्भाव्यता का विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : सरकारी प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध-सम्बन्धी ऊंचे पदों के बारे में, जिन पर सरकार द्वारा नियुक्तियां की जाती हैं, प्रत्येक पद की जिम्मेदारी के आधार पर, वेतन निर्धारित करने के उद्देश्य से पहले ही मूल्यांकन किया जा चुका है। कुछ प्रतिष्ठानों ने प्रबन्ध की परीधि के अन्दर आने वाले अन्य पदों के सम्बन्ध में मूल्यांकन किया है। अन्य प्रतिष्ठानों को प्राक्कलन समिति सिफारिश के अनुसार सलाह दी जा रही है कि वे विभिन्न पदों या पद-समूहों के बारे में ठीक-ठीक विवरण दें जिससे उनका मूल्यांकन करने में सहायता मिले।

अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति

*613. **श्री दिगे :** **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** 4 अगस्त,1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 268 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक औषधियों सम्बन्धी समिति ने अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) समिति का गठन तीन वर्ष के लिये किया गया था परन्तु समिति का कार्य निरन्तर चलने वाला है क्योंकि यह समिति नई औषधियों की, उनकी अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए जांच करेगी, जब भी नई दवाइया बनेंगी । तथापि, यह समिति अत्यावश्यक औषधियों की सूची के सम्बन्ध में अपना पहला प्रतिवेदन शीघ्र ही देगी ।

अधिकारियों द्वारा सरकारी उपक्रमों की नौकरियां छोड़ कर गैर-सरकारी कम्पनियों में नौकरी करना

***615. श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से अधिकारी गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी करने के उद्देश्य से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की नौकरियां छोड़ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) सरकारी उद्योग-धन्धों के सभी श्रेणियों के उन कर्मचारियों की संख्या, जिन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योग-धन्धों में काम करने के लिये 1961 से 1965 तक की अवधि में इस्तीफा दिया, इस प्रकार हैं :

1961	2136
1962	2135
1963	3087
1964	3636
1965	3069

(ख) इन इस्तीफों के मुख्य कारण अधिक अच्छा भविष्य, उच्च शिक्षा, घरेलू परिस्थितियां आदि हैं ।

(ग) सरकार इस विषय पर बराबर विचार करती रहती है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

***616. श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **वित्त मंत्री** 10 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 213 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन बातों की जांच अब पूरी हो चुकी है जिन पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धकर्ताओं के सम्मेलन में विचार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय कर लिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) से (घ) : उल्लिखित सम्मेलन में जिन बातों पर विचार किया गया उनकी जांच के परिणाम स्वरूप कुछ प्रस्तावों को निश्चित रूप प्राप्त हो गया है, अब इन पर सरकार विचार कर रही है ।

मद्रास में तूफान

***617. श्री मुहम्मद कोया :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में आये तूफान के कारण मद्रास में स्थित केन्द्रीय सरकार के संस्थानों की सम्पत्ति को अनुमानतः कितना नुकसान पहुंचा;

(ख) क्या मद्रास सरकार ने तूफान से पीड़ित व्यक्तियों को बसाने के लिए कोई सहायता मांगी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायेगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) मद्रास सरकार ने पीड़ित व्यक्तियों की सहायता तथा पुनर्वास पर और क्षतिग्रस्त सरकारी इमारतों आदि की मरम्मत पर खर्च करने के लिए 1.57 करोड़ रुपये का अनुदान और 3.41 करोड़ रुपये का ऋण मांगा है ।

Unemployment Among Uneducated Classes

***618 Shri Sidheshwar Prasad :**

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of uneducated unemployed at the end of each of the first Three Plans respectively; and

(b) the details of the scheme being drawn up to eliminate unemployment among the uneducated persons and the steps being taken to implement that scheme ?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) :

(a) The overall unemployment estimates at the end of the First, Second and Third Plans are 5.3 million, 7 million and over 9 million respectively. On the basis of data available from the national Employment Service it is roughly estimated that unemployed persons having qualifications matriculation and above were of the order of 5.5 lakhs at the end of the first Plan, about 7 lakhs at the end of the Second Plan and about 9 lakhs at the end of the Third Plan. Thus the number of uneducated unemployed at

the end of the First, Second and Third Plans can be placed roughly at 4·7 million, 6·3 million and 8.1 million respectively.

(b) Employment opportunities outside agriculture are expected to increase to the extent of 14 million in the Fourth Plan period; additional employment to the extent of about 4.5 to 5 million is expected to be generated in agriculture and allied activities. A substantial portion of this additional employment can be availed of by persons without adequate education.

सरकारी कर्मचारियों को गृह-निर्माण ऋण

*619. **श्री तिम्मय्या :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाली गृह-निर्माण ऋण की राशि को जो कि कर्मचारी के मासिक वेतन से 36 गुणा तथा अधिक से अधिक 35,000 रुपये होती थी, चीनी आक्रमण के पश्चात् घटा कर मासिक वेतन के 24 गुणा तथा अधिक से अधिक 25,000 रुपये कर दिया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि अब ऋण की राशि को पुन: 36 महीनों के वेतन की मूल सीमा के बराबर कर दिया गया है हालांकि अधिकतम सीमा को 35,000 रुपये नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार अधिकतम सीमा 35,000 रुपये करने का है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) नेशनल एमरजैन्सी के दौरान खर्चा कम करने की दृष्टि से 28 नवम्बर, 1962 को हाउस बिल्डिंग एडवान्स योजना निलंबित कर दी गयी थी तथा 1 अप्रैल, 1963 से ऋण सहायता की राशि को घटा कर, 24 महीने के वेतन तक अधिकतम 25,000 रुपये तक की करके पुनर्जीवित कर दी गयी ।

(ख) जी हां ।

(ग) **और (घ) :**

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए जो अधिकांशत: निम्न तथा मध्यम आय वर्ग में आते हैं उन्हें 25,000 रुपये का ऋण पर्याप्त वित्तीय सहायता समझी गयी है । मध्यम आय वर्ग आवास योजना जो कि जन सामान्य के लिए है, के अन्तर्गत अधिकतम देय ऋण की राशि 20,000 रुपये है ।

Abridged M. B. B. S. Degree Course.

*620. **Shri Shinkre :** **Shri Y. D. Singh :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the students of Ayurvedic and Unani Tibbia College, Delhi have recently made a demand to Government to introduce an abridged M. B. B. S. Degree course;

(b) if so, the action taken by Government in this regard; and

(c) the expenditure involved therein ?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar) :

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The matter of starting a condensed Licentiate Course is under consideration.

मैसर्स ईस्टर्न एजेंसी सिंडीकेट

***621. श्री उ० मू० त्रिवेदी :**
श्री प्रिय गुप्त :
श्री मुहम्मद कोया :
श्री दीनेन भट्ठाचार्य :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स ईस्टर्न एजेंसी सिंडीकेट, कानपुर का एक फर्म ने आय-कर तथा अन्य करों की राशि बहुत समय से नहीं दी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह फर्म विभिन्न नामों से काम अथवा व्यापार करती है जबकि उसके मालिक अथवा निदेशक वही व्यक्ति हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस फर्म पर कर निर्धारित करने तथा उसे वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न नामों से उसे अपना कारोबार जारी रखने की छूट दे रखी है और यदि हां, तो वे नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) मैसर्स ईस्टर्न एजेंसी सिंडीकेट का नियमानुसार कर-निर्धारण किया जा रहा है। कर निर्धारण वर्ष 1966-67 के 1760 रुपये के आयकर को छोड़कर, उससे अन्य कोई प्रत्यक्ष कर वसूल होना बाकी नहीं है।

(ख) जहां तक सरकार को मालूम है, मैसर्स ईस्टर्न एजेंसी सिंडीकेट मालिकों की कम्पनी है जिसकी केवल एक शाखा है जो कानपुर में मैसर्स ईस्टर्न ट्रेडर्स है।

(ग) फर्म का नियमित रूप से आयकर निर्धारण किया जाता रहा है और अब तक निर्धारित किये गये कर की मांगों को वसूल करने के लिये उपयुक्त कार्यवाही की जाती रही है और की जा रही है।

(घ) सरकार द्वारा कोई छूट नहीं दी गयी है क्योंकि विभिन्न नामों से कारोबार जारी रखने के लिए आयकर के अधीन सरकार से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है।

पासी आदिम जाति का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में शामिल किया जाना

***622. डा० मा० श्री अणे :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित आदिम जातियों तथा अनुसूचित जातियों के पासी नामक आदिम जाति के लोगों को देशभर में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो

की सूचियों में शामिल किया गया है जब कि महाराष्ट्र के विदर्भ तथा मराठवाड़ा डिवीजनों में रहने वाले पासी आदिम जाति के लोगों को उन सूचियों में शामिल नहीं किया गया है तथा जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रकाशित की हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य सरकार को यह अनुदेश देने का है कि अनुच्छेद 342 (1) तथा (2) के अन्तर्गत इन आदिम जातियों को अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में रखा जाये ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार का विचार आवश्यक विधान भी पुनः स्थापित करने का है ?

समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) बिहार, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, हरियाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा हिमाचल प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और मैसूर के भागों में पासी जाति अनुसूचित जातियों में शामिल है।

(ख) तथा (ग) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का समूचा प्रश्न अभी विचाराधीन है।

कलकत्ता में हुंडियों का पकड़ा जाना

*623. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री बागड़ी :
श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **वित्त मंत्री** कलकत्ता में हुंडियों के पकड़े जाने के बारे में 28 जुलाई 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) सीमाशुल्क सम्बन्धी जांच-पड़ताल पूरी हो चुकी है। आयकर की चोरी सम्बन्धी जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

(ख) और (ग) : सीमाशुल्क विभाग ने बीजक में कम रकम दिखाने तथा आयात लाइसेंसों में चोर बाजारी करने के सम्बन्ध में तीन 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिये हैं। न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है।

धन का लेन-देन करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियां

*624. **श्री स० च० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री महेश्वर नायक
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन का लेन-देन करने वाली गैर-सरकारी कम्पनियों (प्राइवेट फाइनेंस कम्पनी) तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाओं के विरुद्ध बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए उनकी संख्या को बढ़ने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही करने, तथा उनके कार्य को विनियमित करने के लिये कोई कानून बनाने का जिसके अन्तर्गत इन कम्पनियों को अधिकृत बैंकों में समुचित वित्तीय प्रतिभूति की व्यवस्था करनी पड़े, सरकार का विचार है ;

(ख) क्या दिल्ली में धन का लेन-देन करने वाली उन दो कम्पनियों के मालिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो सितम्बर, 1966 के तीसरे सप्ताह में इन कम्पनियों में 2500 से अधिक लोगों द्वारा जमा कराये गये छः लाख रुपये लेकर लापता हुए बताये गये थे ; और

(ग) धन लेन-देन करने वाली अनेक कम्पनियों द्वारा की जाने वाली धोखा-देही की शिकायतों के बारे में अपराध अन्वेषण विभाग (सी० आई० डी०) द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) सरकार और रिजर्व बैंक के पास ऐसी प्रर्याप्त सांविधिक शक्तियां है जिनके आधार पर धन का लेन-देन करने वाली गैर सरकारी कम्पनियों और जन साधारण से जमा करने के लिये धन स्वीकार करने वाली अन्य संस्थाओं के कार्यों को नियमित किया जा सकता है। जमा करने वालों के हितों की रक्षा करने के लिये रिजर्व बैंक ने भी गैर सरकारी बैंकिंग कम्पनियों को आवश्यक अनुदेश दिये हैं।

(ख) पूरे विवरण के अभाव में सरकार इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं।

(ग) जनवरी 1965 से दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किये गये 20 मामलों में से 4 खारिज कर दिये गये हैं, 4 मामलों के सम्बन्ध में अदालती कार्यवाही चल रही है और 12 मामलों में छानबीन चल रही है।

अमरीकी परियोजना सहायता

***625. श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संबंधी अमरीकी अभिकरण ने सरकार को इस वर्ष के लिये अमरीकी परियोजना सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव को नवम्बर 1966 के अन्त तक पेश करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये प्रस्ताव पेश कर दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) कितनी सहायता मांगी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकारियों ने जुलाई और अगस्त, 1966 में भारत सरकार को यह बताया था कि भारत सरकार प्रायोजनाओं के लिये ऋण प्राप्त करने का जो अनुरोध करेगी, उस पर वे विचार करेंगे।

(ख), (ग) और (घ) : चौथी आयोजना की रूपरेखा का मसविदा तैयार होने के बाद, भारत सरकार ने उन उपयुक्त प्रायोजनाओं और कार्यक्रमों का चुनाव शुरू कर दिया है, जिनके लिए अगले बाहर से अठारह महीने की अवधि में ऋण देने के लिए अमरीकी सहायता प्राधिकारियों से अनुरोध किया जायगा। इस काम के जल्दी ही पूरा हो जाने की संभावना है।

टाइप 3 के क्वार्टरों का बाजार-भाव किराया

***626. श्री हरि विष्णु कामत :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टाइप 3 के क्वार्टर का, जिसके लिये 250 रुपये से लेकर 400 रुपये मासिक तक वेतन पाने वाले कर्मचारी पात्र होते हैं, बाज़ार भाव का किराया, पानी तथा बिजली के खर्च के अतिरिक्त 397.00 रुपये मासिक निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह किराया किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

संतति निग्रह

***627 श्री यशपाल सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में गर्भनिरोधक उपायों के द्वारा संतति-निग्रह करने के लिये कुल कितनी धनराशि नियत करने का विचार है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने परिवार नियोजन के लिये नियत की गई राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिये किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) (क) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान गर्भ-निरोधक उपायों के लिये 9536.63 लाख रुपये की अस्थायी नियत करने का प्रस्ताव है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

सुनारों को रोज़गार देना

***628. श्री स० मो० बनर्जी : श्री दाजी :**

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण आदेश में हाल में नर्मी किये जाने के बाद भी बेरोज़गार हुए

सभी स्वर्णकारों को पूरे समय का काम तक नहीं दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा और क्या कार्यवाही की जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) :

(क) भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम 1966, जो 1 नवम्बर 1966 को अधिसूचित किये गये थे, उनके द्वारा स्वर्ण नियंत्रण आदेश की व्यवस्था को शिथिल कर दिया गया है और इसलिए स्वर्णकारों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ जायेंगे । इतना शीघ्र यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इन नियमों के कारण विस्थापित स्वर्णकारों को किस सीमा तक पूरे समय का काम मिल सकेगा ।

(ख) जो स्वर्णकार सोनारी के धन्धे में वापस नहीं जाना चाहते, उनके लिए पुनर्वास योजनाओं के चालू रखने की अनुमति भी सरकार ने दे दी है ।

सहकारी ऋण समिति

***630. श्री प्र० चं० बरुआ** :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि ऋण विभाग ने निर्णय किया है कि उन सहकारी ऋण समितियों पर जिनकी प्रदत्त पूंजी एक लाख रुपये या इससे अधिक है समवाय विधि (सहकारी समितियों पर लागू करना) अधिनियम, 1965 के उपबन्ध लागू होंगे, यदि उन समितियों के पास उनके सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों/पक्षों की राशि जमा हो;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में इन समितियों के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था; और

(ग) इससे इन समितियों के सदस्यों अथवा उनके पास पैसा जमा करने वालों को क्या लाभ पहुँचेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) बैंकिंग विधि (सहकारी समितियों पर प्रयुक्ति) अधिनियम (बैंकिंग ला ऐप्लिकेशन टु कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट) 1965 के अन्तर्गत, जो 1 मार्च, 1966 से लागू हुआ है, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के महत्वपूर्ण उपबन्ध उस प्रकार की सहकारी समितियों पर लागू कर दिये गये हैं जिनका उल्लेख प्रश्न में किया गया है ।

(ख) यह कानून प्रमुख सहकारी संस्थाओं, अखिल भारतीय राज्य सहकारी बैंक संघ (आल इंडिया स्टेट कोआपरेटिव बैंक फेडरेशन), राज्य सरकारों और रिजर्व बैंक के कृषि ऋण विभाग की स्थायी सलाहकार समिति से सलाह करने के बाद बनाया गया था ।

(ग) सहकारी बैंकों पर भी रिजर्व बैंक का नियंत्रण हो जाने से, जमा बीमा निगम अधिनियम (डिपाजिट इंश्योरेंस कारपोरेशन ऐक्ट), 1961 में प्रस्तावित संशोधन हो जाने के बाद, सहकारी बैंकों में जमा करायी गयी रकमों का बीमा भी जमा बीमा निगम के द्वारा कराया जा सकेगा, बशर्ते कि सम्बद्ध राज्य सरकारें भी सहकारी समितियों सम्बन्धी अपने कानूनों में उपयुक्त संशोधन कर दें ।

स्वयंसेवी संस्थायें

2772. श्री उटिया : **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के कार्य में लगी हुई किन्हीं स्वयंसेवी संस्थाओं की आर्थिक सहायता की प्रार्थना अस्वीकृत कर दी अथवा उन्हें आर्थिक सहायता देना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के नाम क्या है तथा उसके क्या कारण है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7487/66**]

पीने के जल की कमी

2773. श्री उटिया : **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 28 जुलाई 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 100 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन राज्यों से जहां पीने के पानी की कमी है, सहायता के सम्बन्ध में इस बीच कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार को इस बीच राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तथा गुजरात राज्यों से सहायता के लिये कोई विशेष प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी संलग्न में दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया-- देखिये संख्या एल० टी० 7482/66**]

खाद्य अपमिश्रण

2774. श्री उटिया : **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 93 के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे :

(क) खाद्य अपमिश्रण के मामलों की संख्या राज्य-वार कितनी कितनी है; और

(ख) एक वर्ष से कम तथा एक वर्ष से अधिक अवधि की कैद के दण्ड का पृथक् पृथक् ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख) एक ऐसा विस्तृत विवरण साथ में जोड़ दिया गया है जिसमें उपलब्ध जानकारी दी गयी है।

[पुस्तकालय में रखा गया : देखिये संख्या एल० टी० 7483/66]

ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां बनाने के भेषजालय

2775. डा० कोहोर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक और यूनानी दवाइयां बनाने वाले पंजीयित और लाइसेंस-प्राप्त भेषजालयों की संख्या राज्यवार कितनी-कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा ऐसे कोई भेषजालय चलाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उन पर कितनी राशि खर्च की गई है तथा आगामी वर्ष के लिये कितना धन नियत किया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) से (ग) राज्य सरकारें संघीय राज्य-क्षेत्रों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और समय पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में सरकारी सहायता प्राप्त होम्योपैथिक कालेज

2776. डा० कोहोर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी सहायता-प्राप्त होम्योपैथिक कालेजों की, राज्यवार, संख्या क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों में उन कालेजों को कितनी धनराशि दी गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सरकारी सहायता-प्राप्त होम्योपैथिक कालेजों के नाम और गत तीन वर्षों में उनको दी गयी राशि का ब्यौरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 7484/66]**

सरकार द्वारा चलाये जा रहे होम्योपैथिक अस्पताल तथा कालेज

2777. डा० कोहोर :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य/केन्द्रीय सरकारों द्वारा चलाये जा रहे होम्योपैथिक कालेजों तथा अस्पतालों की संख्या, राज्यवार, पृथक पृथक कितनी है और उनके नाम क्या हैं तथा वे किन स्थानों पर हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में अब तक इन कालेजों पर कितनी आवर्ती तथा अनावर्ती राशि खर्च की गई है; और

(ग) आगामी वर्ष के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा कालेज

2778: डा. कोहोर : श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित ऐसे आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा कालेजों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है जिन्हें केन्द्रीय/राज्य सरकारें चलाती हैं तथा वे किस-किस तारीख को स्थापित किये गये थे;

(ख) गत तीन वर्षों में उन पर कितना आवर्ती तथा अनावर्ती खर्च किया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसे और कालेज खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों में तथा उनके लिये कितना धन नियत करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर)

(क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) और (घ) औषधियों की देशी स्वदेशी पद्धतियों, जिनमें आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धतियां भी सम्मिलित हैं, के विकास के लिये चौथी योजना-काल में राजकीय क्षेत्र के लिये कुल 5 करोड़ रुपये की राशि का परिव्यय नियत करने का प्रस्ताव है। इसमें ऐसे आयुर्वेदिक तथा यूनानी कालेजों को स्थापित करने/विकसित करने की व्यवस्था भी सम्मिलित हैं जिनके बारे में राज्य सरकारें कोई निर्णय करें। राज्यों की अन्तिम योजनाएं तैयार हो जाने के बाद ही इस मद के लिये नियत राशि का पता चल सकता है।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

2779. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1946-47 से 1965-66 तक प्रति वर्ष कितने घाटे की अर्थ-व्यवस्था की गई ;

(ख) 1946-47 से 1965-66 तक प्रति वर्ष कितनी राशि का विदेशी ऋण/सहायता प्राप्त की गई ;

(ग) 1946-47 से 1965-66 तक प्रति वर्ष कुल कितना रुपया परिचलन में था ; और

(घ) 1946-47 से 1965-66 तक सामान्य मूल्य देशनांक, उपभोक्ता मूल्य देशनांक, खाद्यान्न मूल्य देशनांक, औद्योगिक वस्तु मूल्य देशनांक तथा विश्व का सामान्य मूल्य देशनांक क्या क्या थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें तुलनीय वर्षों के

आसानी से उपलब्ध आंकड़े दिये गये है। [**पुस्तकालय में रखा गया-देखिये संख्या एल० टी० 7485/66**] विश्व के सामान्य मूल्य देशनांक के बारे में कोई जानकरी उपलब्ध नहीं है।

मंत्रियों तथा अधिकारियों के निवास स्थानों में किये गये परिवर्तन तथा परिवर्द्धन

2780. श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री मं० रं० कृष्ण

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे, जिसमें अप्रैल, 1962 से लेकर अगस्त, 1965 तक तथा सितम्बर, 1965 से लेकर अक्तूबर, 1965 तक मंत्री-परिषद् के सदस्यों तथा अवर सचिवों और ऊपर के अधिकारियों के निवास स्थानों पर किये गये सभी प्रकार के परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों पर खर्च हुई राशि बताई गई हो और उन मंत्रियों तथा अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उक्त अवधि में उनके निवास स्थानों पर किये गये परिवर्तनों तथा परिवर्द्धनों पर किया गया व्यय बताया गया हो ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

सूचना एकत्रित की जा रही है, तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Statues of Leaders

2782. Shri Rananjai Singh : Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state ;

(a) the names of the Indian Leaders whose statues have been put up in New Delhi.

(b) the name of the agency responsible to look after their cleanliness;

(c) the periodicity of the cleaning being done; and

(d) the dates since when cleaning has not been done in respect of each statue ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna)

(a) to (d) A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in the Library. See No. LT—7486/66]**

औषधीय पौधों सम्बन्धी योजना

2783. श्री राधेलाल व्यास :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस की औषधीय पौधों सम्बन्धी योजना का अध्ययन करने के लिये उनके मंत्रालय का कोई अधिकारी वहां भेजा गया था ;

(ख) वह कितने दिनों तक वहां रहा तथा उसने कितने स्थानों का दौरा किया ;

(ग) क्या उसने योजना सम्बन्धी अपने अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) जी, हां।

(ख) दो सप्ताह। उसने दो स्थानों का दौरा किया जिनके नाम ये हैं—(1) मास्कों के विलर नामक उपनगर में स्थित आता यूनियन इंस्टीटयूट आफ मेडिसीनल एण्ड एरोमेटिक प्लांट्स नाम की एक संस्था और (२) कोकासस में कोबुलेटी नामक स्थान पर स्थित जोनल एक्सपेरीमेन्टल स्टेशन आफ मैडिसीनल प्लांटस।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

लहरिया सराय में ऊन के व्यापारियों से सोना बरामद किया जाना

84. **श्री उटिया :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त मंत्री** 28 जुलाई 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 538 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में लहरिया सराय में ऊन के व्यापारियों से 1500 ग्राम सोना पकड़े जाने के मामले की जांच-पड़ताल इस बीच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, हां।

(ख) जैसा कि अतारांकित प्रश्न संख्या 538 के उत्तर में कहा गया है, चार मामलों में 1589 ग्राम सोना तथा 62, 512, 522 ग्राम सोने के आभूषणों का सम्बन्ध आता है।

(i) इनमें से 91 ग्राम सोना तथा 23978.222 ग्राम सोने के आभूषणों से सम्बन्धित दो मामलों का न्याय निर्णय हो चुका है। सोना जब्त कर लिया गया है।

(ii) 1498 ग्राम सोना तथा 23978.222 ग्राम सोने के आभूषणों से सम्बन्धित बाकी दो मामलों में न्यायनिर्णय की कार्यवाही अभी भी चल रही है।

विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का उल्लंघन

2785. **श्री किशन पटनायक :** **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त मंत्री** 4 अगस्त 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 257 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में चार फर्मों और पांच व्यक्तियों, थाना में एक फर्म और बड़ौदा में एक फर्म और एक व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों का उल्लघन करके किये गये सौदों के मामलों की जांच इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) इन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग) : प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित फर्मों के विभिन्न स्थानों की और व्यक्तियों की तलाशी के दौरान पकड़े गये कागजात के आधार पर मैसर्स स्टार ट्रेडिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, एपोलो स्ट्रीट, बम्बई-1 के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गयी थी। इस मामले पर प्रवर्त्तन निदेशक द्वारा न्याय-निर्णय किया गया था और पकड़ी गई विदेशी मुद्रा को जब्त करने के अलावा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम को उल्लंघन करते हुए किये गये विभिन्न अवैध लेन-देनों के सम्बन्ध कुल 1,75,000 रुपये के कई दण्ड लगाये गये थे।

महाराष्ट्र में मोहोल गांव के लिये जल संभरण योजना

2786. श्री सोनावने :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में जिला शोलापुर के मोहोल गांव की जल संभरण योजना कुछ समय पूर्व केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी के लिये भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो योजना कब प्राप्त हुई थी ; और

(ग) योजना की मंजूरी कब दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क), (ख) और (ग) शोलापुर ज़िले के मोहोल गांव की जल सम्भरण योजना सितम्बर 1964 में केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजिनियरी संगठन में प्राप्त की गयी थी। इस योजना की जांच की गयी थी और अक्टूबर 1964 में कुछ तकनीकी टिप्पणियों सहित यह योजना वापिस राज्य सरकार को भेज दी गयी थी। राज्य सरकार से इस योजना का संशोधित ब्योरा जुलाई 1965 में प्राप्त हुआ। सितम्बर 1965 में यह योजना फिर राज्य सरकार को वापिस भेज दी गई क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा तकनीकी मामले के सम्बन्ध में दी गयी टिप्पणियों के अनुरूप नहीं थी। राज्य सरकार ने इसका तकनीकी ब्यौरा जून 1966 में फिर भेजा तथा 19 नवम्बर 1966 को इस योजना का केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन द्वारा क्रियान्वयन किये जाने के लिये अनुमोदन कर दिया गया।

केरल राज्य के अस्पतालों के कर्मचारी

2787. श्री वासुदेवन नायर : श्री वारियर :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वेतन पुनरीक्षण की असंगतियों को दूर करने से इन्कार किये जाने के कारण केरल के अस्पतालों के कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से सीधी कार्यवाही करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्पतालों में चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के कुछ वर्गों को वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से भी कम वेतन क्रम दिया गया था : और

(ग) क्या इन असंगतियों को दूर करने से लिये कोई कार्यवाही का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Foreign Exchange Racket

2788. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Rameshwaranand :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Indian Firm M/s Narang Rai Nand Kishore operating in Burma is indulging in the theft of foreign exchange in association with a Bombay firm, M/s Makenzies Ltd;

(b) the amount of foreign exchange sanctioned and spend by the firm;

(c) whether it is also a fact that this firm is responsible for a big evasion of Income-tax in association with M/s Makenzies Ltd; and

(d) if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhri) :

(a) to (d) : The information is being collected and it will be laid on the Table of the House as soon as possible.

स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन के विरुद्ध करांपवचन के आरोप

2789. श्री मधु लिमये : श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त मंत्री** 18 अगस्त 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2623 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय डा० टी० सैफुद्दीन की सम्पत्ति पर कर-अपवंचन के आरोपों की जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, नहीं । जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष

2790. श्री मधु लिमये : श्री किशन पटनायक :

डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त मंत्री** 25 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3305 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा जल्दबाजी में निपटाये गये मामलों की छानबीन इस बीच पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो जिस अधिकारी के विरूद्ध इतने गम्भीर आरोप लगाये गये हैं, उसका कार्यकाल बढ़ाने का विचार किये जाने के क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष द्वारा निपटाये गये मामलों की छान-बीन पूरी हो चुकी है। छान-बीन से जल्दबाजी का कोई सबूत नहीं मिला है। लोक-सभा के पन्द्रहवें सत्र में 25-8-66 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3305 के उत्तर में दिया गया आश्वासन भी इस बीच पूरा किया जा चुका है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 21 जनवरी 1967 तक है। वर्तमान अधिकारी के कार्यकाल में वृद्धि का सवाल प्रशासनिक मामला है किन्तु ऐसा सवाल पैदा नहीं हुआ है और इसलिए इस समय उसके कार्यकाल में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है। इस अधिकारी के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है।

श्री हरि दास मूंदड़ा के विरुद्ध मामले

2791. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त मंत्री** 18 अगस्त 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2625 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के व्यापार बोर्ड के निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें कुछ विदेशी मुद्रा सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के बारे में बताया गया है ; श्री हरि दास मूंदड़ा को इस बीच 'कारण बताओ' नोटिस दिया गया है ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में उल्लिखित कर-अपवंचन के मामले की भी इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ग) यदि हां, तो श्री मूंदड़ा ने 'कारण बताओ' नोटिस का क्या उत्तर दिया है ; और

(घ) क्या सरकार द्वारा इन दोनों मामलों में और कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) श्री मूंदड़ा द्वारा विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन होने से प्रवर्तन निदेशालय ने उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर श्री हरिदास मूंदड़ा को एक 'कारण बताओ' मीमो जारी किया है।

(ख) जी, नहीं। जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी किये गये 'कारण बताओ' मीमो का उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) इस समय यह बताना लोकहित में नहीं होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करेगी।

विदेशों से ऋण

2792. डा० म० मो० दास:
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद:
श्री स० च० सामन्त :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से लेकर आज तक हमने किन-किन विदेशी सरकारों से ऋण लिये हैं ;

(ख) इन ऋणों की कुल राशि कितनी है; और

(ग) इन ऋणों की शर्तों के अनुसार भारत द्वारा कितनी राशि वार्षिक ब्याज के रूप में दी जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी)

(क) से (ग) : सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 7476/66]

M/s. Oriental Timber Trading Corporation and M/s. Makenzies Ltd.

2793: **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the partners of the M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., Bombay and M/s. Makenzies Ltd. Bombay have started their firm under different names at various places in the country and also abroad with a view to evade Income-tax;

(b) if so, the number of firms connected with these persons, their names and the places where they have been started;

(c) whether it is also a fact that the aforesaid persons obtain loans from the banks and big contracts from Government by showing the same capital through irregular paper entries;

(d) whether an enquiry into the aforesaid firms has been held on the basis of the rule which provides that the accounts of the various firms of certain persons of the same family should be checked simultaneously by the same Income-tax Officer; and

(e) if not, the steps being taken by Government to detect the evasion of Incom-tax in such a manner ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) and (b) : M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd, & M/s. Makenzies Ltd, are incorporated companies and have no partners. There are a number of concerns in Bombay in which the persons controlling M/s. Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. and M/s. Makenzies Ltd. are interested. Some of them are old ones and the others have been started during the last few years. Government have no information that these concerns have been started for evading income-tax. Government have also no information about firms started abroad.

The names of the connected concerns are :—

1. M/s. Jhunjhunwala Bros.

2. M/s. Shreeram Ramiranjan.
3. Partnership concerns for executing the contracts at Ranchi, Roorkela, Ootacamund and Sharavati,
4. Jhunjhunwala Jarvies Limited.
5. Rayon Pulp Manufacturing Ltd.
6. Kalyan Pulp and Paper Mills Ltd.
7. National India Traders Private Ltd.
8. R. J. and Sons.

All these concerns are located in Bombay.

(c) Government have no information.

(d) and (e) : There is no such rule. Action, however, is being taken by the Central Board of Direct Taxes to centralise all these cases for facility of investigation.

M/s. Oriental Timber Trading Corporation

2794. Shri Hukam Chand Kachhavaiya **Shri Raghunath Singh :**
Shri S. L. Verma : **Shri Rameshwaranand :**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the total quantity of raw materials consumed by M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., Bombay during 1962—63, 1963—64 and 1964—65 and the total quantity of goods produced and the excise duty paid to Government during each year;

(b) the total amount of insurance policies obtained by the said Corporation under the Emergency Risks Factories Insurance Scheme, Emergency Risk Goods Insurance Scheme, Fire Insurance and Workmen's Compensation Insurance Scheme, separately;

(c) the amount of excise duty that appears to have been evaded under the Emergency War Risk scheme by this Corporation on the basis of figures in reply to parts (a) and (b) above; and

(d) the action being taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) The figures for raw-materials consumed and those of goods produced by M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd., during 1962—63, 1963—64, and 1964—65 are not available. The company is reported to be dealing in timber which is not an exciseable product and therefore, the question of payment of excise duty to Government does not arise.

(b) The company is insured for a sum varying between Rs. 20 lakhs and Rs. 25 lakhs per quarter under the Emergency Risks (Factories) Insurance Scheme and for a sum ranging from Rs. 8.20 lakh to Rs. 10 lakhs under the Emergency Risks (Goods) Insurance Scheme during the different quarters.

In its applications for the insurance under the Emergency Risks (Goods) & (Factories) Insurance Schemes the company has intimated that it has taken insurance against fire for sums of about Rs. 24 lakhs for factories and between Rs. 6 and 11 lakhs for goods.

As regards the insurance under the Workmen's Compensation Insurance Scheme, the company is not required to intimate the amount of insurance to the Government as the insurance is taken voluntarily.

(c) and (d) : In view of the reply given to part (a), the question of collection of excise duty under the Emergency Risks Insurance Scheme does not arise. But if the reference is to the evasion of premium under the Emergency Risks Insurance Schemes, the exact amount is not yet known and is under investigation. If and when any evasion of premium is revealed it will be suitably dealt with according to the provisions of the concerned statutes.

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के लिये मकान

2795. श्री स० मो० बनर्जी : श्री दाजी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाने के लिए कुछ धनराशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो 1965 में कितने मकान बनाये जायेंगे ;

(ग) क्या कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण भी दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो 1965 में कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी, हां ।

(ख) 55 (लगभग)

(ग) जी, हां ।

(घ) 1-1-1966 से 31-8-1966 के बीच 16.28 लाख रुपये ।

मैसर्स टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड (टैक्समार्क)

2796. श्री स० मो० बनर्जी : श्री दाजी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टैक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के कार्यालय में 1965 में तलाशी ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फर्म के निदेशों के घरों की भी तलाशी ली गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) सूचना के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने 20 और 22 सितम्बर 1965 के बीच मैसर्स टेक्सटाइल मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता की खाना-तलाशी ली ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सूचना के स्वरूप को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह आवश्यक नहीं समझा गया ।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में जेट्टियों तथा बन्दरगाहों का निर्माण

2797. श्री मती सावित्री निगम : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में जेटी, बन्दरगाह तथा अन्य समुद्रीय कार्य अन्डमान लोक निर्माण विभाग से सेना ने अपने हाथ में ले लिये थे तथा इसका अधिकांश भाग मुख्य समुद्रीय इंजीनियर ने अपने हाथ में ले लिया था ; और

(ख) यदि हां, तो अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लोक निर्माण विभाग के आठों डिवीजनों को बनाये रखने के लिए क्या औचित्य है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) नौसेना अधिकारियों ने गहरे पानी के घाट बनाने का कार्य शुरू किया है। प्रिंसीपल इन्जीनियर (मैरीन) ने नोनकोवरी, मायाबंदर तथा एरियल बे में जेट्टियों का निर्माण आरम्भ किया है। अन्डमन का लोक निर्माण विभाग, मूस में जैट्टी, सूखे डाक तक जाने वाली चैनल की तल की मिट्टी साफ़ करना तथा सूखे डाक तक उपनिचान (पिचिंग) बनाना जैसे कुछ कार्य बराबर कर रहा है।

(ख) अन्डमन के लोक निर्माण विभाग में आजकल सात डिवीज़न हैं। लोक निर्माण विभाग के डिवीज़नों के औचित्य का आधार वर्तमान मापदण्ड के अनुसार निर्माण कार्य किया जाने का मूल्य है।

अंडमान लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर मांगना

2798. श्रीमती सावित्री निगम : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में अंडमान लोक निर्माण विभाग ने कुल कितने ठेकेदारों को काम पर लगाया तथा उन्होंने कितनी लागत का काम किया और कुल कितनी राशि मंजूर की गई थी ;

(ख) कितने मामले मध्यस्थ निर्णयाधीन हैं ;

(ग) कितने ठेकेदारों को भुगतान करना काफी समय से बाकी पड़ा है ; और

(घ) उनके भुगतान को रोकने अथवा उन्हें समय पर भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

नर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)

(क) i. पिछले तीन वर्षों में अन्डमन के लोक निर्माण विभाग के द्वारा काम पर लगाये गये ठेकेदारों की संख्या 29 है।

ii. पिछले तीन वर्षों में उनके द्वारा किये गये कार्य का कुल मूल्य 12,90,740 रुपये है।

iii. उसी अवधि के लिए मंज़ूर की गयी कुल राशि 4,17,65,320 रुपये है।

(ख) तीन मामले हैं, जिनमें से एक में निर्णय (अवार्ड) दिया जा चुका है।

(ग) एक।

(घ) ठेकेदारों के द्वारा कच्चे गोल पत्थरों की सप्लाई तथा उसका मैटेरियल को समुचित रूप से स्टाक करने में असफल होना।

अंदमान लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों के प्राक्कलनों से अधिक राशि खर्च होना

2799. श्रीमती सावित्री निगम : श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंडमान लोक निर्माण विभाग कभी भी आरम्भ में मंजूर किये

गये प्राक्कलनों के अनुसार कार्य पूरा नहीं करता है बल्कि दूसरी और तीसरी बार पुनरीचित प्राक्कलनों के अनुसार कार्य पूरा करता है जिसके कारण लागत आरम्भ में अनुमानित राशि से कई गुना अधिक बढ़ जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत दो वर्षों में कितने कार्यों पर आरम्भ में रखे गये प्राक्कलनों से अधिक लागत आई तथा बाद में पृथक पृथक कार्यों के लिए कितनी राशि रखी गई;

(घ) इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)

(क) से (ङ) : प्रश्न एक सामान्य प्रकार का है। यदि किसी विशेष अवधि में किसी विशेष कार्य के संबंध में सूचना मांगी जाये तो सूचना एकत्रित करने का प्रयत्न किया जायेगा।

बम्बई में पकड़ी गई घड़ियां

2800. श्री बागड़ी : श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव : श्री हुकम चन्द कछवाय।
श्री बड़े : श्री विश्राम प्रसाद :
श्री उटिया : श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्तमन्त्री** बम्बई में पकड़ी गई घड़ियों के बारे में 23 जुलाई 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 481 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तब से जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) : जी, हां।

(ख) : न्यायनिर्णय सम्बन्धी कार्यवाही के परिणामस्वरूप 57,000 रुपये मूल्य की घड़ियां पूर्णतः जब्त कर ली गयी हैं। कोई निजी दण्ड नहीं लगाये गये हैं। शेष 27,000 रुपये मूल्य की घड़ियों के बारे में, सम्बन्धित व्यक्तियों को 'कारण बताओ' मीमो जारी किये गये हैं।

राज्यों में कृषि के लिये बिजली का कोटा

2801. श्री सुबोध हंसदा : श्री स० च० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ : श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद : डा० म० मो० दास :

क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कृषि कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई का कोई कोटा निर्धारित किया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या ऐसी कोई व्यवस्था करने का सरकार का विचार है ; और

(ग) कृषकों को बिजली सप्लाई करने की वर्तमान व्यवस्था क्या है ;

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री कु० ल० राव) :

(क) और (ख) जी, नहीं। सामान्यतः यह कहा जा सकता है कि कृषि के लिये कनेक्शन देने में बिजली की कमी बाधक नहीं है।

(ग) यदि पड़ोस में प्रेषण-लाइन उपलब्ध है और कनक्शन पर राज्य विशेष द्वारा इस उद्देश्य के लिये निर्धारित राशि से अधिक खर्च नहीं आता है तो विभिन्न राज्यों में किसानों को बिजली दी जा रही है। इसके साथ ही राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे ऐसे कनेक्शनों की शर्तों को उदार बनायें, जैसा कि राज्य बिजली बोर्डों के प्रधानों के नवम्बर 1965 में हुये सम्मेलन में सिफारिश की गयी थी।

दामोदर घाटी निगम

2802. श्री सुबोध हंसदा : **श्री स० चं० सामन्त**

श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री भागवत झा आजाद :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **डा० म० मो० दास :**

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम ने अपने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली तथा कर्मचारी व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए दो विशेष समितियां नियुक्त की थीं;

(ख) क्या इन समितियों ने अपना कार्य पूरा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये हैं;

(ग) यदि हां, तो निगम की कार्य कुशलता तथा अर्थ व्यवस्था को बढ़ाने के सम्बन्ध में इन समितियों ने क्या महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ; और

(घ) क्या निगम ने इन सुझावों को स्वीकार कर लिया है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री कु० ल० राव) :

(क) जी, हां।

(ख) से (घ) अपने बिजली विभाग की कार्य-प्रणाली और कर्मचारी-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए दामोदर घाटी निगम द्वारा नियुक्त की गई समितियों ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और उसकी रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

बिजली विभाग से अन्य विभागों का ऐसा ही अध्ययन करने के लिए स्थापित समिति ने पांच विभागों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे दिया है। प्रतिवेदन में दी गई कुछ शर्तें निम्न प्रकार हैं :

(1) कर्मचारियों की संख्या घटाना।

(2) कार्यकारी अधिकारियों को अधिक शक्तियां देना ताकि मुख्य कार्यालय से कम मामलों में निर्णय के लिए कहा जाय।

(3) दोहरे काम को रोकने के लिए कार्यालय-प्रक्रिया को सरल बनाना अर्थात् एक फाइल पद्धति को अपनाना, विभिन्न स्तरों पर फाइल-कार्य को कम करना आदि।

(4) संगठन और रीति का अध्ययन करने वाले एकक की स्थापना।

(5) सराहनीय कार्य के लिए प्रेरक उपायों को अपनाना।

(6) कर्मचारियों का प्रशिक्षण ।

(7) अधिकारियों और विभागाध्यक्षों द्वारा कार्यालयों का समय पर निरीक्षण ।

(8) व्यय का यथासम्भव विकेन्द्रीकरण ।

यह समिति शेष विभागों का निरीक्षण अभी कर रही है । जब तक अन्य विभागों के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन तैयार होगा तब तक निगम ने पांच विभागों के सम्बन्ध में दी गई सिफारिशों को मान लिया है और निम्नलिखित के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं :

(1) नियमित और तकनीकी पदों के लिये प्राथमिक सीधी भरती पर रोक लगाना ।

(2) चार्क-चार्ज कर्मचारियों की आगे भरती बन्द करना ।

(3) निगम के समयोपरि भत्ते, यात्रा भत्ते और आकस्मिक खर्च सम्बन्धी बजट में 10 प्रतिशत कटौती ।

(4) गाड़ियों पर होने वाले खर्च में कमी ।

दामोदर घाटी निगम के जलाशयों में पानी की कमी

2803. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी ।
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद ।
श्री म० मो० दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दामोदर घाटी निगम के जलाशयों में पानी की कमी होने के कारण पन बिजली संयंत्र बन्द करने पड़े थे;

(ख) यदि हां, तो वे कितने दिन बन्द रहे;

(ग) क्या अब वे चालू हो गये हैं ; और

(घ) क्या इस राज्य की बिजली की सप्लाई पर कोई प्रभाव पड़ा था तथा क्या कमी को पूरा करने के लिये कोई अन्य व्यवस्था की गई थी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव):

(क) दामोदर घाटी निगम के जलाशयों में पानी की कमी के कारण तीन जलविद्युत स्टेशनों में से पंचेट हिल स्टेशन और तिलैया स्टेशन पहले ही बन्द कर दिये गये है। मेथन जल-विद्युत स्टेशन अभी बन्द किया गया है और यह अगले महीने मुख्य उद्देश्यों के लिए कार्य करेगा ।

(क) और (ग) : ये जल-विद्युत स्टेशन पूरे सूखे मौसम में बन्द रहेंगे और वर्षा से जलाशय में पानी पूरा हो जाने पर ये काम करना शुरू करेंगे। मेथन जल-विद्युत स्टेशन भी दिसम्बर 1966 से 2 या 3 महीने तक कार्य करेगा ।

(घ) जी, नहीं । सामान्यतः जल-विद्युत स्टेशनों को बिजली की अत्यधिक आवश्यकता के समय ही उपयोग में लाया जाता है । जल-विद्युत के उत्पादन में कमी हो जाने से तापीय विद्युत संयमों को ही फालतू भार वहन करना पड़ेगा । चूंकि दामोदर घाटी निगम की यह व्यवस्था अन्य कोई व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई है, इसलिये यह आवश्यकता पड़ने पर दूसरों से सहायता ले सकती है। दुर्गापुर में दामोदर घाटी निगम का 140 मेगा वाट का एक नयी तापीय एकक शीघ्र शुरू होने जा रहा है । इसके शुरू हो जाने पर यह न केवल दामोदर घाटी निगम की अपनी आवश्यकता पूरी करेगा बल्कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए आस-पड़ोस की बिजली व्यवस्थाओं को भी कुछ समय तक बिजली सप्लाई कर सकेगा ।

Unauthorised Colonies in Delhi

2804. **Shri Yashpal Singh :** **Shri Bade :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether the people living in unauthorised colonies of Delhi have recently approached Government for regularisation of the constructions made by them; and

(b) if so, the decision taken by Government in the matter ?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna : (a) Yes.

(b) It has been decided that unauthorised constructions made before 1st September, 1962, i. e. the date on which the Delhi Master Plan came into force, may be considered for regularisation if they can be fitted into the approved lay - out plans of their areas and are not situated on land ear - marked green or for roads and community facilities. Unauthorised constructions of this category which cannot he regularised will be demolished and their owners given compensation for their land and allotted alternative sites in nearby areas. For this purpose, a survey of all unauthorised constructions/colonies will be carried out and thereafter proposals formulated for their regularisation/development.

दिल्ली में फेरी वालों के लिये श्रमिक शिविर तथा बाजार

2805. श्री श्रीनारायण दास :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में जहां पर फेरी वालों को कम किराये पर दुकानें दी जा सकें, मजदुरों के लिये शिविर तथा छोटे बाजार बनाने की व्यापक योजना तैयार करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है ;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम ने उन लोगों तथा अनधिकृत रूप से रह रहे लोगों का योजनाबद्ध तरीके से पुनर्वास करने के लिये सरकार से सहायता मांगी है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) से (ग) 31 जुलाई, 1960 के बाद दिल्ली में सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर जिन्होंने अनधिवास किया है उन लोगों को दिल्ली की शहरी सीमा पर बैरक की तरह के सामुदायिक शेडों में स्थान देने की व्यवस्था करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो दिल्ली नगर निगम के द्वारा शेड बनाये जायेंगे तथा सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहायता दी जायेगी।

अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेन्सड) रेंहड़ी वालों तथा सड़क की पटरी के खोम्चे वालों के पुनर्वास के लिये दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका का प्रस्ताव है कि विभिन्न क्षेत्रों में स्टाल तथा बाज़ार बनाये जायें। नई दिल्ली नगरपालिका की दुकानें/बाज़ार बनाने के लिए भूमि का अनुरोध विचाराधीन है।

नेपाल में त्रिशूली पनबिजली परियोजना

2806. **डा० म० मो० दास :** **श्री ब० कु० वास :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **सिंचाई और** विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायता कार्यक्रम के एक अंश के रूप में भारत द्वारा नेपाल में क्रियान्वित की जा रही त्रिशूली पनबिजली परियोजना पूरी होने वाली है तथा तीन जनरेटरों में से एक जनरेटर चालू हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है ; और

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है और उसमें से विदेशी मुद्रा की राशि कितनी है ?

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (श्री कु० ल० राव) :

(क) त्रिशूली जल विद्युत परियोजना के प्रथम चरण के अधीन तीनो जनरेटरों ने काम शुरू कर दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस परियोजना का पुनरीक्षित अनुमानित लागत 12·87 करोड़ रुपये हैं । इस पर लगभग 1,057,500 पौंड की विदेशी मुद्रा खर्च होगी ।

कृषि पर व्यय की गई विदेशों से प्राप्त सहायता

2807. **डा० पू० ना० खां :** **डा० म० मो० दास :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सूबोध हंसदा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारत की कुल कितनी विदेशी राशि की सहायता, ऋण तथा अनुदान प्राप्त हुए;

(ख) कुल प्राप्त धन राशि में से कितने प्रतिशत राशि कृषि के विकास पर खर्च की गई; और

(ग) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में कृषि पर व्यय की गई धन राशि कुल प्राप्त विदेशी सहायता के एक प्रतिशत से भी कम है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : तीसरी आयोजना की अवधि में प्राप्त विदेशी सहायता (ऋणों और अनुदानों) की कुल रकम 2438 करोड़ रुपया थी । कृषि के विकास (अर्थात् रासायनिक खाद के आयात, सिंचाई की सुविधाओं की व्यवस्था, रासायनिक खाद, खेती के ट्रैक्टरों, 'टिलरों' आदि के निर्माण के लिए, जिनमें गांवों में बिजली लगाने और परिवहन आदि का काम शामिल नहीं है, विदेशी मुद्रा) के लिए 194 करोड़ रुपये की रकम निर्धारित की गयी थी, जो कुल सहायता का

लगभग 8 प्रतिशत है। सहायता-सम्बन्धी साधनों के अलावा, अन्य साधनों से तीसरी आयोजना की अवधि में कृषि के विकास के लिए 120 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की रकम भी निर्धारित की गयी थी।

(ग) जी नहीं।

ग्राम्य जल संभरण योजना सम्बन्धी बोर्ड

2808. श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री म० मो० दास :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्राम्य जल संभरण योजनाओं की सफल कार्यान्वित के लिये ग्राम्य जल संभरण बोर्ड जैसा एक विशेष निकाय बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (श्री सुशीला नैयर) :

(क) और (ख) जल संभरण योजनाओं की कार्यान्वित मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करने की दृष्टि से, भारत सरकार ने अप्रैल, 1963 में एक पेय जल बोर्ड का गठन किया था। इसका वर्तमान गठन तथा इसके निर्देश-पद इस प्रकार हैं:—

गठन

1. श्री डी० पी० कारमारकर संसद् सदस्य	अध्यक्ष
2. श्री आर० आर० मुरारका संसद् सदस्य	सदस्य
3. श्री ज्ञान प्रकाश संयुक्त सचिव स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय	सदस्य
4. श्री एम० वी० मोदक, परामर्शदाता लोक स्वास्थ्य इंजीनियर, बम्बई	सदस्य
5. श्री एम० पी० दूबे, विधान सभा सदस्य मध्य प्रदेश	सदस्य
6. श्री एस० राजागोपालन, उपमहा निदेशक (पी० एच० ई०) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय।	सदस्य सचिव

निर्देश पद

1. राज्य सरकारों की जल संभरण योजनाओं की क्रियान्वित के लिये उपयुक्त व्यवस्था सुझाने और प्रकिया सम्बन्धी कठिनाइयों और प्रशासनिक अड़चनों पर काबू पाने के लिये राज्य सरकारों से उनकी जल संभरण योजनाओं की जांच सम्बन्धी उपायों पर चर्चा करना।

2. ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की क्रियान्विति के सम्बन्ध में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के बीच समन्वय स्थापित करना।

3. केन्द्रीय सरकार को कार्यवाही करने के लिये सुझाव देना।

4. विशेष रूप से कमी वाले क्षेत्रों में ग्रामीण जल संभरण योजनाओं की शीघ्र क्रियान्विति में सहायता के लिये सभी आवश्यक और संभव कार्यवाही करना।

एशियाई विकास बैंक (एशियन डिवेलपमेंट बैंक)

2809. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एशियाई विकास बैंक की स्थापना के समझौते का कितने देशों ने अब तक अनुसमर्थन किया है ; और

(ख) प्रस्तावित बैंक के चालू होने के पूर्व कितने और देशों द्वारा अनुसमर्थन-पत्र पर हस्ताक्षर किया जाना बाकी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) एशियाई विकास बैंक की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले 31 देशों में से विदित तिथि अर्थात् 30 सितम्बर, 1966 तक 30 देशों ने समझौते का अनुसमर्थन किया था।

(ख) कोई नहीं । बैंक पहले ही स्थापित कर दिया गया है ।

राजकोषीय वर्ष को बदलना

2810. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के राजकोषीय वर्ष को बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा परिवर्तन किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) भारत सरकार ने इस विषय पर कई बार विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि मौजूदा राजस्व वर्ष में परिवर्तन करने से अधिक लाभ नहीं होगा ।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

उत्तर प्रदेश के भूत पूर्व मुख्य मंत्री को उनके जन्म दिवस पर थैली की भेंट

2811. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री हु० च० लिंग रेड्डी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री सी० बी० गुप्ता को उनके पैंसठवें जन्म दिवस पर भेंट की गई थैली की राशि में जिन व्यक्तियों ने अंशदान दिया था उन की आय के साधनों के बारे में केन्द्रीय सरकार ने जांच आरम्भ कर दी है ;

(ख) क्या सरकार ने थैली की राशि पर आयकर लगाने का निर्णय किया है ;

(ग) क्या श्री सी० बी० गुप्ता ने इस निर्णय के बारे में कोई आपत्ति की है ;

(घ) यदि हां, तो किन आधारों पर ; और

(ङ) इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जिस समिति ने श्री सी० बी० गुप्ता को थैली भेंट की, उससे दात्ता व्यक्तियों की

सूची मांगी गयी है। सम्बन्धित आयकर अधिकारी दाता व्यक्तियों का कर-निर्धारण करते समय अंशदानों के स्रोत की आवश्यक जांच करेंगे।

(ख) श्री सी० बी० गुप्ता को मिली रकम कर योग्य है अथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्णय आयकर अधिकारी द्वारा किया जाना है, जो कर-निर्धारण के मामलों में कार्यवाही करने के निमित्त अधिकृत सांविधिक अधिकारी है। श्री सी० बी० गुप्ता को यह रकम वित्तीय वर्ष 1966-67 में प्राप्त हुई, इसलिये इस पर आयकर का यदि कोई निर्धारण, होना होगा तो वह कर-निर्धारण वर्ष 1967-68 में अर्थात् 1 अप्रैल 1967 को या इसके बाद किया जायेगा।

(ग) से (ङ) : सवाल ही नहीं उठते।

पेंशनरों को सहायता

2812. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पैनशर एसोसियेशन से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ख) क्या सरकार का विचार पैंशनर अधिनियम 1871 तथा पैंशन संराशिदान नियमों में संशोधन करके उनको वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप बनाने के प्रश्न की जांच करने के लिये कोई समिति नियुक्त करने का है ; और

(ग) पैंशनरों को विशेष रूप से 300 रुपये मासिक से कम पैंशन पाने वाले लोगों को तत्काल सहायता देने के लिए यदि कोई उपाय किये गए हैं, तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचींन्द्र चौधरी) :

(क) पेंशनरों को राहत देने के सम्बन्ध में पेंशनरों के कुछ संघों से सरकार को दरख्वास्तें मिलती रही हैं।

(ख) जी, नहीं। किसी मामले में मिलने वाली पेंशन की रकम का हिसाब सम्बन्धित पेंशन नियमावली के अनुसार लगाया जाता है, पेंशन अधिनियम, 1871 के उपबन्धों के अनुसार नहीं लगाया जाता। वास्तव में इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, पेंशनरों के हित के कुछ उपबन्ध, जैसे उनकी पेंशन की जब्ती न होने से संबन्धित उपबन्ध, शामिल हैं। इस समय अधिनियम में संशोधन करने का कोई विचार नहीं है।

पेंशन का तत्काल मूल्य प्राप्त करना पेंशनर की इच्छा पर निर्भर करता है और वर्तमान नियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

(ग) समय-समय पर पेंशनरों को एतदर्थ सहायता दी गयी है। पिछली बार अक्टूबर, 1963 में पेंशन में वृद्धि की गयी थी। उक्त वृद्धि 200 रुपये प्रति मास तक पेंशन पाने वाले कर्मचारियों को दी गयी है।

जीवन बीमा निगम के लिये दिल्ली में भूमि

2813. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि जीवन बीमा निगम जैसी संस्थायें उपयुक्त इमारतें बना कर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को दें ;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम को नई दिल्ली में भूमि का एक बड़ा प्लाट दिया गया है, किन्तु उसमें अभी तक निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने जीवन बीमा निगम से यह जानकारी मांगी है कि वह इस भूमि का किस प्रकार उपयोग करना चाहता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या उत्तर मिला है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) जी हां ।

(ख) से (घ) : जनपथ तथा पार्लियामेंट स्ट्रीट के मध्य 3.485 एकड़ का एक प्लाट जीवन बीमा निगम को पट्टे पर दे दिया गया है । इस स्थान का कब्जा निगम को दिसम्बर, 1962 में दिया गया था । निगम ने बिल्डिंग की योजना तैयार की थी तथा उसे दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया था किन्तु प्राधिकरण उसे अनुमति नहीं दे सका क्योंकि उस क्षेत्र का ज़ोनल प्लान विचाराधीन था । अब ज़ोनल प्लान को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा सरकार द्वारा अनुमोदित हो गया है, तथा निगम को यह परामर्श दिया गया है कि वह ज़ोनल प्लान के अनुसार अपना बिल्डिंग प्लान बना ले तथा मंजूरी के लिए नई दिल्ली नगरपालिका को प्रस्तुत कर दें । यह मामला 5 नवम्बर, 1966 को जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के साथ हुई मेरी चर्चा के बाद तय हुआ था ।

दिल्ली में नई बस्तियों के नक्शे

2814. श्री यशपाल सिंह :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** दिल्ली के चारों ओर नई बस्तियों के नक्शों के बारे में 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 571 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने इस बीच क्षेत्रीय विकास योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है तथा सरकार ने उनका अनुमोदन कर दिया है ; और

(ख) अगले 6 महीनों में जिन अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत किये जाने की संभावना है उनके नाम क्या हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)

(क) सार्वजनिक आपत्तियों । सुझावों को आमंत्रित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा अभी तक प्रकाशित पचास ज़ोनल डवलपमेंट प्लानों में से 11 जोनल डवलपमेंट प्लान सरकार के द्वारा अनुमोदित हो चुके हैं । शेष ज़ोनल प्लान अन्तिम रूप की प्रक्रिया में हैं ।

(ख) दिल्ली की विभिन्न अनधिकृत बस्तियों की समस्याओं की जांच करने के लिए सरकार ने सितम्बर, 1966 में एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने अपनी एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, तथा अन्य बातों के साथ साथ यह सुझाव दिया है कि ऐसे अनधिकृत

निर्माण/बस्तियां जो कि 1 सितम्बर, 1962 से पूर्व (अर्थात जिस तारीख से दिल्ली का मास्टर प्लान लागू हुआ) हो गये थे तथा जहां निर्माण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान हैं, उन पर, यदि वे प्लान में बताई भूमि की उपयोगिता को पुष्ट करते हैं तथा उस क्षेत्र के अनुमोदित ले आउट में ठीक बैठते हैं तो नियमनीकरण के लिए विचार किया जाये। अगले छः महीनों में जिन गैर मंजूरशुदा बस्तियों पर नियमतीकर के लिए विचार किया जायेगा उनके नाम अभी बताना संभव नहीं।

अलीगढ़ के सरकारी मुद्रणालय के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

2815. श्री यशपाल सिंह :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री अलीगढ़ के सरकारी मुद्रणालय के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 506 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जांच के कब पूरा होने की संभावना है।

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) से (ग) : जांच पूरी होने को है।

दवाइयों तथा औषधियों के निर्माता

2816. श्री विभूति मिश्र : श्री क० ना० तिवारी।

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने 17 सितम्बर 1966 की कलकत्ता में हुए दवाई तथा औषधि निर्माताओं के अखिल भारतीय सम्मेलन में यह कहा था कि केवल अत्यावश्यक तथा ऐसी दवाइयों के निर्माण पर ही ध्यान दिया जाना चाहिए जिन्हें तैयार करने में कम से कम विदेशी मुद्रा खर्च हो ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने अब तक क्या पहल की है और इन निर्माताओं को क्या सहायता देने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) जी हां।

(ख) रखे गये उद्देश्य की पूर्ति के लिये सरकार दो दिशा में प्रयत्न कर रही है, अर्थात (क) निर्माताओं के द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की जांच करना और (ख) यह सुनिश्चित करने के लिये, कि केवल अत्यावश्यक और अपेक्षाकृत सस्ती औषधियां ही बनाई जायें, चिकित्सा व्वयसाय के लोगों का सहयोग प्राप्त करना। इस सम्बन्ध में किये गये उपायों का ब्यौरा निम्न है:—

जहां तक संभव है सरकार केवल उन औषधियों के निर्माण के लिये कच्चे माल की सिफारिश करती रही है जिनको कि आवश्यक समझा जाता है। राज्य औषध नियन्त्रण

अधिकारियों को गैर-आवश्यक औषधियों और उन औषधियों को नष्ट करने की सलाह दी गई थी जिनके कारगर होने पर सन्देह था।

डाक्टरों, चिकित्सीय कालिजों आदि से राष्ट्रीय-सूत्रपुस्तिका, जिसका एक पुनरीक्षित संस्करण हाल ही में निकाला गया है, लागू करने की सिफारिश की गई है। इस पुस्तिका में अनेक प्रकार की कारगर औषधियां हैं, और चूंकि अस्पताल और चिकित्सीय संस्थाएं इन औषधियों को बनाने के लिये तरजीह देंगे, अधिकांश निर्माता इनको सप्लाई करने का प्रयत्न करेंगे।

अत्यावश्यक औषधियों की एक सूची तैयार करने के लिये सरकार ने विशेषज्ञों की क्लब भी नियुक्त की है। इस समिति को नियुक्त करने का उद्देश्य एक प्रकार के रोगों के लिये उपलब्ध विभिन्न प्रकार की औषधियों का पुनर्विलोकन करना और डाक्टरों को ऐसी औषधियों की सिफारिश करना है जो कि कारगर हों इसके साथ साथ अपेक्षाकृत सस्ती भी हों। समिति उन औषधियों को अलग करेगी जो कि उपचारीय दृष्टि से उपयोगी हैं और दूसरी ओर उनको अलग करेगी जो कि अपेक्षाकृत कम आवश्यक है परन्तु जिन्होंने प्रचार और काफी समय से प्रयोग किये जाने के कारण प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है।

Taking over of Gandak Project

2817. Shri Bibhuti Mishra : Shri K. N. Tiwari :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have taken any decision to take over the work of the Gandak Project; and

(b) if so, the nature of the decision taken and the date by which the construction work will be taken up by the Centre ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr K. L. Rao) :

(a) : No.

(b) : Does not arise,

Income-tax Payers in India

2818. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Income-tax payers in India at present, whose annual income is one lakh rupees or more; and

(b) the number of minors among them ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) There were 12,754 Income-tax payers, with an annual income of Rs one lakh or more as on 30. 9. 66.

Allowances Paid to Officers

2819. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred in respect of dearness allowance, city compensatory allowance and travelling allowance in respect of Gazeted Officers of the Central Government during 1965—66;

(b) the amount of over-time allowance paid to stenographers during the above period; and

(c) the separate Budget Provision for the two categories made for 1966-67 ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) to (c) : The information is being collected from the various Ministries/Departments and will be laid on the Table as soon as available.

Staff Inspection Units

2820. Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of Staff Inspection Units so far set up under his Ministry; and

(b) the number of employees of each class working in these Units ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) Only one Staff Inspection Unit has been set up in the Ministry of Finance. It has at present 13 Teams engaged on staff assessment studies of Government offices and evolving work standards.

(b) The present class-wise strength of the S. I. U. is as under :—

	Sanctioned	Working
Class I	10	14
Class II	32	29
Claes III	32	23
Class IV	9	7
Total	92	73

सरकारी कर्मचारियों को मोटरकार। स्कूटर आदि खरीदने के लिये ऋण

2821. श्री नि० रं० लास्कर : श्री रां बरुआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लागत में वृद्धि को देखते हुये क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों द्वारा मोटरकार/स्कूटर आदि खरीदने के लिये दिये जाने वाले पेशगी धन की सीमा को महीने के वेतन से बढ़ाकर 12 महीने के वेतन तक करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) मोटरकार खरीदने के लिए (मिल सकने वाला पेशगी धन) 12 महीने के वेतन (1000 रुपये प्रतिमास से कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों के लिए 15 महीने के वेतन) अथवा 12,000 रुपये अथवा कार के प्रत्याशित मूल्य में से जो भी रकम सबसे कम होती हैं वह पेशगी के रूप में मिल सकती है। स्कूटर के लिए यह सीमा 2750 रुपये अथवा 9 महीने के वेतन अथवा स्कूटर के प्रत्याशित मूल्यों से जो भी रकम सबसे कम हो, पेशगी उस तक सीमित है। इन सीमाओं को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वर्तमान सीमाएं पर्याप्त समझी जाती हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों से आशा की जाती है कि नयी गाड़ी के मूल्य का कुछ थोड़ा सा भाग वे अपने साधनों से भी अदा करेंगे।

Smuggling of Radio Sets

2823. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Bade : Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 5 radio sets have been recovered at Indore from the car of a Congress Legislator representing Mhow Constituency in Madhya Pradesh as reported in **Vir Arjun** of the 2nd September, 1966;

(b) whether it is also a fact that these radio sets were being smuggled without paying excise duty; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) 5 radio sets were seized from a car belonging to Shri Babubhai son of Shri R. C. Jall, a Congress Legislator of Mhow;

(b) Seizure was made on the ground that octroi duty was being evaded; question of evasion of Central Excise duty is not involved;

(c) After necessary enquiries by Revenue Officer of City Municipal Corporation, Indore, the sets were released on payment of octroi duty and fine. The amount was paid by one Shri T. Hussain Babu Seth, Jawahar Marg, Indore, who had purchased the sets.

जीवन बीमा निगम में बिजली से चलने वाले संगणक (इलैक्ट्रानिक कम्प्युटर)

2824. श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा इस वर्ष तथा आगामी तीन वर्षों में बिजली से चलने वाले कितने संगणक (इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर) इस्तेमाल किये जायेंगे :

(ख) इन कम्प्यूयरो का प्रयोग किन किन कार्यालयों में किया जायेगा; और

(ग) इन कम्प्यूटरों का मूल्य कितना है तथा इनके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : एक कम्प्यूटर बम्बई में पहले ही लगाया जा चुका है । दूसरा कलकत्ता में लगाने का विचार है । इस समय इन दो कम्प्यूटरों के अलावा कोई अन्य कम्प्यूटर के अलावा कोई अन्य लगाने का जीवन बीमा निगम का विचार नहीं है । और यह कहना संभव नहीं है कि अपने तीन या चार वर्षों में कोई दूसरा कम्प्यूटर लगाया जायेगा अथवा नहीं ।

(ग) बम्बई में लगाये गये आई० बी० एम० कम्प्यूटर का क्रय-मूल्य (आयात व्यय तथा बिक्री को छोड़कर) 42 लाख रुपये था । यह रकम पहले ही भारत में अदा की जा चुकी है । कलकत्ता कार्यालय में लगाये जाने वाले आई० सी० टी० कम्प्यूटर के लिए वर्तमान क्रय-करार 40 लाख रुपये का है लेकिन इसमें शर्त यह है कि यदि "करार की तारीख और माल की डिलीवरी की तारीख के बीच" स्टैंडर्ड आई० सी० टी० मूल्य-दण्ड में कोई परिवर्तन होगा तो" कीमतों में वृद्धि अथवा कमी कर दी जायेगी लेकिन जीवन बीमा निगम ने विदेशी मुद्रा में भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी मंजूर नहीं की है ।

प्रसूति बाल कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्र

2825. श्री कोल्ला बैकैया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर विभिन्न राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में एक प्रसूती तथा बाल कल्याण केन्द्र औसतन कितनी जनसंख्या के लिये है ।

(ख) विभिन्न राज्यों में कितने परिवार नियोजन केन्द्र हैं; और

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन केन्द्रों के बारे में योजना बनाने तथा उनमें कर्मचारी रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) और (ख) दो विवरण संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 7477/66]**

(ग) ग्रामीण परिवार नियोजना संगठन के लिये मंजूर किये गये कर्मचारी संलग्न विवरण (प्रविष्ट 'ग') में दिये गये हैं। डाक्टरों की भर्ती और विस्तार शिक्षकों के सम्बन्ध में राज्य सरकारों ने कुछ कठिनाइयां बताई हैं।

डाक्टरों की सामान्य कमी है और इसलिये श्रेणी एक के सहायक शल्य चिकित्सकों के कुछ स्थान रिक्त हैं । तथापि, जिला स्तर पर चलिष्णु एककों की स्थाप्ति द्वारा उपलब्ध डाक्टरों की चलिष्णुता को बढ़ाया जा रहा है। चिकित्सीय विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा छात्रवृतियां भी दी जा रही हैं ताकि उपाधियां प्राप्त करने के बाद परिवार नियोजन कार्यक्रमों में उनकी सेवाएं उपलब्ध हो सकें ।

खण्ड विस्तार शिक्षक के पद के लिये अर्हताओं में भी कुछ शिथिलता लाई गई है ।

कार्यक्रम में काम करने के लिये महिला-स्वास्थ्य निरीक्षकों और असिस्टैंट मैडिकल अफसरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

डा० वी० के० आर० वी० का ब्रिटेन का दौरा

2826. श्री दिगे : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 590 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के सदस्य, डा० वी० के० आर० वी० राव ने ब्रिटेन से लौटने के बाद उद्योग में तकनीकी शिक्षा तथा व्यवहारिक अनुभव के सम्बन्ध में इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, अतः वह अभी प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली दुग्ध योजना की दूध की एक बोतल में मच्छरों तथा कीड़ों का पाया जाना

2827. श्री दी. च. शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत मास श्रीनिवासपुरी, नई दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा सप्लाई की गई दूध की एक बोतल में मच्छर तथा कीड़े पाये गये थे;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) और (ख) जी हां ।

(ग) योजना की क्रिस्म नियंत्रण प्रयोगशाला में दूध की बोतल की ध्यान पूर्वक जांच की गई थी । और उसमें कीड़ों के (प्यूपा) पाये गये थे । ऐसा प्रतीत होता है कि जब दूध के डिपो को खाली बोतल लौटाई गई थी तो, ग्राहक द्वारा उस बोतल को साफ नहीं किया गया था । बने हुए दूध में मक्खियां आ कर बैठ जाती हैं जो अपने साथ कीड़ों के अण्डों को ले आती हैं । यदि डेरी को बोतलें शीघ्र न लौटाई जाये तो उनमें जो दूध होता है वह सूख जाता है और इस बीच अण्डे बड़े हो जाते हैं । दुग्ध योजना में बोतलों की पूरी सफाई के लिये एक स्वचालित मशीन है । सूखे हुये दूध की बोतलें इस मशीन द्वारा हमेशा ही पूरी तरह साफ नहीं हो पाती है और सामान्य रूप से इनको अलग से हाथ से साफ किया जाता है । दुर्भाग्य से, इस मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि बोतल ध्यान से रह गई और उसकी हाथ से सफाई नहीं हुई, और मशीन में साफ किये जाने के बाद उसमें दूध भर दिया गया ।

हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि अधिक सावधानी बर्ती जाये और सफाई की मशीन में बोतलों को डालने से पहले दूध लगी बोतलों को हाथ से साफ किया जाये ।

डिपू प्रबन्धकों को भी अनुदेश दिये गये हैं कि वे बिना धुलीं बोतलें वापस न लें ।

उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे

2828. श्री० दिगे : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री उटिया : **श्री किशन पटनायक :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त मंत्री** उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापों के बारे में 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1282 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच पड़ताल इस बीच पूरी हो गयी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता ।

(ग) देरी का कारण यह है कि जांच-पड़ताल में कई शाखाओं से सम्बन्धित लम्बे चौड़े बही खातों की जांच करनी पड़ती है । जांच-पड़ताल यथा संभव शीघ्र पूरी करने की कोशिश की जा रही है ।

मद्रास में सूखी भूमि को कृषि योग्य बनाना

2829. श्री मलाइछामी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में सूखी भूमि को कृषि योग्य बनाने की संभावनाओं के बारे में योजना आयोग के एक सदस्य ने हाल में मद्रास में, मद्रास के मुख्य मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या बातचीत हुई और क्या परिणाम निकले ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) और (ख) : मद्रास में सूखी भूमि को कृषि योग्य बनाने के विषय में योजना आयोग के किसी भी सदस्य ने मद्रास के मुख्य मंत्री से किसी प्रकार की बातचीत नहीं की । वहर-हाल, कृषि कार्य के प्रभारी सदस्य ने, मद्रास, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों के तिरुपट्टी में हुए सम्मेलन के दौरान राज्य के सूखे क्षेत्रों की समस्या के बारे में अपनी सूचना के लिए जानकारी हासिल की थी ।

भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति

2830. श्री कोल्ला वेंकैया : श्री म० ना० स्वामी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्रीय सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्यों के नाम तथा कृत्य क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7478/66]**

कागज बनाने के कारखाने

2831. श्री दलजीत सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री** 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1301 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र लुग्दी तथा कागज विशेषज्ञ ने देश में कागज बनाने के कारखाने

स्थापित करने के बारे में अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) कागज बनाने के कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जाने की संभावना है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) राष्ट्र संघ के लुग्दी और कागज विशेषज्ञ ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्र संघ अधिकारियों को प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने अभी तक यह रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है।

(ख) **और (ग) :** प्रश्न नहीं उठता।

चौथी पंचवर्षीय योजना

2832. **श्री कृ० चं० पन्त :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को कब अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

योजना आयोग चाहता है कि अन्तिम प्रतिवेदन के प्रारूप को जनवरी, 1967 के मध्य तक अन्तिम रूप दे दिया जाय।

उड़ीसा को सहायता

2833. **श्री रामचन्द्र मलिक :** **श्री सुधांशु दास :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना अवधि के लिए उड़ीसा सरकार ने कुल कितनी राशि का मांग की है ;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चौथी योजना अवधि में उड़ीसा सरकार को सहायता तथा केन्द्रीय सहायता के रूप में कुल कितनी राशि देने का विचार है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) से (ग) : उड़ीसा के चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में 395·8 करोड़ रुपये की मांग की गई थी, परन्तु विचार-विनिमय के बाद 300 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति हुई है। उड़ीसा की चौथी योजना के लिये अस्थायी रूप से केन्द्रीय सहायता 150 करोड़ रुपये प्रस्तावित की गई है। व्यय-व्यवस्था दर्शाते हुए एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7488/66]**

आसाम में बाढ़ नियंत्रण

2834. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

क्या **सिचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आसाम सरकार की इस प्रार्थना पर विचार कर लिया है कि इस

वर्ष की बाढ़ नियंत्रण सम्बन्धी वार्षिक योजना में 318 लाख रुपये की कमी को पूरा किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

सिचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) और (ख) : आसाम के लिये योजना में 1966-67 के लिये 2 करोड़ रुपये की राशि रखी गयी थी जबकि आसाम सरकार ने अब सूचना दी है कि उसकी चालू बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिये 402 लाख रुपये की आवश्यकता होगी। अतिरिक्त राशि के आवेदन की प्रार्थना विचाराधीन है।

प्रजनन शक्ति नियंत्रण

2835. श्री किन्दर लाल : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय परिवार नियोजन संस्था द्वारा हाल में रसायनों अथवा प्रतीकारिकीय तरीकों से प्रजनन शक्ति नियंत्रण सम्बन्धी परीक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर)

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री लंका में ककेसंतुरल की चोरी छिपे कपड़ा ले जाने वाली मशीन से चलने वाली किश्ती

2836. श्री किन्दर लाल : श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने 28 अक्टूबर, 1966 को उत्तरी श्री लंका में ककेसंतुरल में मशीन से चलने वाली एक किश्ती को पकड़ा था जिसमें लगभग 2,50,000 रुपये मूल्य की कपड़े की 17 गांठे ले जायी जा रही थीं जिनके बारे में यह आशंका थी कि वे भारत से चोरी छिपे श्री लंका ले जाई गई थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) यह रिपोर्ट मिली है कि 28 अक्टूबर, 1966 को श्रीलंका के पुलिस अधिकारियों ने वालवेत्तितुराई में मशीन से चलने वाली सिंहली राष्ट्रिक की मालिकी की एक किश्ती पकड़ी और कपड़े की गांठों समेत माल की 17 गांठें बरामद कीं।

(ख) सम्बन्धित सीमा-शुल्क अधिकारियों को यह पूछ-ताछ करने के लिये कहा गया है कि क्या पकड़ा गया माल भारत से चोरी-छिपे ले जाया गया था।

रामगुण्डम ताप बिजली संयंत्र के लिये उपकरण

2837. श्री मं० रं० कृष्ण : श्री रमापति राव :

क्या **सिचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामगुण्डम ताप बिजली संयंत्र के लिए लाये जा रहे उपकरण जिन्हें पाकिस्तान ने रोक लिया था, अब पाकिस्तान द्वारा छोड़ दिये गये है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह उपकरण रामगुण्डम में प्रयोग में लाया जायेगा अथवा किसी अन्य स्थान को भेजा जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी हां ।

(ख) उपकरण का प्रयोग रामगुण्डम तापीय विद्युत केन्द्र पर किया गया है ।

बाल कल्याण के लिये प्रायोगिक परियोजना

2838. श्री रामचन्द्र मलिक : श्री सुधांशु दास :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीदरलैंड की सरकार ने बाल कल्याण के लिए एक समैकित प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने के लिए भारत में बाल कल्याण संबन्धी डच प्रतिष्ठान स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बदरपुर में अन्तर्राष्ट्रीय बाल ग्राम परिषद्

2839. श्री रामचन्द्र मलिक : श्री सुधांशु दास :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय बाल कल्याण परिषद् को बदरपुर में अन्तर्राष्ट्रीय बाल ग्राम स्थापित करने के लिये आस्ट्रेलिया के एस० ओ० एस० इन्टरनेशनल किन्डरऑफ से 120,000 डालर को पहली किस्त मिल चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पांच पैसे के नये सिक्के

2840. श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का हल्की मिश्रित धातु के बने पांच पैसे के नये सिक्के जारी करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी हां। पांच पैसे के नये सिक्के ऐल्यूमिनियम- मेगनेशियम की मिश्रित धातु के होंगे।

(ख) विचार है कि ये नये सिक्के 1967 से जारी कर दिये जायें। ऐल्यूमिनियम मेगनेशियम की मिश्रित धातु के ये नये सिक्के जारी करने का मुख्य कारण यह है कि तांबे और निकल का इस्तेमाल न करके, जिनकी मिश्रित धातु से आजकल चलने वाले पांच पैसे के सिक्के तैयार किये जाते हैं विदेशी मुद्रा में बचत की जाय और खर्च में कमी की जाय।

आदिम जातीय लोगों को शिक्षा की सुविधाएं

2841. श्री ह० च० सोय :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पंचवर्षीय योजनाओं के पूरा हो जाने के पश्चात् भी अधिकतर आदिम जाति विकास खण्डों में आदिम जातीय लोगों का शिक्षा सम्बन्धी न्यूनतम विकास भी नहीं किया गया है तथा आदिम जातीय विकास खण्डों में पर्यवेक्षकों तथा कनिष्ठ क्षेत्रीय कर्मचारियों के पदों के लिये भी शिक्षित आदिम जातीय लोगों की बहुत भारी कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विशेष कर बिहार के घने जंगलों तथा देहाती क्षेत्रों में अधिक स्कूलों की जिनमें हाई स्कूल तथा तकनीकी स्कूल भी शामिल हैं ; मांग बढ़ती जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि विभाग के वर्तमान निदेशों तथा विनियमों के अनुसार सहकार और संचार जैसे शीर्षकों के अन्तर्गत खर्च न हुई राशि को जिसे प्रायः वापिस कर दिया जाता है ; आदिम जाति लोगों की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति पर खर्च करने की अनुमति नहीं दी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में आदिम जातीय विकास खन्डों के लिये नियत की गई कुल राशि का 50 प्रतिशत भाग शिक्षा के लिये तथा 50 प्रतिशत भाग कृषि के लिये नियत करने का है ?

समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री मती चन्द्रशेखर) :

(क) हां।
(ख) हां।
(ग) नहीं।
(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Smuggling of Indian Goods to China and Pakistan from Faizabad

2842. Shri Shinkre : Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Gulshan :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foodgrains, tin sheets and other goods are being

smuggled into China and Pakistan from Faizabad;

(b) whether such complaints have also been lodged with the police in this regard;

(c) if so, the action taken from January, 1966 to October, 1966 and the number of persons against whom action has been taken; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) No case of smuggling from Faizabad into China and Pakistan has come to Government's notice.

(b) Government is not aware of any complaints lodged with the police in this regard.

(c) and (d) Do not arise.

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में अधिकारियों की पदावनति

2843. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मितव्यता अभियान के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अनेक अधिकारियों की पदावनति की जा रही है;

(ख) क्या तेरह अतिरिक्त सहायक निदेशकों की सूची प्रकाशित की गई है जिसकी पदावनति का आदेश दिया गया है;

(ग) उस सूची को समाप्त करने तथा उसमें नई सूची बनाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि विभिन्न राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर लिये गये अनेक अधिकारी प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी वर्षों तक वहीं पर प्रतिनियुक्त रखे जाते हैं;

(ङ) क्या प्रतिनियुक्ति पर आये हुए अधिकारियों पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अधिकारियों की तुलना में अधिक व्यय होता है; और

(च) यदि हां, तो उनकी पदावनति के फलस्वरूप कुल कितनी बचत हुई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा. कु. ल. राव) :

(क) से (ग) जी हां, । बचत करने की दृष्टि से केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में आरम्भ में अतिरिक्त सहायक निदेशकों के 13 पद और बाद में 1.10.1966 से दो और आगामी पद समाप्त कर दिये गये थे। इसके परिणामस्वरूप तदर्थ आधार पर उक्त पदों पर पदोन्नत किये गये 15 अधिकारियों को पदावनत किया गया।

(घ) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में अतिरिक्त सहायक निदेशक की श्रेणी में कोई प्रतिनियुक्त व्यक्ति नहीं है।

(ङ) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में सहायक निदेशक, उपनिदेशक, निदेशक तथा मुख्य इंजीनियर की श्रेणियों में श्रेणी एक के इंजीनियरों के पदों की एक निश्चित प्रतिशतता विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के अधिकारियों को विशिष्ट अवधियों के लिये सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति किया जाता है। केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के अन्तर्गत सेवा के लिये

राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से उपयुक्त अधिकारियों को आकर्षित करने के लिये प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को नियमों के अन्तर्गत अनुक्षेप कुछ अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है।

(च) ऊपर (घ) और (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंडिया के पर्यवेक्षण कर्मचारी

2844. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पर्यवेक्षण कर्मचारियों को कोई आकस्मिक अवकाश नहीं मिलता है;

(ख) उन्हें कितने दिन का अर्जित अवकाश मिलता हैं;

(ग) क्या उन्हें रविवार को तथा छुट्टियों के दिन भी कोई मुआवजा दिये बिना काम करने के लिये बाध्य किया जाता है;

(घ) क्या पिछले 15 वर्षों से उनके महंगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई है;

(ङ) उन्हें जिस दर पर बोनस दिया जाता है क्या वह अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले बोनस की दर की तुलना में कम है; और

(च) क्या सरकार का विचार इन मामलों को पर्यवेक्षक कर्मचारी संघ के साथ द्विपक्षीय विचारविमर्श द्वारा हल करने का है ?

वित्त मंत्री श्री शचीन्द्र चौधरी :

(क) : बैंक सेवा नियमों में आकस्मिक छुट्टी (कैजुअल लीव) के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब भी सम्भव होता है तब अल्प सूचना (शार्ट नोटिस) पर छुट्टी दे दी जाती है।

(ख) : हर ग्यारह दिन काम के बाद एक दिन।

(ग) : जरूरी काम निपटाने के लिये उन्हें कभी-कभी रविवार या दूसरी छुट्टी के दिन काम करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसे अवसरों पर उन्हें अगले हफ्ते में क्षतिपूरक (कम्पेनसेटरी) छुट्टी दी जाती है।

(घ) यद्यपि महंगाई भत्ते की दर वेतन के प्रतिशत के रूप से (30 प्रतिशत) अप्रैल 1951 से ज्यों-की-त्यों है, पर वास्तव में दी गयी रकम वेतनमानों में की गयी हर वृद्धि के साथ समय-समय पर बढ़ती रही है। पिछली बार वेतनों में इस प्रकार का संशोधन अगस्त 1965 में किया गया था।

(ङ) बोनस अदायगी अधिनियम, 1965 के उपबन्धों के अनुसार, निरीक्षण कर्मचारियों को भी निर्धारित दरों के हिसाब से बोनस दिया जा रहा है। हालांकि इस अधिनियम के अमल में आने से ठीक पहले उन्हें इस प्रकार का कोई बोनस नहीं मिलता था। लेकिन जब अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित बोनस की रकम दो महीने के मूल वेतन से कम होती हैं, तो कामगर कर्मचारियों को अतिरिक्त तदर्थ बोनस दिया जाता हैं, ताकि अधिनियम के अमल में आने से पहले उन्हें जिस दर से बोनस मिलता था, वह कायम रहे।

(च) निरीक्षण कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में प्रबन्धकों और निरीक्षण कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच द्विपक्षीय बातचीत पहले ही से चल रही है। सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझती।

लेडी हार्डिंग कर्मचारी संघ द्वारा हड़ताल का नोटिस

2845. श्री बाल्मीकी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और अस्पताल कर्मचारी संघ, नई दिल्ली ने पिछले महीने हड़ताल का नोटिस दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिंग अस्पताल के कर्मचारी संघ तथा प्रबन्धकों के बीच 31 मई, 1961 को एक समझौता हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो उस समझौते पर कहां तक अमल किया गया और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा. सुशीला नायर) :

(क) जी हां, परन्तु बाद में उन्होंने सूचना वापस ले ली।

(ख) सूचना देने का कारण प्रबन्धकों द्वारा संघ की मांगों को पूरा करने में कथित असफलता थी।

(ग) जी हां।

(घ) जहां तक सरकार को पता है, संघ और प्रबधन्कों के बीच हुए समझौते की क्रियान्विति में प्रबन्धकों की कोई असफलता नहीं हुई है। अन्य बातों के साथ साथ यह भी फैसला किया गया कि अधिकारी बरखास्त किये गये। सेवोन्मुक्त कर्मचारियों के मामलों का पुनर्विलोकन करेंगे। उसके अनुसार गृह-कार्य मंत्रालय में विभागीय जांच आयुक्त द्वारा एक पुनर्विलोकन किया था। पुनर्विलोकन करने वाले अधिकारी का प्रतिवेदन संघ के विरुद्ध था। बाद में, मुख्य श्रम आयुक्त, दिल्ली ने विवाद को न्याय निर्णयन के लिये श्रम न्यायाधिकरण को सौंप दिया। न्यायाधिकरण ने 1964 में अपना पंचाट दे दिया। न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ साथ कर्मचारियों के बरखास्त किये जाने के सम्बन्ध में पुनर्विलोकन अधिकारी उपपत्तियां का समर्थन किया है। तथापि न्यायाधिकरण ने पुनर्विलोकन अधिकारी द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रिया की आलोचना की है। न्यायाधिकरण का पंचाट प्रबन्धकों द्वारा पूरी तरह क्रियान्वित किया गया है।

न्यायाधिकरण द्वारा बताये गये प्रक्रिया सम्बन्धी दोष को हटाने के लिये एक नया पुनर्विलोकन करने के लिये आवश्यक कदम उठाये गये हैं।

सीमा शुल्क विभाग के मूल्यांकन तथा निरीक्षक

2846. श्री श्रीनारायण दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क पुनर्गठन समिति द्वितीय, वेतन आयोग तथा सन्थानम समिति की सिफरिशों के आधार पर सीमा-शुल्क विभाग के मुख्य मूल्यांककों, मूल्यांककों तथा निरीक्षकों के वेतन तथा दर्जे बढ़ाये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सीमा-शुल्क पुनर्गठन समिति ने सुझाव दिया था कि उपरोक्त संवर्गों तथा असिस्टेंट कलैक्टर (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, श्रेणी दो) और डिप्टी सुपरिटेंडेंट (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, अराजपत्रित) में समानता होनी चाहिए;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के इन संवर्गों के वेतन और दर्जे में तथा उपरोक्त भाग (क) से उल्लिखित संवर्गों के वेतन और दर्जे में असमानता होने के कारण हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : सीमा-शुल्क पुनर्गठन समिति ने मुख्य मूल्यांककों के श्रेणी II के पदों को श्रेणी में उन्नत करने की सिफारिश की है। यह मामला विचाराधीन है।

सीमाशुल्क गृहों के मूल्यांकक विभाग में किसी भी पद की हैसियत तथा ओहदे के बारे में द्वितीय वेतन आयोग ने कोई भी सिफारिश नहीं की थी। मूल्यांकक विभाग में विभिन्न पदों के वेतन-मानों में परिवर्तन के बारे में उनकी सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया है।

सन्तानम् समिति ने मूल्यांककों के लिये उच्चतर हैसियत, ओहदे तथा अच्छे वेतन के लिये एक सामान्य सिफारिश की है। इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है।

इन समितियों में से किसी ने भी परीक्षकों की हैसियत तथा पदवी के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ग), (घ) तथा (ङ) : सीमा-शुल्क मूल्यांकक विभाग के अफसरों तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के अफसरों के बीच उनकी हैसियत, ओहदे तथा वेतन के मामलों में समानता बनाये रखने के बारे में सीमा-शुल्क पुनर्गठन समिति ने कोई सिफारिश नहीं की। समिति ने केवल यही सिफारिश की कि मुख्य मूल्यांककों को श्रेणी I के अफसरों की हैसियत तथा वेतन दिया जाना चाहिए और इस पर विचार किया जा रहा है।

केरल राज्य बिजली

2847. श्री वासुदेव नायर :　　　　　श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य बिजली बोर्ड के कार्य-प्रभारित कर्मचारियों ने बोर्ड को एक ज्ञापन भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में क्या मुख्य मांगें हैं; और

(ग) उन मांगों के बारे में बोर्ड तथा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) :

(क) जी, हां।

(ख) मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :

(1) कार्य प्रभारित कर्मचारियों को स्थायित्व प्रदान करना ।

(2) वरिष्ठता को निर्धारित करना ।

(3) विभिन्न प्रकार के भत्तों की मंजूरी ।

(ग) केरल राज्य की बिजली बोर्ड ने कार्य-प्रभारित कर्मचारियों के पदों को समाप्त करने और उन्हें नियमित पदों पर लगा लेने का निश्चय कर लिया है । अन्य अंगों के सम्बन्ध में निर्णय करने के लिये बोर्ड कर्मचारी-संघ से विचार-विमर्श करेगी ।

आसाम में उद्योगों के लिए ऋण व्यवस्था

2848. श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या वित्त मंत्री 10 नवम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आसाम के उद्योगों के लिये ऋण की व्यवस्था न होने के बारे में 5 अगस्त 1966 के "आसाम ट्रिब्यून" में प्रकाशित वर्णन तथा 8 अगस्त, 1966 के उसी समाचार पत्र के सम्पादकीय लेख में बताई गई बातों की ओर दिलाया गया हैं;

(ख) यदि हां, तो आसाम में सम्बद्ध अधिकारियों की क्या विशेष निदेश दिये गये हैं; और

(ग) औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक ऋण सुविधायें उपलब्ध करने के लिये सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी हां ।

(ख) और (ग) ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि आसाम में पर्याप्त ऋण-व्यवस्था के अभाव में उद्योगों को क्षति पहुंच रही है । और उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता है । वस्तुतः सितम्बर 1964 और सितम्बर 1966 के बीच स्टेट बैंक ने लघु उद्योग को बड़ी मात्रा में अग्रिम धनराशि दी है । उक्त लेख किसी गलत धारणा पर आधारित है ।

नई दिल्ली स्थित वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में पानी गर्म करने के उपकरणों (गीजर) का लगाया जाना

2849. श्री हरि विष्णु कामत :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित वैस्टर्न कोर्ट होस्टल में पानी गर्म करने के उपकरण (गीजर) लगाने का एक प्रस्ताव निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में उनके पास भेजा गया था ?

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी हां।

(ख) सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए यह सवाल नहीं उठता।

Assistants in Economic affairs Department

2850. Shri P. L. Barupal : **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
Shri Shinkre **Shri Y. D. Singh :**

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the Assistants engaged in English work only in the Department of Economic Affairs are also asked to work as Assistant translators from time to time; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri) :

(a) and (b) The reference to Assistant translators is not understood. During the Budget Season, some Assistants normally engaged in English work are appointed as Hindi Assistants to assist in the preparation of the Hindi version of the Budget papers, The appointments are made on the basis of a Departmental Test to assess their suitabilty for Hindi Work.

Office Work in Hindi

2851. Shri P. L. Barupal **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
Shri Shinkre **Shri Y. D. Singh**

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of departments work relating to which was being handled in the Hindi Section of the Department of Economic Affairs in 1961;

(b) the number of deparments the work relating to which is now being handled by the Hindi Section and the extent of volume of work that has increased as a result thereof; and

(c) whether the strength of the Hindi staff has been increased to cope with the increased volume of work ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri)

(a) Work relating to three Departments, viz., the Department of Economic Affairs, the Department of Expenditure and the Department of Revenue was handled in the Hindi Section of the Department of Economic Affairs in 1961,

(b) Work relating to two departments, viz., the Department of Economic Affairs and the Department of Co-ordination is now being handled in the Hindi Section of the Department of Economic Affairs. Although the number of departments serviced is less than in 1961 the amount of work handled has almost doubled largely on account of increase in Parliamentary and Budget papers requiring translation into Hindi.

(c) As the flow of work in the Hindi Section of the Department of Economic Affairs exhibits a marked seasonality, being very heavy during Budget period as compared to the rest of the year, the method adopted to cope with this is to provide additional temporary posts during the rush period. The number of such temporary additional posts has been increased to cope with the increased volume of work. As regards the regular strength, while the total numbers have not undergone a change, there has been some strengthening of the supervisory grades. The staff requirements

were last assessed by the Staff Inspection Unit in 1965 and further assessments will be made from time to time as warranted.

Function of Staff Inspection Unit

2852. **Shri P. L. Barupal** — **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
Shri Shinkre — **Shri Y. D. Singh**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) whether upgrading of posts comes within the purview of the examination of the staff Inspectton Unit;

(b) the number of posts upgraded during the last five years as a result of recommendation made by Staff Inspection Unit; and

(c) the increase in annual expenditure caused thereby during the last five years and its impact on efficiency ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) to (c) The upgrading of posts as such does not fall within purview of the functions of the staff Inspection Unit. The Unit reviews the requirements of the various categories of staff after an objective assesment of the actual quantum and nature of workload. The conclusions may involve abolition of some posts, upgradation of some and downgradation of some others. The results of the S. I. U's studies have resulted in over-all savings and not any increase in expenditure.

Staff Inspection Unit

2853. **Shri Shinkre** — **Shri Hukam Chand Kachhavaiya**
Shri Y. D. Singh — **Shri P. L. Barupal.**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Staff Inspection Unit had studied the work of various employees of his Ministry doing work in Hindi;

(b) if so, the recommendations made thereof; and

(c) the extent to which the recommendations have been implemented.

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri)

(a) Yes Sir. The S. I. U. had studied the workload of the Hindi Section of the Departments of the Ministry of Finance.

(b) The recommendations made as a result of these studies are given below in the form of a statement :

Categories of posts recommended	Department of Economic Affairs.	Department of Expenditure	Department of revenue & Insurance	Remarks.
Year of Study	1964	1965	1966	
Hihdi Officer	1	—	1*	*To be incharge of Hindi Section of the Department of Expenditure also.
Translators	7	1	3	
Assistants	7	—	1	
L. D. Cs.	3	1	2	
Steno — typist	1	—	1	

(c) These recommendations have been implemented in full.

Load of work for Translators in Department of Economic Affairs

2854. Shri Shinkre **Shri Y. D. Singh**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya **Shri P. L. Barupal**

Will the Minister of Finance be pleasead to state :

(a) the number of words a Hindi Translator working in the Department of Economic Affairs, is required to translate per day:

(b) whether translation work required to be done during the budget period and non-budget period is less than that expected to be disposed of by each employee per day; and

(c) the manner in which Hindi staff is utilised when there is no work for translation ?

The Minister of Finanee (Shri Sachindra Chaudhuri) (a) to (c): The standard form of translation adopted at present is 1000 words per day, although the evolution of a slightly different norm has been considered. Whatever the norm may be, it is relevant only for purpose of overall assessment of staff required. The actual flow of work, which is quite uneven and is particularly heavy during the budget period, necessitates not only overtime work by the normal staff but also temporary additions to the staff according to the exigencies of work. When the rush of work abates the temporary additions to the staff are withdrawn. The normal complement of staff has enough work to do even during the slack period, but to the extent possible other duties are also assigned to some of them.

मैसूर की निर्माण योजनाएं

2855. श्री हु०चा०लिंग रेड्डी :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) तीसरी योजना में मैसूर राज्य को गृह-निर्माण योजनाओं के लिये कितनी राशि दी गई थी;

(ख) कितनी कितनी धन राशि वास्तव में खर्च की गयी थी तथा किन-किन योजनाओं पर खर्च की गयी थी;

(ग) व्यय में कमी होने के क्या कारण थे;

(घ) चौथी योजना अवधि में कितनी राशि खर्च करने का विचार है; और

(ङ) लोगों की आवास की आवश्यकता कहां तक पूरी की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगर-विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

(क) और (ख) विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 7479/66]**

(ग) कमी का मुख्य कारण है राज्य सरकार के द्वारा, बिजली, सिंचाई, कृषि आदि के समान परियोजनाओं की तुलना में आवास योजनाओं को कम प्राथमिकता देना।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में विभिन्न आवास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए मैसूर के लिए आवास तथा नगर विकास के वर्किंग ग्रुप ने योजित निधियों में से 600.00

लाख रुपये के खर्चे की सिफारिश की है। आयोजित निधियों की राशि का फिलहाल पता नहीं क्योंकि आवास योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम वर्षानुसार (साल के साल) नियतन करता है। मैसूर राज्य को 1966-67 के लिए जीवन बीमा निगम निधि में से 100 लाख रुपये का नियतन है। प्रत्येक योजना के लिए निर्धारित राशि का अलग-अलग ब्यौरा राज्य सरकार के द्वारा अभी तक नहीं भेजा गया है।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Housing Loan to Harijans in Jodhpur

2856. Shri P. L. Barupal:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes families which were given loans for construction of houses in Jodhpur City in Rajasthan during the period from January, 1961 to 31st March, 1966 under Low Income Housing Scheme;

(b) whether it is a fact that the said Harijan Scheduled Tribe families have not been able to clear the instalments due to their bad financial position; and

(c) whether it is also a fact that Government have ordered attachment of their houses due to non-payment of instalments in time?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (c): The required information is being collected from the Government of Rajasthan and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is received.

सरकारी बचत बैंक

2857. श्री दलजीतसिंह : श्री अ० शं० आल्वा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी बचत बैंक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार का प्रतिवेदन को एक प्रति सभा पटल पर रखने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) जी हां।

(ख) मुख्य सिफारिशें ये हैं :

(1) शहरी क्षेत्रों के डाकखानों से यह काम वापिस लेकर वही सरकारी बचत बैंक स्थापित करना और अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस काम के लिये डाकखानों का उपयोग करना।

(2) वित्त मंत्रालय के अधीन अपेक्षित प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सहित विभागीय उपक्रम के रूप में एक सरकारी बचत बैंक को स्थापित किया जाना और यदि यह सम्भव न हो, तो इसका विकास एक स्वतन्त्र निगम के रूप में किया जाये।

(3) सरकारी बचत बैंक को चाहिये कि अपने कार्य-काल के प्रथम पांच वर्षों में अपने संसाधन 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के उद्देश्य से और अतिरिक्त सेवाएं तथा सुविधाएं प्रदान करने के लिये वह अपने लगभग 500 शाखा-कार्यालय खोले। बैंक

को स्थापित करने की अनुमानित आय 400 करोड़ रुपये होगी।

(4) डाकघर बचत बैंक का डाक तथा तार विभाग के अधीन एक पृथक बचत शाखा के रूप में पुनर्गठित किया जाये। पुनर्गठित डाकघर बचत बैंक को भी अपने कार्य-काल के पहले पांच वर्षों में शुद्ध 500 करोड़ के संशोधन बनाने चाहियें।

(5) राष्ट्रीय बचत संगठन को सरकारी बचत बैंक के साथ मिला देना चाहिये और डाकघर बचत बैंक की बचत शाखाओं को उनके विकास कक्षों के रूप में कार्य करना चाहिए।

(ग) डाकघर बचत बैंक पुनर्गठन समिति एक विभागीय समिति थी और जिसका प्रतिवेदन शुद्धतः प्रशासनिक किस्म का था जिसे मुख्य रूप से सरकार के प्रयोग के लिये तैयार किया गया था। अतः इस प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नागपुर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद से सम्बन्धित मामले

2858. श्री हरि विष्णु कामत : **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **वित्त मंत्री** 10 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1159 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागपुर के श्रीराम दुर्गा प्रसाद के सम्बन्धित मामले की जांच पड़ताल का काम पिछले तीन वर्षों से अथवा इससे भी अधिक अवधि से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इतनी लम्बी अवांछनीय कार्यवाही किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इतने अधिक समय से चल रहा मामला कब पूरा हो जायेगा ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) और (ख) : हालांकि यह सच है कि अगस्त और सितम्बर 1963 में बड़ी संख्या में कागजात पकड़े गये थे और श्री श्रीराम दुर्गाप्रसाद के मामले सरकार के ध्यान में आये थे, लेकिन उन पार्टियों द्वारा महाराष्ट्र उच्च न्यायालय तथा आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से प्राप्त किये गये स्थान- आदेशों को क्रमशः फरवरी 1964 और नवम्बर 1964 में रद्द किये जाने के बाद ही जांच-पड़ताल का कार्य शुरू किया जा सका। लगभग 15 वर्ष की अवधि से सम्बन्धित कागजातों की छान-बीन तथा मेल-मिलान होना है, और ये कागजात 6 लाख से भी अधिक पृष्ठों में हैं। छान-बीन और मेल-मिलान का काम एक से भी अधिक विभागों द्वारा भारत भर के विभिन्न केन्द्रों पर किया जाना है, अतएव इसमें समय लगता ही है। जांच-पड़ताल की विभिन्न अवस्थाओं में भी सम्बन्धित पार्टियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों से स्थगन-आदेश प्राप्त कर लेने से इस कार्य में और भी बाधा पड़ती रही है।

(ग) : पूरी कोशिश की जा रही है कि जांच-पड़ताल शीघ्र ही पूरी कर ली जाय।

भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली में भ्रष्टाचार

2859. श्री गुलशन : **श्री प० ह० भील :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें भूमि तथा विकास कार्यालय दिल्ली में भ्रष्टाचार के किसी मामले के बारे में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

(क) भ्रष्टाचार के चार मामले नोटिस में आये है।

(ख) दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। तीसरे मामले में विभागीय जांच पूरी हो चुकी है तथा आगे की कार्यवाही की जा रही है। चौथे मामले की जांच की जा रही है।

भूमि तथा विकास कार्यालय, नई दिल्ली

2860, श्री गुलशन : श्री प० ह० भील :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली के कनिष्ठ अधिकारियों द्वारा पट्टेदारी के इकरारनामों के कथित उल्लंघनों संबंधी शिकायत पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा स्वयं मौके पर जाकर जांच नहीं की जाती जिसके परिणामस्वरूप पट्टेधारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि भूमि तथा विकास कार्यालय में काम काफी बाकी पड़ा हुआ है और एक मामूली से मामले को निपटाने में भी कई वर्ष लग जाते हैं ;

(घ) यदि हां, तो पिछले (एक) वर्ष (दो) तीन वर्ष तथा (तीन) पांच वर्ष से अधिक अवधि से कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

(क) और (ख) : पट्टे पर दिये गये परिसर का निरीक्षण अनुभाग अधिकारियों के द्वारा किया जाता है तथा उनके द्वारा निरीक्षित परिसरों का 5 प्रतिशत सहायक इन्जीनियर के द्वारा चैक किया जाता है। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए यह संभव नहीं कि सभी निरीक्षण रिपोर्टों का परीक्षण स्वयं स्थान पर जाकर करें। ऐसा करना भी आवश्यक नहीं है क्योंकि अनुभाग अधिकारी/सहायक इन्जीनियर के द्वारा रिपोर्ट की गयी पट्टे की शर्तों के सभी उल्लंघनों को पट्टाधारी के पास "कारण स्पष्ट करो" नोटिस के रूप में पट्टा विलेख के अन्तर्गत शर्तों के विरूद्ध कोई कार्यवाई करने से पूर्व, भेज दिया जाता हैं। इससे पट्टाधारी को रिपोर्ट की सत्यता को चुनौती देने का पर्याप्त अवसर मिलता है। जब कोई पट्टाधारी आपत्ति करता है तो स्थान पर जाकर निरीक्षण करके स्थिति की सत्यता जानने के लिए, एक वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

(ग) और (घ) : सामान्य मामलों के निर्णय में कुछ महीनों से अधिक समय नहीं लगता। पड़े हुए मामलों का ब्यौरा निम्नांकित है :—

(i) एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से कम ... 1,484

(i) तीन वर्ष से अधिक किन्तु पांच वर्ष से कम 275

(iii) पांच वर्ष से अधिक 98

इनमें से अधिकांश मामले, पट्टाधारी के द्वारा पट्टे की शर्तों के उल्लंघन, उनको हटाने। नियमित करने में असफल रहने तथा अन्य कानूनी जटिलताओं के कारण-जटिल बन गये हैं।

(ङ) भूमि तथा विकास कार्यालय में काम को शीघ्र निपटाने के लिए निम्नांकित कार्यवाई की गयी है :—

(i) एक मामले को तय करने में विभिन्न स्तरों की संख्या कम करना।

(ii) उप-भूमि तथा विकास अधिकारी और उसके कार्यालय के अन्य अधिकारियों को और अधिक अधिकार प्रदत्त करना।

(iii) विभिन्न स्तरों पर मामला तय करने के लिए समय-तालिका का शुरू किया जाना

(iv) किये गये काम तथा दैनिक किये गये काम की डायरी के मानदण्ड का शुरू किया जाना।

(v) कार्यालय के तकनीकी पक्ष का पुनर्गठन।

(vi) प्रत्येक अनुभाग में पड़े हुए कार्य की साप्ताहिक देखरेख।

(vii) जटिल मामलों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक करना।

(viii) देरी की शिकायतों पर कार्यवाई करना।

(ix) अकुशल तथा भ्रष्ट अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाई करना।

(x) मुलाकातियों के प्रति समुचित ध्यान देना।

नई दिल्ली में नई इमारतों के निर्माण के मामलों में नई दिल्ली नगरपालिका के मुकाबले में भूमि और विकास कार्यालय के काम

2861. श्री गुलशन : श्री प० ह० भील :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगरपालिका क्षेत्र में इमारतों के निर्माण के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका के मुकाबले में भूमि और विकास कार्यालय की स्थिति क्या है;

(ख) क्या व्यक्तिगत भूमि मालिकों द्वारा इमारतें बनाने के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका के कार्य में भूमि तथा विकास कार्यालय हस्तक्षेप करता है ;

(ग) क्या यह सच है कि निर्माण कार्य पूर्णता के प्रमाण पत्र नई दिल्ली नगरपालिका तथा भूमि और विकास कार्यालय द्वारा अलग अलग जारी किये जाते हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि अपने कनिष्ठ अधिकारियों की रिपोर्टों के आधार पर भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा मकानों का निर्माण कार्य पूरा होने तक प्रमाणपत्र जारी कर दिये जाने के बाद भी, उन कनिष्ठ अधिकारियों का तबादला हो जाने पर कुछ अन्तर बताये जाते हैं

तथा पट्टाधारियों को अपने मकानों को गिराने के लिये कहा जाता है ताकि वे उन मकानों के निर्माण को पुनः नियमानुकूल बनायें; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) :

(क) और (ख) : नगरपालिका उप-नियमों तथा पट्टा-विलेख के अनुबन्धों के अन्तर्गत नई दिल्ली नगरपालिका तथा भूमि तथा विकास अधिकारी को क्रमशः अलग अलग कार्य करने होते हैं। जबकि नई दिल्ली नगर-पालिका के उप-नियमों के उपबन्धों के अधीन बिल्डिंग प्लान की मंजूरी तथा तैयारी का प्रमाण-पत्र (कम्पलीशन सर्टिफिकेट) देती है, भूमि तथा विकास अधिकारी पट्टा विलेख के अनुबन्धों के अन्तर्गत ऐसा अलग से करता है।

(ग) जी नहीं। वह नई दिल्ली नगरपालिका को यह सूचित कर देता है कि प्लान की मंजूरी पट्टा विलेख के अनुबन्धों को कहां अतिलघन कर सकती है।

(घ) तथा (ङ) जी नही, हमारी जानकारी में नहीं। किन्तु यदि कोई विशेष मामले हमारे नोटिस में लाये जायें, तो उन पर विचार किया जायेगा।

नजूल भूमि को पट्टे पर देना

2862. श्री गुलशन : श्री प० ह० भील :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार के निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय के अवर सचिव द्वारा दिल्ली के मुख्यायुक्त को भेजे गये पत्र संख्या 27 (6)/63/एल, दिनांक 10 दिसम्बर, 1963 के अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली में नजूल भूमि को पट्टे पर देने की अपनी नीति को भारत सरकार ने उदार बनाया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त पत्र का विस्तृत प्रचार नहीं किया गया, जिसका राजधानी में अनेक पट्टों पर प्रभाव पड़ता हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत से संबद्ध व्यक्ति इस रियायत का लाभ नहीं उठा सके ; और

(ग) यदि हां, तो अन्य लोगों को भी यह रियायत देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) जी हां। पट्टाधारियों को अतिरिक्त निर्माण के समय लागू नगरपालिका-उपनियमों के अन्तर्गत अधिकतम घेरने की अनुमति की शर्त के अनुसार घेरे गये वर्तमान स्थान का 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण की अनुमति थी। यह रियायत दिसम्बर, 1965 तक दो वर्षों की अवधि के लिये दी गई थी। एक और रियायत दी गई थी कि एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य, उत्तराधिकार, विभाजन अथवा ऐसे ही किसी समान सौदे में लगभग समान मूल्य की सम्पति के हस्तान्तरण अथवा विनिमय से सम्पति के अनार्जित वृद्धि के लिए कोई मांग नहीं की जायेगी। इस रियायत के लिये कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी।

(ख) और (ग) : पहली रियायत को बढ़ाने का प्रश्न विचाराधीन है।

दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम के अभियन्ता

2863. श्री मुहम्मद इलियास : श्री प्रिय गुप्त :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम के मुख्य अभियन्ता ने 'सी' बिजली घर में काम करने वाले अभियन्ताओं को निदेश दिये हैं कि कारखाना अधिनियम की अपेक्षताओं को पूरा करने के लिये वे उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करें ;

(ख) यदि हां, तो क्या अभियन्ताओं को कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत सभी सुविधायें और दायित्व सौंपे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) :

(क) जी, हां । इन्द्रप्रस्थ बिजली घर के केन्द्रीय कक्ष में पारियों में काम करने वाले केवल सहायक अभियन्ताओं और पारी अभियन्ताओं को उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए अनुदेश दिये गये हैं ।

(ख) जी, हां । वर्दी और साबुन की सप्लाई जैसी कुछ मामूली सुविधाओं को छोड़कर शेष सभी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रणजीत होटल, नई दिल्ली

2864. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : श्री मधु लिमये :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि होटल रणजीत, नई दिल्ली घाटे में चल रहा है ;

(ख) क्या इस होटल को पुनः श्रमजीवी महिलाओं के होस्टल में बदलने का कोई प्रस्ताव है, जैसा प्रारम्भ में आयोजन किया गया था ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) श्रमजीवी महिलाओं के लिए आवास की अन्य क्या व्यवस्था करनें का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) क्योंकि इसने अपने कार्य का एक वर्ष अभी ही पूरा किया है अतएव इसके वित्तीय परिणामों का अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय का सम्बन्ध केवल सरकारी सेवा में श्रमजीवी महिलाओं को रिहायशी सुविधाओं की व्यवस्था करने से है ।

श्रमजीवी महिलाओं के लिए कर्जन रोड पर एक सरकारी होस्टल है जिसमें 226 महिलायें

रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो श्रमजीवी महिलायें सरकारी नौकरी में हैं वे अन्य किसी भी सरकारी कर्मचारी की तरह नियमित वास के लिए पात्र है।

हिंडोन में सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की व्यवस्था

2865. श्री काजरोलकर : **श्री काशी नाथ पांडे :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिंडोन में सरकारी कर्मचारियों को कोई रिहायशी आवास नहीं मिलता है और दिल्ली में रहने वाले व्यक्तियों को, जिन्हे सरकारी मकान मिले हुए हैं, उन मकानों को अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) हिन्डन में तैनात सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में आवंटित सामान्य पूल के क्वार्टरों को अपने पास बनाये रखने की अनुमति है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Gold Recovered from Passengers at Agra Cantonment Station

2866. **Shri Shinkre :** **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Y. D. Singh : **Shri Brij Basi Lal :**
Shri Braj Bihari Mehrotra : **Shri Vishwa Nath Pandey :**
Shri Ram Swarup : **Shri Balgobind Verma :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold worth forty-five thousand rupees was recovered from two passengers travelling by the Pathankot Express at Agra Cantonment Station during the second week of November, 1966;

(b) if so, the place from where the gold was brought; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri)

(a) On 9th November, 1966 the Central Excise Officers apprehended two passengers when they alighted at Agra Cantonment Railway Station from the Pathankot Express and seized 36 cigarette lighters of foreign make and 250 tolas of gold bearing foreign markings from them. The value of the gold seized is Rs. 24,605/— at the international rate.

(b) The gold was brought from Bombay.

(c) The two passengers were arrested and subsequently enlarged on bail. The case is under investigation.

मैसूर में आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद सोने की खानों का बन्द किया जाना

2867. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कौलार स्वर्ण क्षेत्रों में अब तक कौन कौन सी सोने की खानों को आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद, होने के कारण बन्द कर दिया गया है,

(ख) खानों के बन्द किये जाने के कारण कितने श्रमिक बेरोज़गार हो गये हैं ;

(ग) आर्थिक दृष्टि से अलाभप्रद होने के कारण कितनी और खानों को बन्द किये जाने की सम्भावना है ;

(घ) कोलार स्वर्ण क्षेत्रों से छंटनी किये गये तथा फालतू घोषित किये गये श्रमिकों को दूसरा रोजगार देने के लिये क्या व्यवस्था की गई है अथवा करने का विचार है ताकि वे पड़ौसी राज्य में न चले जायें; और

(ङ) वैकेल्पिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप अब तक कितने श्रमिकों को रोजगार दिया गया है तथा निकट भविष्य में कितने लोगों को रोजगार दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

(क) कोलार स्वर्णक्षेत्रों की कोई भी खान अभी तक बंद नहीं की गयी है। 1953 में, खुदाई का काम सीमित हो जाने के कारण ऊरगाम खान को चैम्पियन रीफ खान के साथ मिला दिया गया, लेकिन पुरानी ऊरगाम खान के कुछ भागों में अब भी काम जारी है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) इस समय खोज और विकास का जो काम हो रहा है उससे यदि नयी कच्ची धातु का पता नहीं चला, तो मैसूर / चैम्पयिन रीफ की सम्मिलित खान के मैसूर वाले भाग के कुछ हिस्सों को लगभग चार या पांच वर्षों की अवधि में बंद करना पड़ सकता है।

(घ) और (ङ) : जैसा कि पहले कहा जा चुका है, खानों के बंद कर दिये जाने से मजदूरों की छंटनी नहीं हो रही है। पर काम के अधिक अच्छे तरीके अपनाये जाने के कारण कुछ मजदूर फालतू हो गये हैं। लगभग 50 फालतू कामगर भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नामक कारखाने द्वारा रख लिये गये हैं जो कोलार के स्वर्ण क्षेत्रों में स्थापित किया जा रहा है और जिसमें लगभग 3000 कामगरों को काम दिया जा सकता है। आशा है कि इस कारखाने द्वारा जल्दी ही 200 और भी फालतू मजदूरों को रख लिया जायगा। कोलार सोना खनन प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों ने हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज आदि को फालतू कामगरों की उपलब्धि की सूचना दे दी है तथा वे बंगलौर में और उसके आस-पास केन्द्रीय सरकार के इन प्रतिष्ठानों में दूसरा काम पाने में फालतू कामगरों की हर तरह से सहायता कर रहे हैं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का स्थानांतरण

2868. श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के स्थानांतरण के लिये 'असुविधाजनक क्षेत्रों' की परिभाषा करने तथा ऐसे क्षेत्रों की संख्या और डाक्टरों के लिये उन क्षेत्रों में भत्ते निर्धारित करने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां तो विलम्ब के कारण क्या हैं ; और

(ग) इस मामले में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर)

(क), (ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों को जिन स्थानों पर काम के लिये भेजा जाता है, सरकार उनको तीन श्रेणियों में विभक्त करने का पहले ही फैसला कर चुकी है— (1) महानगर, (2) छोटे नगर और कस्बे (3) दूरवर्ती क्षेत्र जिनमे ग्रामीण क्षेत्र भी सम्मलित हैं। इन स्थानों पर काम करने वाले डाक्टरों को वही भता दिया जायेगा जो उन स्थानों पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है।

कम आय वर्ग गृह निर्माण योजना

2869. श्री प्रिय गुप्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम आय वर्ग गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा लाटरी के द्वारा प्लाटों के नियतन के लिये पात्रता निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ अलाटी तथा उसकी पत्नी/उसके पति की मिलाकर मासिक आय की अधिकतम सीमा 500 रुपये निश्चित की गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी प्लाट के अलाटी को दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा ऋण दिये जाने के प्रयोजनार्थ पति अथवा पत्नी में से एक की 500 रुपये से कम मासिक आय को ही 10,000 रुपये का अधिकतम ऋण देने के लिये माना जाता है तथा पति व पत्नी की संयुक्त आय को जैसा कि उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित है माना नहीं जाता ; और

(ग) यदि हां, तो प्लाट के अलाटमेंट तथा प्लाट पर मकान बनाने के लिये ऋण देने के बारे में आय के बारे में दो भिन्न भिन्न मापदण्ड निश्चित किये जाने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :

(क) कोई व्यक्ति निम्न आय वर्ग में आता है यह निर्धारण करने के लिए आवेदक, उसकी पत्नी अथवा उसके पति एवं अन्य आश्रित संबंधियों की कुल आय शुमार की जाती है तथा इस संयुक्त आय की उच्चतम सीमा 500 रुपये प्रति माह है।

(ख) निम्न आय वर्ग आवास योजना के अंतर्गत उन लोगों को ऋण दिया जाता है जिनकी वार्षिक आय छः हजार रुपये से अधिक न हो। यदि जिस प्लाट पर मकान बनाना है वह पति, पत्नी दोनों के संयुक्त रूप से स्वामित्व में है तथा दोनों की संयुक्त आय छः हजार रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है तो दोनों को संयुक्त ऋण दिया जा सकता है।

(ग) पूर्व निर्धारित दरों पर विकासित प्लाटों का आवंटन एक रियायत है अतएव परिवार की संयुक्त आय शुमार की जाती है ताकि वास्तव में योग्य व्यक्तियों को यह रियायत मिले।

दिल्ली में सरकारी अस्पतालों में प्रयोगशाला तकनीशीन (लेबोरेटरी टैक्निशियन)

2870. श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री इम्बीचीबाबा**
श्री म० ना० स्वामी : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पतालों के प्रयोगशाला तकनीशनों की पदोन्नति की जाने की कोई व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन अस्पतालों के कर्मचारियों ने अस्पतालों की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पदोन्नतियों की सुविधाओं की मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) और (ख) प्रयोगशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को तीन श्रेणियां है जिनके पद-नाम इस प्रकार है: लेबोरेटरी अटेन्डैंट (रुपये 80-1-85-2-95-EB-3-110), लेबोरेटरी असिसटैंट (रुपये 110-4-150-EB-4-170-5-180-EB-5-200), लेबोरेटरी तकनीशन यह इन श्रेणियों में सबसे ऊंचा है (रुपये 150-5-160-8-240-EB-8-280-10-300 विज्ञान स्नातकों के लिये और दूसरों के लिये रुपये 130-5-160-8-240-EB-8-280-10-300) ।

(ग) जी, नही ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

नई दिल्ली के विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पतालों के प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतन-क्रम

2871. श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री इम्बीचीबावा :**
श्री म० ना० स्वामी : **श्री लक्ष्मी दास :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 में जारी किये गये सरकारी आदेश के द्वारा दिल्ली के विलिंगडन तथा सफदरजंग अस्पतालों के प्रयोगशाला तकनीशनों के वेतन-क्रम घटा दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण से पूर्व वेतन-क्रम क्या था तथा नया वेतन-क्रम क्या है ;

(ग) किस नियम के अन्तर्गत उक्त वेतन-क्रम घटाया गया ; और

(घ) इस पुनरीक्षण से कितने व्यक्तियों पर कुप्रभाव हुआ है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) जी, हां ।

(ख) (1) पुनरीक्षण से पूर्व वेतन-क्रम (रुपये 150-5-160-8-240-ई०बी-8-280-10-300) ।

(2) नये वेतन क्रम-केवल विज्ञान स्नातकों के लिये-जैसा कि ऊपर संख्या 1 में दिया गया है । दूसरों के लिये-रुपये 130-5-160-8-240-ई०बी०-8-280-10-300 ।

(ग) और (घ) द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशो के आधार पर सरकार ने वेतन-क्रम घटा दिया था क्योंकि उनका यह कहना था कि रुपये 150-300 वाला वेतन-क्रम केवल विज्ञान-स्नातकों को ही दिया जाना चाहिए ।

(ङ) सफदरजंग अस्पताल में 49 और विलिंगडन अस्पताल में 18 व्यक्ति इससे प्रभावित हुए ।

सफदरजंग अस्पताल के तकनीकी कर्मचारियों के लिए क्वार्टर

2872. श्री दीनेन भट्टाचार्य : **श्री लक्ष्मी दास :**
श्री इम्बीचीबावा : **श्री म० ना० स्वामी :**

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा निदेशालय, दिल्ली के अस्पताल 'पूल' में से सफदरजंग अस्पताल के तकनीकी कर्मचारियों के लिए कुल कितने रिहायशी क्वार्टरों की व्यवस्था है ;

(ख) उपरोक्त अस्पताल में तकनीकी कर्मचारियों को कुल कितने क्वार्टर दिये गये हैं ;

(ग) इस अस्पताल में कुल कितने तकनीकी कर्मचारी हैं ; और

(घ) क्या सरकार का उनके काम को देखते हुये उनके लिए क्वार्टरों की व्यवस्था करने के लिए किसी योजना पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) और (ख) सम्पदा अधिकारी ने चिकित्सा अधिक्षक को कुल 107 क्वार्टर (श्रेणी द्वितीय और तृतीय) बताये हैं जिन्हें वह अपनी इच्छा से अनिवार्य कर्मचारियों को रहने के लिये दे सकता है । ये विशेष रूप से तकनीकी कर्मचारीयों के लिये नहीं बनाये गये हैं । तथापि इनमें से 50 क्वार्टरों में तकनीकी कर्मचारी रह रहे हैं ।

(ग) 237

(घ) जी, हां । परन्तु उन सभी कर्मचारियों को, जो सरकारी निवास-स्थान पाने के हकदारी है, क्वार्टर देने में कुछ समय लगेगा । फिलहाल तो प्रत्येक कर्मचारी को उसकी बारी आने पर केन्द्रीय 'पूल' से उसी प्रकार क्वार्टर दिये जायंगे जैसे सरकारी अन्य कर्मचारियों को दिये जाते हैं ।

बिलिंगडन अस्पताल के तकनीकी कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

2873. श्री नम्बियार : **श्री उमानाथ :**
डा० सारदीश राय : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्री इम्बीचीबावा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में कुल कितने तकनीकी कर्मचारी हैं ;

(ख) कुल कितने तकनीकी कर्मचारियों को सरकार द्वारा क्वार्टर दिये गये हैं ;

(ग) क्या उन कर्मचारियों को, जिन्हें क्वार्टर नहीं दिये गये हैं तथा जो दूरस्थ स्थानों में रहते हैं, कोई सवारी भत्ता दिया जाता है ; और

(घ) उक्त अस्पताल के सब तकनीकी कर्मचारियों को क्वार्टर देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) विलिंगडन अस्पताल में ऊर्ध्व-चिकित्सा कर्मचारियों समेत तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या 347 है।

(ख) 205 कर्मचारी।

(ग) अपने घर से कार्य के स्थान तक आने के लिये किसी भी कर्मचारी को नियमों के आधीन सवारी भत्ता नहीं दिया जाता।

(घ) अस्पताल के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी केन्द्रीय 'पूल' से सरकारी क्वार्टर लेने के उसी प्रकार अधिकारी है जिस प्रकार अन्य सरकारी कर्मचारी हैं। प्रत्येक की बारी आने पर सरकारी क्वार्टर मिल जायेगा।

सफदरजंग अस्पताल में प्रयोगशाला तकनीशनों की नियुक्ति

2874. श्री प्रिय गुप्त :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में प्रयोगशाला तकनीशनों की नियुक्ति का तरीका क्या है तथा अप्रैल, 1965 से अब तक सीधी भर्ती तथा पदोन्नति द्वारा क्रमशः कुल कितनी नियुक्तियां की गई है;

(ख) क्या अगस्त, 1966 में इन पदों पर की गई नियुक्तियों के लिये विभागीय उम्मीदवारों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गये थे और यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या इस अस्पताल में लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों को जिनके पास न कोई तकनीकी अर्हता है और न प्रयोगशाला में काम करने का अनुभव है, प्रयोगशाला तकनीशनों के पदों पर नियुक्त किया गया है ;

(घ) सफदरजंग अस्पताल में रिक्त पदों में से कम से कम 50 प्रतिशत पदों पर प्रयोगशाला सहायकों को वरिष्ठता के आधार पर नियुक्त न करने के क्या कारण हैं जैसा कि सरकार के अन्य विभागों में किया जाता है ; और

(ङ) विभागीय उम्मीदवारों की पदोन्नति के बारे में सरकार की भावी नीति क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) 17 जनवरी 1966 से पूर्व सभी रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की गयी थी। इसके पश्चात् पुनरीक्षित भर्ती के नियमों के अनुसार 50 प्रतिशत नियुक्तियां सीधी भर्ती तथा 50 प्रतिशत नियुक्तियां पदोन्नति के आधार पर की जाती हैं, यदि पदों को पाने के इच्छुक अपेक्षताओं को पूरा करते हैं।

कुल 19 नियुक्तियां की गयी हैं जिनमें से 16 नियुक्तियां सीधी भर्ती से तथा 3 नियुक्तियां पदोन्नति से की गयी हैं।

(ख) जनवरी 1966 के बाद अगस्त 1966 में रिक्त हुए दूसरे स्थान को सीधी भर्ती द्वारा भरा गया था क्योंकि 50 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति से नियुक्तियां की जानी हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) इनका उत्तर प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में ही सम्मिलित है।

मैसूर की बिजली सम्बन्धी आवश्यकतायें

2875. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पूरी करने के लिये मैसूर राज्य की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं (औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा घरेलू उपयोग की बिजली) के बारे में अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या शारावती परियोजना से तैयार की जाने वाली बिजली से वह मांग पूरी हो जायेगी ; और

(घ) यदि हां, तो कहां तक ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री कु० ल० राव) :

(क) जी, हां।

(ख) चौथी योजना के अन्त तक मैसूर राज्य की बिजली सम्बन्धी मांगे निम्न प्रकार होंगी :

	मेगावाट
औद्योगिक आवश्यकता	862
कृषि सम्बन्धी आवश्यकता	160
घरेलू तथा वाणिज्य सम्बन्धी आवश्यकता	20·4
वाटरवर्क्स, लाइसेंसदारों को सप्लाई सम्बन्धी आवश्यकता	50
	1092·4

इस प्रकार मैसूर व्यवस्था की सर्वाधिक मांग का अनुमान 938 मेगावाट है। साथ ही 47 मेगावाट बिजली गांवों को दी जायेगी। इस प्रकार चौथी योजना के अन्त तक पूरी की जाने वाली कुल मांग 985 मेगावाट होगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। करीबन 115 मेगावाट की कमी होगी।

गुरु नानक को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली

2876. श्री स० चं० सामन्त : **श्री ब० कु० दास :**
श्री डेविड मुन्जनी : **श्री अ० सिंह सहगल :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गुरु नानक को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, नई दिल्ली, की जिसे सरकार ने दिल्ली के निवासी अपने वास्तविक सदस्यों की प्लाट देने के लिये भूमि नियत की है, सदस्यता सूची में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो दिल्ली के निवासी नहीं

हैं और इस प्रकार उसने ऐसे अनेक-वास्तविक सदस्यों को उनके हक से वंचित कर दिया है जिनके नाम उसकी सदस्यता सूची से निकाल दिये गये हैं, ताकि अपात्र व्यक्तियों को सदस्य बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समिति के कार्य की जांच करने का है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि (1) यह समिति सरकार द्वारा अलाट की गई भूमि अपात्र सदस्यों को न दे सके और (2) उसके वास्तविक सदस्यों के नाम उसकी सदस्यता सूची से न निकाले जायें ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)

(क) सोसायटी के उप-नियम केवल दिल्ली के निवासियों तक ही सदस्यता सीमित नहीं करते । अन्य बातों के साथ साथ यह उपबन्ध है कि सदस्य दिल्ली / नई दिल्ली अथवा उसके आस पास में मकान बनाने वाला संभावित हो ।

(ख) व्यक्तिगत सदस्य के साथ उप-पट्टा करते समय यह आश्वासित कर लिया जायेगा कि किसी अपात्र सदस्य को भूमि का आवंटन न हो जाये ।

कारो नदी के जल का दूषित हो जाना

2876. क-श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयरन एण्ड स्टीलमिको कम्पनी, गुआ सिंहभूम, बिहार की लौह-अयस्क खानों का चूरा कारो नदी में साफ किया जाता है ;

(ख) क्या आस-पास के गांवों के लोग इस नदी का जल पीने के काम में लाते हैं ;

(ग) क्या इस नदी के जल के दूषित होने के कारण उस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बड़ी परेशानी हो रही है और यदि हां, तो उस कम्पनी को अपने गन्दे पानी आदि को बस्ती वाले क्षेत्र से दूर नदी में बहाने के लिये हिदायते क्यों नहीं दी ; और

(घ) क्या इस मामले के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त का ध्यान दिलाया गया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) :

(क) से (घ) जानकारी राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

डिफू में सशस्त्र मिकिर आदिम जातियों द्वारा धावा

श्री स्वैल (आसाम-स्वायत्तशाली जिले) : नियम 41 (सात) और (पन्द्रह) के अधीन

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : वह उपबंध तो प्रश्नों के बारे में है और यह ध्यान दिलानी वाली सूचना है ।

श्री स्वैल : यह मामला आसाम की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में है । आसाम में बहुत भयकर घटनायें हो चुकी है जिनमें सेवा, केन्द्रीय सीमा सुरक्षा पुलिस आदि सरकारी एजेंसियों का प्रयोग किया गया था परन्तु आपने इस सभा में इस आधार पर कोई भी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी कि वे मामले राज्य सरकार की कानून और व्यवस्था की स्थिति के सम्बन्ध में थे । अब इस मामले में भी केन्द्रीय सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं आती है । अतः इसे स्वीकार करना भी नियम बाह्य होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस बारे में विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इन परिस्थितियों में जब एक विशिष्ट जाति आक्रमण करने जा रही है तो इस पर केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व आता है ।

श्री स्वैल : जब अगस्त में शिलांग में गोली चल रही थी तो आपने कहा था कि आसाम में कोई अनुसूचित क्षेत्र नहीं है और इस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता ।

अध्यक्ष महोदय : वह भिन्न बात थी ।

श्री स्वैल : जब मामला आदिम जातियों के सम्बन्ध में है तो केन्द्र का उत्तरदायित्व कैसे आता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने विनिर्णय दे दिया है ।

श्री नाथ पाई : मैं गृह-कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न इस विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"डिफू, आसाम, में मिकिर आदिम जाति के बहुत से सशस्त्र लोगों द्वारा धावा बोलने का समाचार ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : आसाम सरकार से मिली सूचना के अनुसार 20 नवम्बर, 1966 को लगभग साढ़े बारह बजे 3000 से 4000 ग्रामीण लैंछिंग की मिकिर पहाड़ियों में हौड़ाघाट थाने में इकट्ठे हुए थे । वह एक 'हाट' दिवस था और किसान लोग शीर्ष विक्रय सहकारी समिति के एजेंटो को, जिनको राज्य सरकार की ओर से समाहार का एकाधिकार प्राप्त होता है, नई फसल की धान बेचने के लिये लाये थे । अपनी धान बेचने में देरी हो जाने के कारण किसान अधीर हो गये । किसानों का जत्था सहकारी समिति के गोदाम में घुस गया और उसने कुछ पुलिस अधिकारियों समेत, जो किसानों को शान्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, सरकारी तथा सहकारी समिति के अधिकारियों पर धावा बोल दिया । जत्थे ने समिति की नकदी भी लूट ली जो लगभग एक लाख रुपये थी और वे लोग रिकार्ड भी उठा कर ले गये । समिति की एक ऐस० बी० बी० एल० तोप भी चुरा ली गई थी जो बाद में लैंछिंग बाजार में पाई गई ।

धान की खरीद के लिये राज्य सरकार सहकारी समिति की व्यवस्था को दृढ़ और सरल बनाने के लिये प्रयास कर रही है । उस क्षेत्र के निकट विभिन्न महत्वपूर्ण 'हाटों' में अधिकारियों की सुरक्षा के लिये तथा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी कार्यवाही की गई है । पुलिस के पास एक मामला दर्ज किया गया है और 33 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं । स्थिति शान्त है । इस घटना का सम्बन्ध किसी राजनैतिक आन्दोलन अथवा आदिम जाति में अशान्ति से नहीं है ।

श्री नाथ पाई : वक्तव्य में बताया गया है कि किसानों का जत्था सहकारी समिति के गोदाम में घुस गया और उसने सरकारी तथा सहकारी समितियों के अधिकारियों एवं पुलिस अधिकारियों पर धावा बोला। उसने समिति की लगभग एक लाख रुपये की नकदी भी लूट ली और रिकार्ड भी उठा लिये। इन सब चीजों को देखते हुए कोई भी कह सकता है कि यह केवल घटना नहीं थी। ऐसी घटनायें आसाम में निरन्तर हो रही हैं। अतः ये घटनायें इस बात की द्योतक है कि उन लोगों की नजरों में इस सरकार के अधिकारियों की कोई हस्ती नहीं है। यदि माननीय मंत्री मेरे साथ सहमत हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का विचार स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मेरे ख्याल से माननीय सदस्य इस घटना को किन्हीं अन्य तथ्यों से मिलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस प्रश्न का सम्बन्ध आदिम जातियों के लोगों में अशान्ति से बिलकुल नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि समिति के अधिकारियों का बदलने के कारण उनमें असन्तोष हो गया था। सरकार सारे मामले पर व्यापक रूप से विचार कर रही है।

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : वक्तव्य में शीर्ष विक्रय सहकारी समिति का उल्लेख किया गया है। यह समिति, जिसे उस राज्य में धान का समाहार करने का एकाधिकार प्राप्त है, बड़ी बुरी तरह से व्यवहार करती है।

अध्यक्ष महोदय : समिति के व्यवहार के बारे में हम प्रश्न नहीं उठा सकते। यदि हम उठाते है तो श्री स्वैल की आपत्ति ठीक है। सीमा क्षेत्र पर होने के कारण मैंने इसकी अनुमति दी है

श्री हेम बरुआ : समिति के लोगों के दुरव्यवहार के कारण ही किसान लोगों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया है। अतः इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि केन्द्राय सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसी हिदायतें भेजने के लिये क्या कार्यवाही की है कि वह समिति की व्यवस्था को ठीक करे और वहां के किसानों की कठिनाईयों को दूर करे ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जैसा कि मैं अपने वक्तव्य में कह चुका हूं आसाम सरकार ने समिति की व्यवस्था को ठीक करने का निश्चय कर लिया है।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : इस घटना को देखते हुए सरकार का क्या ठोस कायवाही करने का विचार है ताकि मिकिर आदिम जाति के लोग छिपे नागों से न मिल जाये ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस घटना का सम्बन्ध आदिम जाति अशान्ति के अन्य पहलुओं से बिलकुल नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मैंने जो यह कहा है कि पुरुष कर्मचारी हैं, तो उसमें महिलायें भी शामिल हैं।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या गुप्तचर विभाग की इस रिपोर्ट पर विश्वास किया जा सकता है कि राज्य सरकारों का रवैया आसाम की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्या के प्रति असन्तोषजनक रहा है इसलिये आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिम जाति लोगों ने भारत सरकार तथा राज्य सरकारों को छोड़कर चीन और पाकिस्तान आदि देशों से अपनी समस्याओं के सन्तोषजनक निपटारे के लिये बातचीत करनी आरम्भ कर दी है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : माननीय सदस्य मेरी राय जानना चाहते हैं। परन्तु मैं देने को तैयार नहीं हू।

श्री हरि विष्णु कामत : परन्तु क्या रिपोर्ट पर विश्वास किया जा सकता है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : यह बात तो सही है कि उस क्षेत्र के लोगों में अन्तोष की भावना है। परन्तु मैं यह दोष केवल राज्य सरकारों पर ही नहीं लगा सकता।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : माननीय मंत्री के उत्तर से ऐसा मालूम होता है कि इस घटना का सम्बन्ध राजनीति से बिलकुल नहीं है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि न केवल मिकिर पहाड़ियों में बल्कि मिजो और खासी पहाड़ियों के लोगों में असन्तोष है क्योंकि उनकी मांगे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं की गई है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने इस पहलू को ध्यान में रखा है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस घटना का सम्बन्ध उन बातों से नहीं है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) :

There cannot be two opinions about it that there is general unrest among the true people of Assam. May I know whether the people of those areas has put forward their demands which were not accepted at that time. May I also know whether a decision is likely to be arrived at very soon regarding the reasonable demands of those people ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : इस बात पर विचार करने के लिये एक उप-समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति के सदस्य विभिन्न आदिम जातियों के प्रतिनिधियों को मिले थे और उन्होंने कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे जो विचाराधीन हैं।

श्रीमती ज्योत्सना चन्दा (कचार) : माननीय मंत्री ने कहा है कि किसानों ने केवल असन्तोष के कारण ही धावा बोला है। मैं सरकार को डिप्सु में हुई रेल दुर्घटना की याद दिलाता हूं। उसको ध्यान में रखते हुए क्या सरकार यह नहीं समझती है कि इसके पीछे किसी विदेशी शक्ति का हाथ है तथा क्या सरकार का विचार कोई ऐसी कार्यवाही करने का है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक मेरी जानकारी है ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : हम आसाम के आदिम जाति क्षेत्रों में एक विद्रोह के बाद दूसरा विद्रोह हो रहा है। अब मिकिर की पहाड़ियों में हुआ है। वहां कानून का पालन करने वाले लोग रहते हैं। इसलिये इस संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह महसूस करती है कि इसमें विदेशी तत्व का हाथ हो सकता है और यदि हां, तो क्या इन लोगों को विदेशी तत्वों के हाथ में जाने से बचाया जा सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर पहले ही दे दिया हुआ है। उन्होंने कहा है कि उन्हें ऐसा कोई शक नहीं है।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) :

May I know whether it is a fact that it has been published in the newspapers that the arms carried away by these persons were later on recovered from hostile Nagas, if so, what is the reaction of Government thereto ?

Shri Y. B. Chavan : It is not a fact.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आसाम सरकार अपने कार्य में असफल रही है क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जहां तक इस घटना का सम्बन्ध है आसाम सरकार आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

ध्यान दिलाने वाली सूचना तथा स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE: CALLING ATTENTION NOTICE AND MOTION FOR ADJOURNMENT (QUERY).

Shri Bade (Khargone): I have given a calling Attention Notice and also a notice of adjournment motion. Shri Rishiswarup Brahmachari had collapsed after past into death. The police had dramatically removed the dead body of this martyr.

Mr. Speaker: You cannot go on speaking like that.

Shri Bade: We have given calling attention notice as well as motion for adjournment. Justice is not being done with Hindus. Atrocities of police have increased.

Mr. Speaker: How can the hon. Member go on speaking like that?

Shri Bade: We give notice and that is not accepted by you.

श्री रंगा (चित्तूर) : एक साधू की मृत्यु के बारे में समाचार पत्रों में छपी खबर आपने भी पढ़ी होगी। उसे देखते हुए हम आशा करते थे कि गृह मंत्री स्वयं वास्तविक तथ्यों के बारे में वक्तव्य देंगे। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि वह साधू भूख हड़ताल पर था और उसकी मृत्यु हो गई है। प्रश्न केवल यह है कि उसने व्रत तोड़ा था और तब उसकी मृत्यु हुई थी अथवा व्रत तोड़ने से पहले मृत्यु हो गई थी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): May I know why Government is silent over this issue?

अध्यक्ष महोदय : क्या गृह मंत्री वक्तव्य देंगे ?

गृह कार्य मत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस समय मेरे पास जानकारी नहीं है। यदि आप कहे तो मैं दिन में किसी समय वक्तव्य दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वास्तविक तथ्यों के बारे में वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं शाम को वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं इतने सदस्यों को एक ही समय में नहीं सुन सकता। इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये।**

श्री शिंकरे (मरमागेंग्रा) : डाक्टरी बुलिटेन सभा-पटल पर रखा जाना चाहिये।

श्री त्यागी (देहरादून) : क्या स्वामी जी ने नोटिस दिया था।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It was announced that he will be on fast.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor):

Jagadguru Shankaracharya of Puri is vomitting blood. Shri Prabhu Datt

---

(अन्तर्बाधायें) * * कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**NOT RECORDED

Brahmachari's health is deteriorating. Shri Muni Sushil Kumar will be on fast from tomorrow. Where will be the end of all this. The Prime Minister and the Home Minister should tell what will be the result of all these things ?

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): The Doctors are not attending Prabhu Datt Brahmachari in the Jail.

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : लोग बाग तो भूखे मर रहे है और वे गायों की रक्षा करना चाहते हैं । हम जीवित रहना चाहते हैं ।

Shri Ram Sawak Yadav: Sir, you kindly listen to me. (Interruption)**

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा सकता ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जेल में मर जाने वाले लोगों के शव उनके सम्बन्धियों को दिये जाने चाहिये ।

Shri Bagri (Hissar): I want to say about the arrest of Dr.Lohia and other members of the House.

अध्यक्ष महोदय : हम इसे देखेंगे । डा० लोहिया ने मुझे पत्र लिखा है और मैं मशवरा करके कुछ कहूंगा ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री किस समय वक्तव्य देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : छः बजे के बाद ।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह श्री शंकराचार्य और स्वामी प्रभूदत्त ब्रह्मचारी के स्वास्थ्य के बारे में नवीनतम स्थिति के बारे में अपने वक्तव्य में बतायें ।

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र
RESIGNATION BY MEMBERS

श्री कोल्ला वैंकैया (तेनालि) : विशाखापटनम में इस्पात कारखाने के मामले में निर्णय करने से इंकार करते समय भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से ...

अध्यक्ष महोदय : इस मामले को उठाने का यह तरीका नहीं है ।

श्री कोल्ला वैंकैया : 35 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने से बहुत से लोग मारे गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य को कहता हूं कि वह अपने स्थान पर बैठ जायें ।

श्री कोल्ला वैंकैया : क्योंकि आपने मुझे अनुमति नहीं दी हैं ...

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं सदस्य को नाम लेकर नहीं पुकारता कार्यवाहीं वृत्तान्त में कुछ नहीं सम्मिलित किया जायेगा । * * *

श्री कोल्ला वैंकैया : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र देना चाहता हूं ।

---

* * कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
**NOT RECORDED

* * * कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।
***NOT RECORDED

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे। उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया है। वह अब यहां क्यों उपस्थित हैं। वह अब सदस्य नहीं हैं ... अन्तर्बाधायें * * * ऐसा कोई उपलब्ध नहीं हैं कि कोई माननीय सदस्य त्यागपत्र पर देने पर वक्तव्य दे सकते हैं।

श्रीमती रेणुचक्रवर्ती (बैरकपुर) : जब मंत्रियों को अधिकार है तो सदस्यों को क्यों नहीं है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल वित्त निगम के लेखे का परीक्षा प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) :

मैं, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित, राज्य वित्त निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के लिए केरल वित्त निगम के लेखे के परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7462/66**]

केरल बेदखली का निवारण अधिनियम 1966

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : मैं, श्री अशोक मेहता की ओर से केरल राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1965 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत केरल बेदखली का निवारण अधिनियम 1966 (राष्ट्रपति का 1966 का अधिनियम संख्या 12) की एक प्रति, जो दिनांक 11 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7463/66**]

सदस्यों द्वारा त्यागपत्र—जारी
RESIGNATION OF MEMBERS- CONTD.

अध्यक्ष महोदय : सभा का सदस्य न रहने पर भी वह सभा में है। उन्हें अब बाहर चले जाना चाहिये।

श्री रंगा (चित्तूर) : उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया होगा परन्तु आपने उसकी घोषणा नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी मंशा बता दी है। जैसे ही इसकी घोषणा की जाती है उससे मामला समाप्त हो जाता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): You may kindly inform the House what he has written.

***कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

***NOT RECORDED

Mr. Speaker: I have already informed the House that he has tendered his resignation. That finishes the matter.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : एक छोटी सी बात है, आप भविष्य के लिये उस पर विचार कर लें। मंत्रियों को त्यागपत्र देने पर कारण बताने की अनुमति दी जानी हैं। जो सदस्य कोई चारा न रह जाने पर अपना त्यागपत्र देता है उसे भी कारण बताने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है तो वक्तव्य देने का उसको अधिकार है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस नियम का उदारता पूर्वक विवेचन किया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I rise on a point of order.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

Shri Bagri (Hissar): Six persons have raised a point of order. In case you cannot go ahead with the proceedings you can adjourn the House. (Interruptions)

सभा पटल पर रखे गये पत्र—जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE—CONTD.

केन्द्रीय उत्पादन -शुल्क और लवण अधिनियम तथा सीमा-शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्री ब० रा० भगत की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 99वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1785 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 100वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1786 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 101वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना जी० एस० आर० 1787 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 102वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में

अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1789 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 103वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1789 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 104वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1784 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 105वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1790 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 106वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1791 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये सख्या एल० टी० 7464/66]**

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1952 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1792 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 1793 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 1794 जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7465/66]**

केरल भाण्डागार निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): मैं राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उप-धारा (11) के अन्तर्गत केरल भाण्डागारण निगम, एरणाकुलम, 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा परीक्षीत लेखे सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7466/66]**

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I rise on a point of order.

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र—जारी

RESIGNATION OF MEMBERS—CONTD.

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं व्यवस्था के प्रश्नों पर बारी बारी आऊंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने अभी कहा था कि त्यागपत्र देने पर मंत्री इस सभा के प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत वक्तव्य दे सकता है। आपने यह भी कहा है कि चूंकि माननीय सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिये हैं उन्हें सभा में नहीं रहना चाहिये। इस मामले पर मैं आपका ध्यान नियम 240 की ओर आकर्षित करता हूं। जब आपने यह कहा कि चूंकि सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है इसलिए उन्हे सभा में नहीं रहना चाहिये। परन्तु मेरा निवेदन है कि आपने उनके त्यागपत्र की सभा में घोषणा नहीं की है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : उन्होंने घोषणा कर दी है।

श्री स० मो० बनर्जी : उन्होने घोषणा नहीं की है। उन्हें सदस्यों ने अपने त्यागपत्र सभा-पटल पर रखे थे। अतः उन्हें सभा में रहने और त्यागपत्र देने के कारण बताने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : यह नियम तब लागू होता हैं जब कोई सदस्य अपना त्यागपत्र लिख कर मुझे भेजता है और सभा में उपस्थित नहीं होता है। तब सदस्यों की जानकारी के लिए मुझे घोषणा करनी होती है। परन्तु जब कोई सदस्य स्वयं सभा में त्यागपत्र देने के लिए आता है और घोषणा करता है तब सभा उसे देखती है। इसके अलावा मैंने घोषणा भी कर दी है। इसके बाद सभा में रहने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आपको वह विशेष नियम पढ़कर सुना दिया गया है, जिसके अन्तर्गत कहा गया है कि यदि कोई सदस्य बिना कारण बताये अपना त्यागपत्र भेजता है तो आप यह घोषणा करेंगे कि अमुक सदस्य ने त्यागपत्र दे दिया है। परन्तु यह एक विशेष मामला है। यहां सदस्य स्वयं उपस्थित है तथा वह कहते हैं "मैं इन कारणों से त्यागपत्र देना चाहता हूं" तथा आप उन्हें वे कारण बताने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, जिनसे वह त्यागपत्र देना चाहते हैं। वह अपना त्यागपत्र आप को देता है तथा आप को उसकी घोषणा करने में समय लगेगा क्योंकि यह नहीं होता है कि यदि सदस्य ने स्वयं उसकी घोषणा कर दी है, तो आप नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : बाद में मैंने कह दिया है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि एक सदस्य सभा में उपस्थित हो और वह कह रहा हो कि वह त्यागपत्र देने जा रहा है, तो कम से कम उसे त्यागपत्र के कारणों को बताने की अनुमति दी जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह नहीं है कि वह त्यागपत्र देने जा रहे हैं अथवा त्यागपत्र देना चाहते हैं अथवा त्यागपत्र देने का विचार कर रहे हैं। वह कहते हैं "मैं यह त्यागपत्र दे रहा हूं।"

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir, you have observed that a Minister has got the right to give a statement in explanation of his resignation. Rule 199 says :

"जो सदस्य मंत्रिपद से त्यागपत्र कर दे वह, अध्यक्ष की सम्मति से अपने त्यागपत्र के स्पष्टीकरण के लिये व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेगा।"

So he can give a statement only with your prior consent. In this connection I want to draw your attention to Rule 389 :

"ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा की अध्यक्ष समय-समय पर निदेश दे"

The resignation of a Minister from his office is not a matter of great importance, because after all he remains the Member of this House. So I request you that you should permit the Members to give a brief statement in explanation of their resignations, because it is a matter of great importance that four members had expressed day before yesterday their intention of resigning and two Members are expressing it today. So it is my humble appeal to you that they should give brief statements.

Mr. Speaker : The Minister resigns the office of the Ministership and he continues to be a member of this House and that is why he is permited to give a statement. But when a Member resigns, he ceases to be a memberof this House.

Shri Madhu Limaye : He wants to give a statement prior to his resignation.

श्री रंगा (चित्तूर) : इस मामले को नियम समिति को क्यों नहीं सौंपा जाता है ? इस सभा की सदस्यता मंत्रि पद से अधिक महत्वपूर्ण है। जब एक सदस्य त्यागपत्र देते हैं तो उसे व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की अनुमति दी जानी चाहिये। मैं तो केवल यही कह सकता हूं कि मैं आपके विनिर्णय से संतुष्ट नहीं हूं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : जब एक सदस्य के त्यागपत्र की घोषणा कर दी जाती है, तो उसके वक्तव्य देने के अधिकार का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है। मेरा आप से निवेदन है कि जब एक सदस्य सभा में उपस्थित हो तथा वह कहता हो कि वह त्यागपत्र देना चाहता है तो उसके त्यागपत्र की घोषणा करने से पहले उसे त्यागपत्र के कारणों का वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : यह सच नहीं है कि माननीय सदस्य ने त्यागपत्र देने के बाद वक्तव्य देने की इच्छा प्रकट की है। वास्तव में वह पहले वक्तव्य देना चाहते थे कि वह त्यागपत्र क्यों दे रहे हैं तथा इसके उपरान्त त्यागपत्र देना चाहते थे। आप ने उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी, अतः उन्हें बाध्य होकर त्यागपत्र देना पड़ा। उन्होंने पुनः यह अनुरोध किया है कि वक्तव्य देने का अवसर दिया जाय। अतः उन्हें वक्तव्य देने का अवसर देना उचित और न्यायोचित है।

श्री राधे लाल व्यास (उज्जैन) : मैं आपका ध्यान नियम 240 की ओर दिलाना चाहता हूं। इस नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

"परन्तु जब कोई सदस्य कोई कारण दे या कोई वाह्य विषय का उल्लेख करे तो अध्यक्ष अपने स्वविवेक से, ऐसे शब्दों, वाक्यांशों या विषय का लोप कर सकेगा और वह सभा में नहीं पढ़ा जायेगा"

इस मामले में यदि सदस्य को अपने त्यागपत्र के कारणों के बताने के लिये वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती है, तो वह एक अन्य रूप में सभा में उन बातों का उल्लेख करेंगे, जिनके उल्लेख पर प्रतिबन्ध है। अतः मेरा निवेदन है कि विशिष्ट नियम 240 को देखते हुए, सभा में ऐसा वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : सभा के सम्मुख महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या एक सदस्य को जो इस सभा में उपस्थित है अपने त्यागपत्र के कारणों के स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य देने का

हक है। इस सम्बन्ध में एक नियम का उल्लेख किया गया है जिसमें कहा गया है कि मंत्री को मंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का हक है। अतः आपने कहा है कि क्योंकि सदस्य के त्यागपत्र के सम्बन्ध में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है, इसलिये उसे त्यागपत्र के कारणों का स्पष्टीकरण देने का हक नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि यह निर्वचन ठीक नहीं है। मंत्री को स्पष्टीकरण देने का हक इसलिये दिया गया है कि यह जनहित में है कि जनता को यह पता लगे कि किन कारणों से त्यागपत्र दे रहें हैं। यही सिद्धान्त सदस्य के सम्बन्ध में भी लागू है। अतः किसी विशिष्ट नियम के न होते हुए यही न्यायसंगत तथा नियमों की भावनानुसार होगा कि सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : जब कोई व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है, तो मुझे उनपर विनिर्णय देना होता है।

Shri Bagri : It would be better if you first hear all the Members.

Mr. Speaker : I can not reply them all at one time.

Shri Bagri : I request you to hear me first, because I am going to offer a new argument, which may be beneficial to you.

Shri Maurya (Aligarh) : There are two ways in which you can give your ruling. The first is that you can give your ruling just after hearing a member and the second is that you can give your ruling after hearing all the Member on particular point. I think it would be better if you give your ruling after hearing all the member, because you will know the view points of the members, which will be helpful in giving your ruling.

Mr. Speaker : I can not allow a debate on a point of order. When a point of order is raised by a member, it is upto me as to whether I should hear the other Member also or should I give my ruling.

Shri Bagri (Hissar): It has been provided in the rules that a Minister who has resigned the office of Ministership is entitled to make a personal statement in explanation of his resignation. My submission is that the Membership of this House is more important than Ministerships and it would be against democratic principles and the perstige of this House if a member is not allowed to make a statement in explanation of his resignations of his membership of this House, when a Minister is allowed to make a personal statement in explanation of his resignation of the office of Ministership. So in case you have to create a new precedent in order to upheld the prestige of this House, then it should be done and a member should be allowed to make a statement.

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : महोदय मैं आपका ध्यान नियम 31 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। यह नियम इस प्रकार हैं :

"इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़ कर, अध्यक्ष की अनुमति के बिना किसी बैठक में कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो उस दिन की कार्य-सूची में सम्मलित न हो"

यह प्रश्न आपकी अनुमति के बिना उठाया जा रहा है। अतः केवल इस कारण से कि विपक्ष के बहुत से मदस्य आपकी अनुमति के बिना इसे उठाना चाहते हैं, नियम 31 (2) के अन्तर्गत इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

नियम 240 को समूचे रूप से पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि सदस्य द्वारा आपको सभा में त्याग पत्र नहीं दिया जाना चाहिये था, बल्कि इसे आपके कार्यालय में भेजा जाना चाहिये था।

"सभा" शब्द का उल्लेख तो केवल उपनियम (2) में किया गया है, जिसमें कहा गया है :

"अध्यक्ष किसी सदस्य से उसके हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सभा को उसके स्थान का त्याग करने की सूचना प्राप्त होने के बाद यथासम्भव शीघ्र सभा को सूचना देगा कि अमुक सदस्य ने सभा के अपने स्थान का त्याग कर दिया है ।"

अतः इस उप-नियम के अनुसार त्याग पत्र आप के कार्यालय में भेजा जाना चाहिये था और बाद में इसकी सभा में घोषणा होनी थी । त्यागपत्र का सभा में दिया जाना नियम 31 (2) का उल्लंघन है, क्योंकि यह कार्य सूची में दर्ज नहीं है । मेरा निवेदन यह है कि नियम 31 (2) के साथ पठित नियम 240 के अनुसार त्याग पत्र को आप के कार्यालय में भेजा जाना चाहिये था, तथा उसके बाद आप को सभा को सूचित करना था कि अमुक सदस्य ने इस सभा में अपना पद त्याग दिया है ।

इसके अतिरिक्त नियमों में सदस्य के त्यागपत्र के बारे में कोई उपबन्ध नहीं है । मंत्री के त्याग पत्र के बारे में नियमों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि वह अपने त्याग पत्र के कारणों के बारे में वक्तव्य दे सकेगा । चूंकि नियमों में इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि सदस्य को अपने त्यागपत्र के बारे में सभा में वक्तव्य देने की अनुमति नहीं है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जब त्यागपत्र एक दफह आपके पास पहुंच जाता है, तो वह उसी समय लागू हो जाता है और उसके बाद सदस्य को वक्तव्य देने का कोई अधिकार नहीं रहता । नियमों में भी इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं है । परन्तु मेरा अनुरोध यह है कि उससे पहले कि त्यागपत्र आपके पास पहुंचें, हमें अपने साथी का ख्याल रखना चाहिये और उसे यह अवसर दिया जाना चाहिये कि वह इस सभा में अपने त्यागपत्र के कारणों का उल्लेख कर सके ताकि उसे सभा छोड़ के जाने के बाद अपने त्यागपत्र के कारणों को समाचारपत्रों में देने की आवश्यकता न पड़े । मैं समझता हूं कि मेरे निवेदन में तथा आपके विनिर्णय में कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है । अतः हम चाहते हैं कि यदि भविष्य में कोई सदस्य त्याग पत्र देने से पहले वक्तव्य देने की अपनी इच्छा जाहिर करे तो उसको वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये तथा इस मामले को उस समय पूर्वोदाहरण नहीं समझना चाहिये ।

Shri Maurya: The resignation of a member from the membership of this House is of prime importance and in recoginition it has been provided in sub-clause (3) (b) of Article 101 which reads :

"If a member of either House of Parliament— ... ...

(b) resigns his seat by writing his hand addressed to the chairman or the speaker, as the case may be, his seat shall there upon become vacant."

Rule 240 of the Rules of Proceduce has be framed in accordance with this provision in the Constitution. This rule lay down the procedure how resignation could be tendered. It reads :

"A member who desires to resign his seat in the House shall intimate in writing under his hand addressed to the speaker, his intention to resign his seat in the House in the following form and shall not give any reason for his resignation"

The following form has been given under this Rule :

'To,

The Speaker,
Lok Sabha,
New Delhi.

Sir,

I hereby tender my resignation of my seat in this House with effect from ...

...

Yours faithfully

Place ..... Date ..... Member of the House"

Now I have three objections regarding this resignation. Firstly it has not been tendered in the required proforma and the member has used his own words. Secondly the member has shown his intention to resign and he has not written that "he resigns." Could it be considered as a resignation because mere intention is not enough. Thirdly I would like to know whether the Member has specified any date with which his resignation takes effect. If the member has written that his resignation would be effective with effect from 2nd December then he has got every right to sit in this House upto 2nd December. So firstly resignation shows an intention, secondly it has not been worded in the given form and thirdly there is the question of date with which it would be effective and if due consideration is not given to these three points, I fear we will be setting up a wrong precedent.

So far as the question of permitting him to make a statement in explanation of his resignation, I want to say that a member is elected by one million persons and it would be most undemocratic and unjustified not to allow him to give a statement. When an hon. Member is resigning it is evident that there must be some most important reason behind it. I think it would not be impossible for us to have a discussion for half an hour or so regarding his resignation. It would be a wrong precedent not to allow him to make a speech or have a discussion.

Shri Bade (Khargone): Sir, It is undeniable that there is no provision any where in the Rules with regard to the statement being made by a member about his resignation and the Rules are silent over this matter. But you have been entrusted with residury powers and you have to use your discretion in this matter. I think it would be improper not to allow a member to make a statement, when he is resigning. I want that you should at least give your ruling to the effect that a member is entitled to make a statement before his resignation and he can resign afterwards.

श्री नम्बियार (तिरुचिनापल्लि) : ये दो सदस्य बार बार इस सभा में वक्तव्य देने की मांग करते रहे हैं। यदि उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी गई होती, तो हो सकता था कि उनके वक्तव्यों को सुनने के बाद शायद यह सभा कोई ऐसी व्यवस्था करती जिससे उनके वास्तविक त्यागपत्र को रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त इस सभा से एक सदस्य का त्यागपत्र देना उसका व्यक्तिगत मामला नहीं है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अन्ततः सदस्य दस लाख लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि होता है और जब वह त्यागपत्र देता है, तो उसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण होते हैं जिनकी इस सभा को भी जानकारी चाहिये। वे इस सभा के सदस्य है तथा पांच वर्षों तक यहां रहे है। अब वे यहां से जा रहे है तथा हमसे विदाई ले रहे हैं। अतः उन्हें यह बताने का अवसर दिया जाना चाहिये कि उनके निर्वाचन क्षेत्र, राज्य अथवा देश में ऐसी क्या घटना हुई है, जिसके कारण वे त्याग पत्र दे रहे हैं। उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये थी।

Shri Sheo Narain (Bansi) : Mr. Speaker, the rule is that whenever a member sends his resignation, he ceases to be a member of this house. The hon. Members have tresspassed by their entrance in this House. So they should be fined Rs. 500 each. They are no more members of this House. I have heard Mr. Chatterjee and Prof. Ranga. They are mixing matters. They are mixing up the matter with Minister and Member. So I request you that as they have broken the rule by their entrance, they should be fined Rs. 500/— each.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मैं सभा के नेता तथा कांग्रेस के सदस्य से अनुरोध करुंगा कि वह मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनें, ताकि हम एक अच्छी परम्परा स्थापित कर सकें।

महोदय, श्री कौला वैंकैया ने खड़ा होकर कहा था "मैं त्यागपत्र देने जा रहा हूं, मुझे अनुमति दी जाये।" उस समय सभा में कुछ अन्य शोर भी हो रहा था और हो सकता हैं आपने उन्हें नहीं देखा हो। वर्तमान नियमों के अन्तर्गत शायद आप उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकते। परन्तु आपके सामने दो नियमों का उल्लेख करुंगा। नियम 240 को नियम 357 तथा मंत्री के त्यागपत्र से सम्बन्धित उस नियम के साथ पढ़ा जाना चाहिये, जिसका श्री मधु लिमये ने उल्लेख किया था। नियम 357 इस प्रकार है :

"कोई सदस्य, अध्यक्ष की अनुज्ञा से, वैयक्तिक स्पष्टीकरण कर सकेगा यद्यपि सभा के सामने कोई प्रश्न न हो....."

शायद माननीय सदस्यों ने इस उपबन्ध की ओर ध्यान नहीं दिया। मैं आपसे एक बहुत दिलचस्प बात कहना चाहता हूं। हमारे संविधान के अनुसार एक ऐसा व्यक्ति जो न इस सभा का सदस्य है और न ही राज्य सभा का सदस्य है छः महीने की अवधि तक मंत्री पद पर रह सकता है और यदि ऐसे व्यक्ति को उस अवधि के अन्तर्गत उसके पद से हटा दिया जाता है अथवा वह त्यागपत्र दे देता है तो भी उसे पद से हटाये जाने के बाद अथवा त्यागप देने के बाद इस सभा का सदस्य न होने पर भी इस सभा में स्पष्टीकरण के लिये वक्तव्य देने का अधिकार है परन्तु एक सदस्य जो दस लाख व्यक्तियों द्वारा चुन कर आता है, इस सभा में वक्तव्य देने के लिये तीन मिनट का समय भी नहीं दिया जाता। मैं चाहता हूँ कि इस बात पर ठंडे दिमाग से विचार किया जाये। इससे न तो सभा का मान बढ़ेगा और न ही एक अच्छी प्रथा स्थापित होगी। हो सकता है नियम बनाते समय इस बात का अन्दाजा न लगाया गया हो।

मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले में अवशिष्ट शक्तियों के अतिरिक्त नियम 357 के उपबन्धों का प्रयोग करने का भी अधिकार हैं। चाहे कुछ हुआ हो, परन्तु एक सदस्य का त्याग पत्र देना बहुत महत्वपूर्ण बात है। यदि नियमों में इसका कोई उपबन्ध नहीं है तो उनका संशोधन किया जाना चाहिये ताकि सदस्य इस सभा को अपने त्यागपत्र के कारणों से अवगत करा सके और उसे इसके लिये समाचार पत्रों का सहारा न लेना पड़े। मुझे आशा है कि सभा नेता मेरी बात का समर्थन करेंगे। मैं इस सम्बन्ध में सभा की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

सभा नेता (श्री सत्यनारायण सिंह) : यथा सभा नियमों में संशोधन किया जा सकता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि नियम 240 को निलम्बित किया जाये।

श्री त्यागी (देहरादून) : नियम 240 में यह स्पष्ट रूप से दिया गया है कि त्यागपत्र

निर्धारित रूप में होना चाहिये । यदि उस त्यागपत्र में कुछ कारण दिये गये हैं, तो आप उन्हें काट सकते हैं और उस त्यागपत्र को निर्धारित रूप में कर सकते हैं ।

मैं जानना चाहता हूं कि त्यागपत्र में किन शब्दों का प्रयोग किया गया है ? त्यागपत्र किस तिथि से लागू होता है ? मैं समझता हूं कि तिथि का उल्लेख त्यागपत्र में नहीं किया गया है । यदि पत्र निर्धारित रूप में नहीं है तो हो सकता है उसे कानूनी तौर पर त्याग पत्र न समझा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : इसके औचित्य और वांछनीयता इन दो बातों पर विचार किया जाना है । सदस्य चाहते हैं कि जब एक सदस्य त्यागपत्र देता है तो उसे त्यागपत्र के कारणों का स्पष्टीकरण करने के लिये वक्तव्य देने की अनुमति दी जानी चाहिये । उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि वह दस लाख व्यक्तियों का नुमायदा होता है और जब इतने अधिक नागरिकों का प्रतिनिधि त्यागपत्र देने का निर्णय करता है तो अवश्य ही उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण होते है । कहा गया है कि सदस्य को वे कारण बताने का अवसर दिया जाना चाहिये जिनके परिणामस्वरूप उसे इस सभा की सदस्यता को त्यागने को मजबूर होना पड़ रहा है । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यदि उसे तीन अथवा चार मिनट का समय दिया जाये, तो इससे कोई हानि नहीं होगी । मैं स्वयं इन सब बातों से सहमत हूं । औचित्य के बारे में तो यही कहा जा सकता है । सभा नेता ने भी कहा हैं कि नियमों में संशोधन किया जाये । यदि सरकार भी इस बात से सहमत है तो नियमों में संशोधन किया जाना चाहिये । परन्तु इस समय क्या नियम है यह एक बिल्कुल अलग बात है । नियम 240 में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि त्यागपत्र में किसी कारण का उल्लेख नहीं किया जायेगा तथा सदस्य को कारण बताने की अनुमति देकर मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता । यह तर्क पेश किया गया है कि पत्र में तो वह कारणों का उल्लेख नहीं कर सकते, परन्तु सभा में तो उनका उल्लेख कर सकते हैं ।

Shri Madhu Limaye. Letter and statement are two different things. You are mixing both;

अध्यक्ष महोदय : जहां मैं आपसे इत्तिफाक कर सकता हूं वहां मैं चाहता हूं कि आप नियमों में संशोधन करलें । लेकिन जो नियम हैं इस वक्त में उनसे बाहर नहीं जा सकता ।

Shri Madhu Limaye : You can suspend Rule 240. Last time yon allowed Shri Satya Narayan Sinha to move a motion for suspension of rules without any prior notice.

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । इस सम्बन्ध में अब कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । मैं सभा को सूचित करता हूं कि श्री कोल्ला वैंकैया तथा श्री मादला नायारण स्वामी दोनों सदस्यों ने इस सभा की सदस्यता से आज मध्याह्न पश्चात से त्यागपत्र दे दिया है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र जारी

PAPERS LAID ON THE TABLE CONTD.

भेषज तथा शृंगार सामग्री

अधिनियम और केरल नगर पालिका में अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

डा० सुशीला नैयर की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भेषज तथा शृंगार-सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत भेषज तथा शृंगार-सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 12 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3408 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7467/66]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक, 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगरपालिकायें अधिनियम, 1960 की धारा 345 की उप-धारा (2) अन्तर्गत के अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 319/66 की एक प्रति जो दिनांक 23 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कारारोपण तथा वित्त नियमों में कतिपय संशोधन किये गये। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7468/66]**

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधि-सूचना

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्री ल० न० मिश्र की ओर से मैं सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधि-सूचना संख जी० एस आर० 1810 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 7469/66]**

वस्तु समितियों के वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री श्यामधर मिश्र) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

1. (एक) भारतीय केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति का 1964–65 का वार्षिक प्रतिवेदन।

   (दो) उक्त प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 7470/66]**

2. भारतीय केन्द्रीय मसाला तथा काजू समिति का 1 अप्रैल, 1965 से 30 सितम्बर, 1965 तक की अवधि के लिए प्रतिवेदन।

   [पुस्तकालय में रखी गयी– देखिये संख्या एल० टी० 7471/66]

3. भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति का 1964-65 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 7472/66]**

4. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति का 1 अप्रैल, 1965 से 30 सितम्बर, 1965 तक की अवधि के लिए प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या 7473/66]**

सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

कार्यवाही--सारांश

श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती (झज्झर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति

सम्बन्धी समिति की चाल सभा के दौरान हुई उन्नीसवीं बैठक की कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं ।

राज्य से सभा सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान जी, मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की सूचना देनी है :—

"कि कीटनाशी विधेयक 1964 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय 7 दिसम्बर 1966 तक बढ़ाने के लिए राज्य सभा ने अपनी 30 नवम्बर, 1966 की बैठक में प्रस्ताव कर लिया है ।

विशेषाधिकार समिति
COMMITTEE OF PRIVILEGES
बारहवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन

श्री कृष्णमूर्ति राव (शिमोगा) : मैं विशेषाधिकार समिति का बारहवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन सभा पटल पर उपस्थित करता हूं ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTIEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTION
सौंवा प्रतिवेदन

श्री कृष्ण मूर्ति राव : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सौवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE
एक सौ दसवां प्रतिवेदन

श्री अ० म० गृह (बारसाट) : मैं राष्ट्रीय डेरी अनुसंधान संस्था तथा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था पर प्राक्कलन समिति के इक्यासीवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एक सौ दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING
चौतीसवां प्रतिवेदन

श्री काशीनाथ पान्डेय (हाटा) : मैं हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड, बंगलौर एयरोनाटिक्स (इण्डिया) लिमिटेड के साथ मिलाये जाने के पश्चात् जिसका नाम बदलकर "हिन्दुस्तान

एयरोनाटिक्स लिमिटेड" रखा गया के बारे में प्रक्कलन समिति (दूसरी लोक सभा) के एक सौ चौबीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हू ।

विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में याचिका
PETITION RE : NATIONALISATION OF FOREIGN OIL COMPANIES

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : मैं भारत में विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण और उनके कर्मचारियों के लिए रोजगार सुरक्षित करने के बारे में श्री सुन्द्रम तथा अन्य व्यक्तियों का एक याचिका उपस्थापित करता हूं ।

उपनगरीय गाड़ियों में खतरे की जंजीरों के निष्क्रिय करने के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : BLANKING OFF OF ALARM CHAINS IN SUB-URBAN TRAINS

रेलवे मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं उप-नगरीय रेलगाड़ियों में खतरे की जंजीरों को निष्क्रिय करने के बारे में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 7474/66]

सभा की कार्यवाही
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : जो समय उपलब्ध हो रहा है, मुझे खेद हैं कि उस समय में सरकारी कार्य पूरा नहीं हो सकेगा । अतः मेरा निवेदन है कि सत्र की अवधि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है, ताकि महत्वपूर्ण कार्य को लिया जा सके । इस बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने भी मुझे लिखा है । अतः यह प्रस्ताव है कि या सभा की बैठक 3 दिसम्बर और 5 दिसम्बर को भी हो । मुझे आशा है कि सभा इसको स्वीकार कर लेगी ।

Shri Yaspal Singh (Kairana) : I opposed, as it was assured that the session will come to an end by 2nd of Dec.

श्री नारायण दाण्डेकर (गोंडा) : आजकल बाहर बहुत काम है, चुनाव की तैयारियां चल रही है अतः मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री वासुदेव नायर (अम्बलपुना) : हम तो हमेशा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि इसी सत्र में कुछ महत्वपूर्ण विधेयक पारित किये जाने चाहिए । अतः हम इस सत्र की अवधि को बढ़ाये जाने का विरोध नहीं करते ।

Shri Bade (Khargone) : I feel that session should not be extended.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : हम इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि शनिवार और सोमवार को बैठकें हो, पर हम सोमवार के बाद कभी भी बैठने को तैयार नहीं होंगे ।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : मैं सत्र को बढ़ाये जाने का विरोध करता हूं।

श्री शिंकरे (भरमागोआ) : मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री रगा (त्रिपुरा) : इसका निर्णय बहुत पहले हो जाना चाहिए था।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं इस मामले को सभा पर छोड़ता हूं वह इसके बारे में निर्णय रखेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे सभा के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है :—

"कि सभा की बैठकें 3 और 5 दिसम्बर को भी हों।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

Lok Sabha Divided

पक्ष में 157 विपक्ष में 23

Ayes : 157, Noes 23

प्रस्ताव स्वीकार हुआ

The Motion was adopted

सैनिक समाचार के पत्रकारों के अभ्यावेदन के बारे में

RE : REPRESENTATION FROM JOURNALISTS OF SAINIK SAMACHAR

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to raise one important question that yesterday the Minister of state in the Ministery of Defence laid a statement on the table of the House regarding the representation of Assistant Journalists of Sainik Samachar. He had started in the statement that this representation is not within the knowledge of the officer in the Sainik Samachar which had furnished the material for the question on 1.11.1966.

Let me state very humbly that the position taken by the minister is wrong. There is a clear provision in the constitution about the responsibilities of the Ministers for the replies they put forward in the Parliament. They cannot run away from the responsibility and shift it to their officers. The Minister shouid accept their responsibility and face the punishment for it.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अ० मु० थामस) : मैं उत्तरदायित्व से भागा नहीं हूं। जो कुछ मेने सभा-पटल पर रखा है उसकी मेरी जिम्मेदारी है। परन्तु मुझे इस बारे में यह निवेदन करना है कि सहायक पत्रकारों द्वारा दिये गये अभ्यावेदन के बारे में कैसे जानकारी न प्राप्त कर सकी, यह बात मेंने वक्तव्य में दी है। सैनिक समाचार के मुख्य सम्पादक ने ये अभ्यावेदन सरकार को भेजे नहीं गये थे। यही कारण था कि उसकी जानकारी न हो सकी। जिस अधिकारी ने उत्तर तैयार किया उसने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : इसमें सन्देह नहीं कि यह वक्तव्य बहुत लम्बा और विस्तार से दिया गया है। यदि कोई अधिकारी किसी बात का उल्लेख न कर सका अथवा उसकी कोई भूल थी, कुछ भी हो मंत्री महोदय को इसकी जिम्मेदारी लेनी ही पड़ती है। यह कोई दलील नहीं है कि

सरकार को उसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि उसे प्रधान मन्त्री ने भेजा नहीं था। इतना कह देना काफी था कि भूल के लिए खेद है। इसके सम्बद्ध कार्यालयों में भी जो कुछ हुआ उसके लिए मन्त्री सभा के सामने उत्तरदायी है।

गोआ, दमण और दीव (अभिमत संग्रह)

GOA, DAMAN AND DIU (OPINION POLL) BILL.

अध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री विद्याचरण शुक्ल द्वारा 30 सितम्बर को प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर विचार करेगी :—

"कि गोवा, दमण और दीव की भावी प्रास्थिति की बाबत् उनके निर्वाचकों की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के लिये उनकी राय सम्बन्धी मतदान करने तथा तत्संम्मत विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा।"

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.

श्री अल्वारेस (पंजिम) :

मैं इस विधेयक के तीन मुख्य उपबन्धों पर प्रकाश डालना चाहता हूं। विधेयक में दो आकस्मिकताओं की व्यवस्था की गई है। एक विलय के पक्ष में राय सम्बन्धी मतदान है और दूसरा वर्तमान स्थिति को बनाये रखने के विकल्प के बारे में। जो लोग चाहते हैं कि यह क्षेत्र महाराष्ट्र मे मिल जाये, उनकी मांग राज्य पुर्नगठन आयोग की सिफारिशों के बाद जो कुछ हमारे देश में हुआ उसका परिणाम है। मेरा भी यही कहना है कि गोआ के महाराष्ट्र में विलय हो जाने की मांग उचित और आवश्यक है।

इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि गोआ के स्वतन्त्र होने के बाद एक भाषा आयोग श्री अमरनाथ की अध्यक्षता में बनाया गया था। उन्होंने यह पता किया था कि वहां 72000 बच्चे स्कूलों में मराठी पढ़ते है और 1000 कोकणी पढ़ते हैं। कनाड़ी पढ़ने वालों की संख्या केवल 20 है। यह भी एक तथ्य की बात है कि पुर्तगाल शासन के दौरान भी वहां का सरकारी राज पत्र पुर्तगाली भाषा और मराठी में प्रकाशित होता था। यह क्षेत्र बिलकुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। इस स्थिति को तो किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाना चाहिए। यह देश की सांस्कृतिक धारा से दूर रहने वाली बात है।

महाराष्ट्र ने गोआ को लेने की कभी मांग नहीं की हैं। गोआ के लोग स्वयं यह कहते हैं कि गोआ का महाराष्ट्र में विलय होना चाहिये। सभा को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये।

प्रधान मत्री ने 10 वर्ष की अवधि के लिये जो आश्वासन दिया था वह इस लिये दिया था ताकि डा० सलाज़ार उसको ध्यान में रखकर गोआ को जल्दी स्वतंत्र कर दे। उन्होंने डा० सलाजार को कहा था कि यदि तुम गोआ को स्वतंत्र कर दो तो हम पूर्व में ही पश्चिम संस्कृति को बनाये रखने के लिये सभी उपाय करेंगे। इसलिये विशेष परिस्थितियों में कही गई बात के लिये मांग करना ठीक नहीं है। जब श्री मोरार जी देसाई गोआ गये थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि गोआ संघ राज्य क्षेत्र नहीं रह सकता क्योंकि इसके लिये धन की व्यवस्था नहीं की जा सकती।

अतः सभा को गोआ के भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय करने की आवश्यकता महसूस करनी चाहिये और राय सम्बन्धी मतदान विधेयक को पास करना चाहिये ताकि गोआ के लोग अपनी राय दे सकें।

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर नगर) : यह विधेयक बड़ा विवादास्पद विधेयक है क्योंकि इस मामले से दो विधान सभाओं का सम्बन्ध है—महाराष्ट्र विधान सभा का और मैसूर विधान सभा का। महाराष्ट्र विधान सभा ने एक संकल्प पास किया है और मैसूर विधान सभा ने दूसरा संकल्प पास किया है।

इस विधेयक का समर्थन लोगों के एक विशेष वर्ग की मांगों को पूरा करने के लिये किया जा रहा है। यह एक पक्षीय निर्णय है और इसको स्वीकार करने के लिये सभा पर दबाव नहीं डाला जाना चाहिये। यदि व्यय को ध्यान में रखते हुये यह महसूस किया जा रहा है कि केन्द्र शासित क्षेत्र को जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है तो यह सिद्धान्त सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों पर लागू होना चाहिये। इसे पांडिचेरी, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा तथा मनीपुर आदि सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों पर लागू किया जाना चाहिये क्योंकि उनका भार भी तो भारत के आय व्यस्क पर पड़ता है।

प्रायः यह सुनने में आ रहा है कि केवल गोआ के लोग ही गोआ को महाराष्ट्र में मिलाने के लिये आन्दोलन कर रहे हैं और इसमें महाराष्ट्र के नेताओं का कोई हाथ नहीं है। परन्तु सच्चाई कुछ और ही है। जब से गोआ स्वतन्त्र हुआ है महाराष्ट्र के नेताओं ने वहां के लोगों को अच्छी तरह बसने का अवसर ही नहीं दिया है। वे लगातार आन्दोलन करते रहे हैं और गोआ के विलय के लिये कानून तथा गैर-कानून कार्यवाही करते रहे हैं। आज मैं उस नीति का विरोध कर रहा हूं जो सरकार अपना रही है। और जिसके अनुसार वह कार्यवाही कर रही है। बाहर से तो सरकार यह कहती है कि आन्दोलनात्मक रवैये को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिये परन्तु महाराष्ट्र के नेता आन्दोलनात्मक रवैया अपनाते रहे हैं और भारत सरकार उसका अनुमोदन करती रही है।

आज हम यह देख रहे हैं कि देश के किसी न किसी भाग में आन्दोलन हो रहा हैं। कभी आन्ध्र प्रदेश में हो रहा है और कभी बंगाल में। कभी क्षेत्रीय विवाद के सम्बन्ध में होता है और कभी साम्प्रदायिकता के आधार पर। परन्तु सभी की यह धारणा है कि मंत्रि-मण्डल गुण दोषों के आधार पर निर्णय नहीं ले सकता है। वह राजनीतिक दबाव से निर्णय लेता है। कुछ राज्य जिनके 40 अथवा 50 मत होते हैं वह मन्त्रिमण्डल पर दबाव डालते हैं और मंत्रिमण्डल उसके अनुसार निर्णय करता हैं। यह केवल मेरी ही धारणा नहीं है बल्कि कई समाचार पत्रों में भी ऐसी खबरे छपी हैं।

एक माननीय सदस्य : ऐसा कौन सा समाचार पत्र है।

श्री हनुमन्तैया : 'इण्डियन एक्सप्रैस'।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अब अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिये।

श्री हनुमन्तैया : मैं इस विषय पर विशेष रूप से बोलना चाहता हूं। यदि आप चाहते हैं तो मैसूर के अन्य सदस्य भी मुझे अपना समय देने को तैयार है।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू और काश्मीर) : हमें दोनों ओर के विचार सुनने चाहिये। श्री अल्वारेस बोल चुके है और अब हमें इन्हें सुनाना चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : श्री अल्वारेस एक प्रकार की विचारधारा के समर्थक हैं और श्री हनुमन्तैया दूसरी विचार धारा के।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : तीन प्रकार की विचारधारायें है न कि दो प्रकार की जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। वे हैं महाराष्ट्र, मैसूर और गुजरात के बारे में।

श्री हनुमन्तैया : यह बड़े दुख की बात है कि देश में साम्प्रदायिक भावनायें राजनीतिक विषयों को पर्दे के पीछे प्रभावित कर रही हैं। इसलिये गुण दोषों के आधार पर निर्णय होना सम्भव नहीं है। आप महाराष्ट्र के नेताओं के निर्णय को ही देखिये वे लोग भारत माता को इष्ट देवी नहीं मानते हैं। उनका 'जगत पिता' महात्मा गांधी नहीं है। उनके लिये सब कुछ "शिवाजी" "शिवाजी" ही है और कोई नहीं। कुछ दिन पहले बम्बई में शिवाजी पार्क में शिवाजी के मूर्ति अनावरण समारोह में कुछ भाषण दिये गये थे और यह कहा गया था कि गैर-महाराष्ट्रियों को बम्बई से क्यों न निकाल दिया जाये। जब मैं बम्बई में गया तो दक्षिण भारतीय लोग डर रहे थे कि भविष्य में उनका क्या होगा। उनकी असहनशीलता इतनी बढ़ गई है कि वे गैर-महाराष्ट्रियों को बम्बई में नहीं रहने देना चाहते। ऐसी भावना ने न केवल महाराष्ट्र लोकतंत्रात्मक संस्थाओं में वातावरण को दूषित कर दिया है बल्कि जब से उनके प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल में आये हैं वहां का वातावरण भी दूषित हो गया है। यह 'ब्लाक वोट' का परिणाम है। हमारे देश में साम्प्रदायिकता इतनी बढ़ गई है कि सर्वप्रथम गोआ बलि का बकरा होगा।

यदि गोआ को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र के साथ मिलाने का निर्णय किया जाये तो इस मामले को उस एक सदस्यीय आयोग को सौंपा जाना चाहिये जिसने मैसूर और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को तय किया था।

इस समय देश के लोगों में यह धारणा घर कर गई है कि एक या दो राज्य अपने पक्ष में निर्णय कराने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल पर दबाव डाल रहे हैं। केन्द्रीय मंत्रिमण्डल का गठन भी सब राज्यों के उचित प्रतिनिधित्व से नहीं हुआ है। अतः वह जो भी निर्णय करता है उससे बहुत से लोग सहमत नहीं होते और आज के आन्दोलन इस बात के प्रमाण है। अतः सरकार को इस बारे में अवश्य विचार करना चाहिये।

"गोआ निवासी" शब्द की परिभाषा भारत सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार की जानी चाहिए। गोवा निवासी वर्तमान मतदाता सूची को निष्पक्ष नहीं मानते है। इसे इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि उन सभी लोगों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाये जो सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना के आधार पर गोआ निवासी माने गये हैं।

श्री नारायण दाण्डेकर (गोंडा) : मैं आरम्भ में ही यह साफ तौर पर कह देना चाहता हूं कि मुझे इस बात बात से कोई मतलब नहीं है कि गोआ का विलय होता है अथवा गोआ पृथक रहता है। इस विधेयक में जनमत के द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया गया है कि वहां के लोग वास्तव में क्या चाहते हैं तथा उस दृष्टि से अर्थात् कि क्या इसमें निष्पक्ष राय सम्बन्धी मतदान की व्यवस्था है, मैंने इस विधेयक पर विचार किया है तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूं कि विधेयक कपटपूर्ण एवं असम्मानजनक है। उद्देश्यों और कारणों में कहा गया गया है कि इस राज्य क्षेत्र के अन्य लोगों ने यह मांग की है कि गोआ को पड़ौसी राज्य महाराष्ट्र में मिला दिया जाये। कुछ अन्य लोगों ने इसे अलग ही रखने की मांग की है। किन्तु विधेयक का वास्तविक आधार, जिसका

यहां उल्लेख किया जाना चाहिए था, वे अनेक आश्वासन तथा वचन है जिनमें यह कहा गया था कि कुछ समय बाद गोआ के लोग स्वयं यह निर्णय करेंगे कि उनके राज्य क्षेत्र को क्या दर्जा दिया जाये ।

इस बारे में कई वक्तव्य दिये गये हैं कि गोआ को एक पृथक संघ राज्य क्षेत्र रखा जाये अथवा उसका किसी अन्य राज्य से विलय कर दिया जाये । 4 दिसम्बर 1963 को गोआ में भाषण देते हुए श्री चव्हाण ने कहा कि वर्तमात चुनावों में गोआ के प्रश्न पर निर्णय नहीं किया जा सकता । फिर चुनाव के समय श्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषण देते हुए कहा था कि अन्ततोगत्वा गोआ के निवासी स्वयं अपने भविष्य के बारे में निर्णय करेंगे । परन्तु ऐसा निर्णय समय आने पर किया जा सकता है उससे पहले कोई निर्णय करना हानिकारक होगा । मैं एक और वक्तव्य का उल्लेख करूंगा ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाये । कांग्रेस संसदीय बोर्ड ने अप्रैल 1964 में एक वक्तव्य दिया जिसमें यह कहा गया था कि बोर्ड ने यह निर्णय किया है कि आगामी दस वर्षों तक गोआ संघ राज्य-क्षेत्र रहेगा । उसके पश्चात् लोगों की राय ले ली जायेगी कि ये उसे ऐसा ही रखना चाहते हैं अथवा किसी राज्य में मिलाना चाहते हैं । यह केवल दबाव डालने का ही परिणाम है कि राय जानने के लिए मतदान की तारीख लगभग पांच वर्ष पहले कर दी गई है ।

इस विधेयक की एक विशेष बात यह है कि इसमें लोगों को दिये गये आश्वासन को लागू करने का इरादा आंशिक रूप में किया गया है । मैं गोआ के लोगों की परिभाषा का पता लगाने का प्रयत्न करता रहा हूं और मुझे यह कहा जाता रहा है कि इसकी परिभाषा बिलकुल स्पष्ट है और इसमें कोई सन्देह नहीं होना चाहिए । यह स्पष्ट ही है कि 'गोआ के लोग' वे लोग हैं जिन्हें स्वतन्त्रता के तत्काल पश्चात् नागरिकता अधिनियम के अन्तर्गत जारी की अधिसूचना में अधिसूचित किया गया था । अब मेरा निवेदन यह है कि गोआ के लोगों को गोआ की स्वतन्त्रता से पहले, उसके बाद तथा 1963 के चुनावो से पहले दिये गये आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिए । अब प्रश्न यह उठता है कि इस विधेयक से आश्वासनों को कहां तक पूरा किया जा सकेगा । पहली बात तो यह है कि राय सम्बन्धी मतदान ऐसे लोगों का होगा जिन्हें मतदान देना चाहिये । परन्तु मतदान नहीं दे रहे होंगे और जिन्हें मतदान नहीं देना चाहिये, वे दे रहे होंगे । यह इसलिये होगा क्योंकि इसमें उन गोआ निवासियों को सम्मिलित नहीं किया गया है गोआ से बाहर रहते हैं और जिन्हें नागरिता एवं विदेशी लोग अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी माना जाता है और जो गोआ, दमण और दीव (नागरिकता) आदेश, 1962 के अधीन 20 दिसम्बर, 1961 को भारत के नागरिक बने हैं । इसमें उन अनेक गोआ निवासियों को भी सम्मिलित नहीं किया गया है जिन्हें स्वर्गीय प्रधान मन्त्री नेहरू ने आश्वासन दिये थे । इसके विपरीत ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो किसी भी प्रकार गोआ निवासी नहीं माने जा सकते और जो 1963 के चुनावों के बाद अपने अच्छे जीवन यापन के लिये गोआ को भारत का भाग मानकर वहां जा कर बस गये हैं और वास्तव में भारतीय नहीं हैं ।

मेरे विचार से 'गोआ-निवासी' शब्द की परिभाषा करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए । मैंने एक संशोधन पेश किया था जिसमें 'गोआ-निवासी' शब्द की बड़े सरल शब्दों में परिभाषा की गई थी । इसी तरह से उन गोआ निवासियों को, जो गोआ के बाहर रहते हैं, चुनाव सूची में शामिल करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । यदि गोआ से बाहर रहने वाले गोआ

निवासियों से राय जानने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए चुनाव सूची में नाम लिखवाने के आवेदन-पत्र मांगें जायें तो उन लोगों के पंजीकरण में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

इन सब बातों को देखते हुए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि हम सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहते हैं तो हमें इस विधेयक को इसी रूप में पास नहीं करना चाहिये और मेरे द्वारा दिये गये सुझावों के अनुसार संशोधन किया जाना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : श्री हनुमन्तैया की यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि विधेयक को अखिल-भारतीय दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिये। मेरे विचार से ऐसी आवश्यकता कभी नहीं पड़ी थी।

शिवसेना की गतिविधियों को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाना चाहिए। सरकार हमेशा से कहती आ रही है और अब उसे इसको समाप्त करने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

यह बात भी मेरी समझ में नहीं आई है कि इस मामले में एक सदस्यीय आयोग का क्या काम है। इससे तो दिये गये सभी आश्वासनों पर पानी फिर जायेगा। इस बात का फैसला गोआ के निवासी ही कर सकते हैं कि वे क्या चाहते हैं ?

यह भी कहा गया है कि सभी केन्द्र शासित क्षेत्रों के साथ एक सा व्यवहार होना चाहिए। परन्तु दुःख की बात यह है कि ऐसा होना संभव नहीं है।

हिमाचल प्रदेश को नागालैंड की भांति नहीं समझा जा सकता तथा इसे पांडीचिरी और गोआ की भांति भी इससे नहीं बरता जा सकता। मैं इसके प्रशासनिक प्रश्न को तो समझ सकता हूं परन्तु उसके पीछे राजनीतिक मामले भी हैं।

मेरे मित्रों ने निर्वाचन सूची के बारे में गोआ के मुख्य मन्त्री की भर्त्सना की। यह उचित नहीं है क्योंकि यह कार्य तो निर्वाचन आयोग का है।

श्री दाण्डेकर ने जवाहरलाल नेहरू के भाषणों का उल्लेख किया लेकिन यदि उन्होंने उनके भाषण पूरे पढ़े होते तो पता चलता है कि श्री नेहरू ने कहा था कि इसमें पांच, दस या पन्द्रह वर्ष तक भी लग सकते हैं। यह कहना भी ठीक नहीं कि श्री चव्हाण ने इस प्रश्न में प्रभाव डाला। यह चुनाव का निर्णय तो श्री लाल बहादुर शास्त्री ने किया था और कहा था कि यह 1965 के अन्त तक हो जाना चाहिये। यह गत वर्ष के आक्रमण के कारण नहीं हो सका।

श्री दांडेकर ने यह भी कहा कि गोआ को मिलाने के प्रश्न पर सारे गोआ निवासियों की राय जाननी चाहिए चाहे वे इस समय गोआ में रहते हों अथवा गोआ के बाहर। प्रश्न यह है कि गोआ के मिलाने के बारे में उनकी राय जाननी चाहिये जिन पर इसके मिलने का प्रभाव पड़ेगा। वे लोग हैं गोआ के रहने वाले। वे नहीं जो उससे बाहर रहते हैं। इसलिये मेरे विचार में उनका यह कहना उचित नहीं है। हमें इस प्रश्न पर एक व्यापक रूप से विचार करना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr); Mr. Deputy Speaker, I am happy that the foreign rule is over in Goa and the assurance given to the people of Goa to ascertain their views about the reorganisation of Goa is being fulfilled today.

I am not in a position to know as to why this problem of reorganisation is brought here almost after every two years. Such problems should come only once in a century and then dealt with. But the government is in the habit of complicating matters.

We recently had the problem of reorganisation of Punjab but we have left the problem of Chandigarh unresolved.

Reference was made here about the assurances given by the late Shri Jawahar Lal Nehru or the late Dr. Rajendra Prasad to the people of Goa. My submission is that these assurances have no meaning if they are against the wishes of the people.

About the ascertaining of the wishes of the people of Goa, I may say that we should solve not only this problem but all border problems by putting them before the people of that area and there should be voting on it. After all we believe in democratic process and voting is a part of it,

Before every election there should be revision of voter's lists. Those whose names are not there should be permitted to have their names registered in the voters lists.

Regarding the resignation of Bandodker Ministry, I will say only this that since he had his definite views about the Merger of Goa and it was feared that his remaining in office would prejudice the voters, he has resigned from the office of Chief Minister.

This principle should be followed in the case of ministries in the other states. I say that even the central government should resign before 31st December so that elections might be held impartially and in a democratic manner in the whole of India.

I welcome the principle of this Bill and I demand that all border problems of States should be settled according to this principle.

This government always talks of unity of India but in practice its role has been to disintegrate India. It should act according to its pronouncements.

श्री शिंकरे (भरमागोआ) : इस विधेयक के राजनीतिक पहलू पर बोलने से पहले हमें यह देखना है कि गोआ है क्या। कुछ सदस्यों ने कहा कि गोआ 450 वर्ष तक विदेशी शासन के आधीन रहा। परन्तु सत्य यह है कि गोआ के 11 तालुकों में से केवल 4 तालुक 450 वर्ष तक गुलाम रहे; बाकी 7 तालुक को केवल 150 वर्ष तक गुलाम रहे।

गोआ को अलग रखने की मांग भी यही 4 तालुक कर रहे हैं ; बाकी 7 तालुक तो उसे महाराष्ट्र में मिलाना चाहते हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है कि श्री दाँडेकर जो कि गोआ को अलग रखने की बात कहते हैं, उनमें से हैं जो अब भी अंग्रेजों के राज्य को अच्छा समझते हैं।

श्री नारायण दाँडेकर (गौंडा) : यह सर्वथा असत्य है।

श्री शिंकरे : इसी कारण मुझे अचम्भा नहीं होता जब वह एक खोये हुए उद्देश्य की वकालत करते हैं।

जब श्री लाल बहादुर शास्त्री बंगलौर गये तो लोगों ने वहां उस मकान की खिड़की के शीशे तोड़ दिये जिसमें वह ठहर रहे थे। इसी प्रकार उन्होंने बन्दोदकर की झूठी अर्थी निकालकर जलाई। बन्दोदकर तो केवल उस दृष्टिकोण के निशान हैं जिसे गोआ के लोग चाहते हैं। उन्हें जबरदस्ती राज्य पर बिठाया क्योंकि उनका मत यह है कि गोआ महाराष्ट्र में सम्मिलित हो जाये।

श्री दांडेकर ने नेहरू के आश्वासनों का उल्लेख किया। परन्तु यह देखना है कि उन्होंने वे आश्वासन किन परिस्थितियों में दिये। 1954 का आश्वासन तब दिया जब फ्रांस ने अपने भारतीय क्षेत्रों को स्वतन्त्र किया था। 1956 का आश्वासन भी संसार को यह दिखाने के लिए दिया कि वहां क्रान्ति हो रही है। इस प्रकार वह गोआ के लोगों को खुश कर रहे थे।

श्री हनुमन्तैया ने "इण्डियन एक्सप्रैस" का जिक्र किया। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं

कि उस समाचार पत्र का सम्पादक एक गोआ निवासी है जिसके इकलौते बेटे ने उस दिन अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी जिस दिन भारतीय सेना ने गोआ में प्रवेश किया। इसी तरह के लोग गोआ के स्वाभाविक विकास के रास्ते मे रुकावट डाल रहे हैं।

मैं श्री चव्हाण के गृह-कार्य मन्त्री बनने के हक में नहीं हूं। मैं तो चाहता था कि अच्छा होता कि श्री नन्दा ही इस विधेयक का यहां संचालन करते क्योंकि उनसे हम अपना उचित अधिकार तो प्राप्त कर लेते, जो हम अब श्री चव्हाण से प्राप्त नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कारण है कि श्री चव्हाण इस विधेयक के संचालन के लिए यहां नहीं आये ? आखिर यह निर्णय तो मंत्रिमण्डल का है :

मेरी समझ में यह तर्क नहीं आता कि गोआ से बाहर रहने वाले लोगों को भी गोआ के भविष्य के बारे में मत देने का अधिकार हो। उन्हें गोआ से इतना प्यार है तो वे गोआ में आकर रहें और कार्य करें। वहां हर प्रकार की सुविधायें हैं। वे दोनों ओर से लाभ उठाना चाहते हैं।

गोआ के 99 प्रतिशत लोग गोआ के महाराष्ट्र में मिलने के हक में हैं। इसलिए यह संसद इसके विरूद्ध और कोई बात मानने को तैयार नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस विधेयक के सारे क्रम 5-30 बजे समाप्त कर लेंगे। मैं मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिए 4-30 बजे बुलाऊंगा।

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded): Mr. Deputy-speaker I support this Bill. There is no controversy that the people of Goa have to exercise their democratic and inherent right.

My friend Shri Hanumanthaiya has said something against the Shiv Sena. If we have due regard for Shivaji then there is nothing wrong with Shiv Sena. When we have agreed to the principle of formation of states on linguistic basis, there is nothing bad if Marathi speaking areas are merged with Maharashtra.

It has been alleged that there were communal riots in Bombay and cruelty was perpetuated on people. It is all wrong. Nothing happened there which had not happened else where.

This problem would not have cropped up if this problem had been settled when the Commission was formed, I do not understand as to why Marathi speaking areas such as Belgaon, Karrad and Goa are not merged with Maharashtra.

Gandhiji is very much revered in Maharashtra. This is also not correct that Maharashtra has always aggressed others territories. Mutual recrimination by one State against another is not proper. We have love for all whether they belong to Mysore or Gujrat as we have learnt much from all of them.

श्री दी० ना० मुकर्जी (कलकत्ता मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस विधेयक के फलस्वरूप गोआ महाराष्ट्र में मिल जायेगा। साथ ही हम उन लोगों को नमस्कार करते हैं जिन्होने गोआ के स्वतन्त्र संग्राम में भाग लिया। परन्तु इस मामले पर घमण्ड के स्थान पर नम्रता से बात करना अच्छा है। कई बार महाराष्ट्र वालों के इस रवैये से मैं परेशान हो जाता हूं। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो निर्वाचन हो वह निष्पक्ष तथा ईमानदारी से हो।

मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि गोआ से बाहर रहने वालों को इस निर्वाचन में मत देने का हक हो ।

यह अच्छा हुआ कि बन्दोदकर मंत्रिमण्डल ने इस निर्वाचन से पूर्व त्यागपत्र दे दिया है। मैं श्री लिमये की बात का समर्थन करता हू कि यह नीति कांग्रेस को सारे भारत में माननी चाहिए कि वे महा निर्वाचन से पूर्व त्यागपत्र दे दें ।

मैं श्री शिकरे से सहमत हूं कि गोआ की अलग संस्कृति की बात केवल वे लोग करते है जो गोआ को अलग रखना चाहते हैं ।

हम सब प्रसन्न हुए थे कि जब गोआ की एक सुन्दरी रीता फेरिया विश्व सुन्दरी बनी । परन्तु यह दुःख की बात है कि वह अमरीकी सेना के लोगों का दिल बहलाने वियतनाम जा रही है । उसे पता होना चाहिये कि वह क्या भूल कर रही है । हमें याद रखना चाहिये कि इस देश के किसी भाग के लोगों को देश के अन्य भागों से अलग जाने की नीति नहीं अपनानी चाहिये ।

गोआ के लोगों की मुख्य मांग को नहीं टालना चाहिए कि गोआ के लोगों को महाराष्ट्र में मिलने के बारे में तथा दमन और दीयू के लोगों को गुजरात में मिलने के बारे में पूर्ण रूप से विचार व्यक्त करने की स्वतन्त्रता देनी चाहिये ।

इसीलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणासी) : मैंने दो दिन पूर्व अपना नाम दिया था और मैं अपने दल का मत्री भी हूं परन्तु मुझे अवसर नहीं दिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अवसर दिया जायेगा ।

श्री पु० र० पटेल (पाटन) : ऐसा लगता है कि आप गुजरात के लोगों को अवसर नहीं दे रहे हैं । इस विधेयक का गुजरात के लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है ।

श्री बासप्पा (तिपतुर) : गोआ के बारे में हम सदा से यह कह रहे हैं कि राष्ट्रीय हितों को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए । स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू ने सभी पहलुओं पर विचार कर कहा था कि गोवा को कुछ समय तक संघ क्षेत्र रखा जाना चाहिए । इस स्थिति में परिवर्तन करना न तो गोवा और नहीं राष्ट्रीय हित में है ।

यदि गोआ के इतिहास को देखा जाये तो गोवा कभी भी महाराष्ट्र का अंग नहीं रहा । ईसवीं सन् 119 से 1312 तक, गोवा कादम्ब शासको के अधीन था । इसके पश्चात् 1632 में हिकेरी के शासकों ने पुर्तगाल के साथ संधि की थी । इसके बाद कर्नाटक के शासक, राजा सोंवा ने इस क्षेत्र का कुछ भाग पृथक कर दिया था । विजयनगर के शासकों ने भी आर्थिक दृष्टिकोण से गोवा पर नियंत्रण, रखा हुआ था । वे इस बन्दरगाह से कपड़ों का निर्यात करके सेना के लिये घोड़ो का आयात करते थे । इससे यह बात सिद्ध हो जाती है कि जहां तक इतिहास का सम्बन्ध है महाराष्ट्र का कभी भी गोवा के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहा । पृष्ठदेश का 80 प्रतिशत भाग मैसूर तथा 20 प्रतिशत महाराष्ट्र के पास था । इससे पता लगता है कि गोवा का अधिकतम भाग मैसूर के निकट पड़ता है । गोवा को खाद्य सामग्री तथा सब्जी आदि भी मैसूर से ही प्राप्त होती है । इस लिये मैं कहूंगा कि भोगोलिक, आर्थिक तथा अन्य सभी पहलुओं पर निष्पक्षता से विचार करके निर्णय किया जाये ।

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए ।
Shri Sham Lal Saraf in the chair]

इस विधेयक को पास करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । उन सभी खण्डों पर अधिक ज़ोर दिया जा रहा है जो गोवा के महाराष्ट्र के पक्ष में हैं । ऐसा नहीं किया जाना चाहिए । किसी दबाव में आकर इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए । यह निर्णय दबाव में आकर किया गया है । गोवा से लोगों के दिल में शंका उत्पन्न हो रही है कि केन्द्र में शक्ति सतुलन और अवसरवादी के कारण गोआ के हितों को बलिदान किया जा रहा है । इस शंका को लोगों के दिलों में दूर किया जाना चाहिए ।

गोआ, नौ सेना और सेना के दृष्टिकोण से एक सामुद्रिक महत्व का स्थान है । गोवा को अभी कुछ समय के लिये संघ क्षेत्र ही बने रहने देना चाहिए । यदि चुनाव कराना ही है तो सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव निष्पक्ष व्यक्तियों द्वारा करायें जाये ताकि चुनाव स्वतन्त्र तथा न्याययुक्त हों । इसके लिये यह आवश्यक है कि वहां कि मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दें तथा महाराष्ट्र के जो अधिकारी नियंत्रण कर रहे हैं उनको हटाया जाये ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : गोवा के लोगों को राष्ट्र द्वारा कुछ वचन दिये गये थे । ये वचन उच्च स्तर पर दिये गये थे । कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में यह वचन दिया गया था कि गोवा कि सांस्कृति को बनाये रखा जायेगा । 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने मैसूर के मुख्य मंत्री को लिखा था कि गोवा भारत का अंग रहकर देश की समृद्धि में वृद्धि कर सकता है इसका एक अथवा दूसरे राज्य में विलय करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । इसके लिये कोई खींचातानी नहीं होनी चाहिए । गोवा को विकास करने का अवसर दिया जाना चाहिए । जब संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम बनाया गया था तब संसदीय अधिवेशन के आरम्भ में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था कि इस क्षेत्र के स्वरूप को सुरक्षित रखा जायेगा । 4 दिसम्बर, 1963 को पंजिम में एक सार्वजनिक बैठक में लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि गोवा को किसी अन्य राज्य के समान ही स्वायत्तता प्राप्त होगी ।

अब हमने जनमत संग्रह का संवैधानिक ढंग अपनाया है । मैं इसका स्वागत करता हूं । यदि गोवा के लोग संविधान के अधीन भारत संघ में एक अलग राज्य के रूप में रहना चाहते हैं तो उनको ऐसा निर्णय करने दिया जाना चाहिए । हम केवल इतना चाहते हैं कि उनको दिये गये वचनों का उचित तथा ठीक ढंग से पालन हो । बम्बई में गोवा के 85,00 लोग रहते हैं । श्री नेहरू तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं ने उनको वचन दिये थे । । इन लोगों ने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में एक शानदार कार्य किया था । गोवा कांग्रेस ने गोवा छोड़ो का नारा लगाया था जो बाद में पूरा हुआ । प्रो० देशपाण्डे तथा विपिन कुमार चौधरी पुर्तगाल जेल में भी रहे । मंत्री महोदय का यह कहना बिल्कुल गलत है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अधीन एक मतदाता वही व्यक्ति हो सकता है जो आमतौर पर उस राज्य क्षेत्र का ही निवासी हो । यह विधान सभा तथा संसद के 5 वर्षों के लिये किसी व्यक्ति का चुनाव नहीं है । यह चुनाव तो सदा के लिए है । इसलिये गोवा के सभी लोगों को अपनी राय देने का अधिकार होना चाहिए । 20,000 लोग विभिन्न भागों में समुद्र में रहते हैं । क्योंकि उनका मुख्य धंधा यही है । चाहे जो भी उनकी संख्या हो उनको अपनी राय देने का अधिकार दिया जायेगा । इस बात पर विचार किया जाना चाहिए ।

मैंने, श्री दान्डेकर तथा श्री दंगा ने प्रस्ताव रखे हैं कि उन लोगों को राय देने का अधिकार

नही दिया जाना चाहिए जो वास्तव में गोवा के रहने वाले नहीं हैं। गत तीन आम चुनावों में बम्बई में रहने वाले 85,000 गोवा के लोगों को भाग नहीं लेने दिया गया ? क्या हमें उन लोगों को गोवा के भविष्य के बारे में अपनी राय देने का अधिकार नहीं देना चाहिए ?

Shri Raghunath Singh (Varansi) : I welcome the Bill. This has provided an opportunity to unite themselves to those who got seprated years ago.

In this connection, mention of Shivaji has been made Shivaji's contention was that this was one country and should be ruled over by the Indian's. Now our is a secular state and communalism has no place in it.

In 1961 Goa was declared as a Union Tenitary. In 1963, Union Territories Act was passed and new rule in Goa came into being. Election to the Goa assembly was fought on different menifesto. Goavnlate Party was in favour of immediate merger of Goa with Maharashtra Majority of people voted in favour of merger. So we should not put any hurdle in its merger with Maharashtra.

In this merger business Government is not bound by the approach adopted by the Congress Working Committee. But it has always been the view point of Government that future of Goa will have to be decided by people of Goa themselves. Government has not fixed any time limit to the merger of Goa into Maharashtra.

A resolution was also passed in this connection by the Goa assembly. Wishes of the people of Goa were also reflected therein. Majority of Goa Congress Committee were also in favour of its merger with Maharashtra.

In past also many important Questions were decided by simple majority. North West Frontier Province was given to Pakistan on 1½ percent majority.

Therefore, I would say that 2/3rd majority. Criteria should also not be made applicable here. According to 1960 Census there were 497227 Koni speaking, 9142 Marathi speaking and 813 Canara speaking people were there.

It is not correct to say that Goa has a separate Culture. Culture of whole of the country is one.

Those people of Goa who live outside should also be given the right to vote in the poll but there should be no delay in having the poll.

Shri Bade (Khargon) : I could not understand their opinion poll. Once again we have to give an opinion on the same very issue on which the last election was fought in Goa. The Party who was in favour of merger came into the power. After that the Goa Legislative Assembly passed a resolution demanding the merger of Goa into Maharashtra. Looking at all these things I do not see any need for this opinion poll. Goa should have been merged into Maharashtra. This opinion poll has been brought under some pressure.

Goan's who took part in Bombay Corporation's election should not be allowed to vote in this opinion poll. They have been living in Bombay for the last many generations.

It is not proper to demand resignation from the Goa Council of Ministers. It is not a good thing that Government adopt different methods in different places. Government should have uniform standard for all the states.

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : मेरे माननीय मित्र चाहे कुछ भी कहें पर मैं यह कहूंगा कि मेरे उत्तर बम्बई से चुनाव लड़ने के कारण ही गोवा स्वतंत्र हुआ है।

भाषायी प्रांतों का यह अर्थ नहीं कि एक भाषा के दो प्रांत नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा हरयाना को एक प्रांत होना चाहिए था। इस

लिये इस भ्रम को दिमाग से निकाल देना चाहिए। परन्तु यदि हम भाषायी प्रांतों के आधार पर भी सोचें तो गोवा की भाषा मराठी नहीं है।

यह विधेयक एक अच्छी चीज है। इस बारे में कोई झगड़ा नहीं है कि गोवा के लोगों की राय लेनी चाहिए। अब प्रश्न यह है कि गोवा का रहने वाला कौन हैं और मत देने का अधिकार किस को है। पहले सरकार ने कहा था कि जिन लोगों के पूर्वज गोवा में रहते परन्तु जो रोजगार कमाने के लिये बम्बई आ गये थे और वहां विदेशी शासन के कारण वापस नहीं जा सके, उनको इस बारे में मत देने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यह कहना भी युक्तिसंगत नहीं है कि जो लोग बम्बई में रहते हैं उनका गोवा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री रा० गि० दुबे (बीजापुर-उत्तर) : शिवाजी का उल्लेख किया गया है। इन दिनों की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही हमें उनके कार्य पर कोई निर्णय लेना है। वह एक महान देश भक्त थे और भारत को विदेशी शासन से स्वतन्त्र कराने के लिये भी वही जिम्मेदार हैं। मेरे दिल में उनके लिये बड़ी श्रद्धा है।

इस बारे में दो मत नहीं हैं कि अभिमत संग्रह को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जा सकता। प्रश्न केवल यह है कि इस विधेयक को पास करने का क्या यह उचित समय है। श्री रानाडे अभी पुर्तगाल की जेल में हैं। दांगेकर मंत्रालय के संगठन के बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। परन्तु ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिये हैं और हमने उन्हें भुला दिया है। 1962 के चुनाव गोवा के लोगों का मत जानने के लिये उचित आधार नहीं थे इन चुनावों में बम्बई में रहने वाले अधिकांश गोआनियों को मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को पारित करने के लिये शीघ्रता न करे। हमें मतदाता सूची की अच्छी तरह से जांच करनी चाहिये और गोवा के उन लोगों को, जो दुर्भाग्यवश पुर्तगाल शासन के कारण वहां से आ गये थे, मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाये। इन सब बातों के साथ मैं कहूंगा कि इस मामले पर सावधानी से विचार करना चाहिए।

श्री हुमायूंन कबीर (बसिरहाट) : मुझे यह बात सुनकर आश्चर्य हुआ कि इस विधेयक से गोवा का भारत के साथ पूरी तरह से विलय हो गया। गोवा भारत का ही एक अंग है। इस मामले में भी कोई दो मत नहीं है कि इस बारे में गोवा के लोगों की राय जाननी चाहिए। प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि गोवा के लोग कौन कौन है और किन को मत देने का अधिकार है।

मुझे कांग्रेस संसदीय दल के सचिव ने बताया है कि सरकार उन गोआनियों के मामले पर विचार करेगी जो गोआ के बाहर रहते हैं परन्तु उन्हें कहीं मत देने का अधिकार नहीं है। पिछले तीन सामान्य निर्वाचनों में गोआ से बाहर देश के अन्य भागों में रहने वाले गोआनियों को इस कारण मताधिकरण नहीं दिया गया था कि वे विदेशी राज्य क्षेत्र के नागरिक थे। यदि उन्हें नगरीय चुनावों में मतदान का अधिकार दिया भी गया तो संसद तथा विधान सभा के निर्वाचकों में अधिकार नहीं दिया गया। उस दृष्टि से यह ठीक नहीं होगा यदि सभा उस प्रकार के लोगों को मतदान के लिए नामांकन की अनुमति न दें।

गोआ के चुनाव में किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। यदि तीन लाख मतदाताओं में 1,09,090 लोगों ने गोआन्तर दल का समर्थन किया तो यह नहीं कहा जाता कि यह तुरन्त

विलय के पक्ष में स्पष्ट प्रमाण है। अभी तक वहां राय स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो पाई है और हम चाहते हैं कि राय की स्पष्ट अभिव्यक्ति हो, वहां पर राय सम्बन्धी मतदान होना चाहिये परन्तु ऐसा ऐसी स्थिति में होना चाहिये जिस में न केवल न्याय हो बल्कि लोगों को यह विश्वास भी हो जाये कि न्याय हो रहा है। उस सम्बन्ध में निष्पक्षता से निर्णय किया जाना अनिवार्य है। यह निर्णय गोआ की जनता के सर्वोत्तम हित में होना चाहिये।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : एक लम्बे समय तक गोआ ने भारतीय राष्ट्रीयता के जन्मदाताओं को चिन्तित रखा क्योंकि गोआ पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन था। यद्यपि पुर्तगाली जब चले गये है तथापि वे गोआ में बहुत बिष छोड़ गये हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि स्वतन्त्रता के 20 वर्ष बाद भी हम समुदायों की बातें कर रहे है। उसे बिना द्वेष तथा घृणा के भारतीय लोकतन्त्र के उद्यान में जाने देना चाहिये।

गोआ के लोगों को अपना निर्णय देना चाहिये और राय सम्बन्धी मतदान का निर्णय बुद्धिमतापूर्ण है। प्रत्येक वास्तविक गोआनी को, चाहे वह कहीं रह रहा हो, मतदान में मत देने का अधिकार होना चाहिये परन्तु उसे भारत के किसी अन्य भाग में मतदाता नहीं होना चाहिये। यह बिल्कुल उचित है कि लगभग 40 से 50 हज़ार गोआनी नाविकों को, चाहे वे कहीं भी हों, मतदान में भाग लेने दिया जाये क्योंकि उन्होंने दूर के स्थानों में भारत की सेवा की है।

मैं उन माननीय सदस्यों की प्रशसा करता हूं जिन्होंने गोआ के लिए त्याग दिया। श्रीमती सहोदराबाई राव ने बहुत बलिदान दिया है। श्री मधु लिमये गोआ के मामले में जेल में रहे हैं। डा० लोहिया, सुभद्रा जोशी, श्री गोरे तथा श्री पीटर अल्वारेस ने इस आंदोलन में बड़ा भाग लिया है।

Shri Sivamurthi Swamy (Koppal) : I support this Bill in the capacity of a voter but I feel that the procedure of opinion poll is improper to decide the future of any State. It may be cited as a precedent in the Kashmir and Pondicherry.

I am not in favour of keeping Goa as a seperate unit. It should be merged with Maharashtra or Mysore, but it is wrong to say that the people of Goa have decided in favour of merger with Maharashtra.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए। / The Deputy-Speaker in the Chair]

A majority of Goans speak Konkani and therefore, Goa has more affinity with Mysore from language point of view. From geographical point of view also Goa should be merged with Maharashtra because 80 percent of her territory adjoins Mysore. The economic devlopment of Goa can also be letter if she is merged with Mysore since she is dependent on Mysore for most of her needs.

Shrimati Sahodra Bai Rai (Damoh) : I offered Satyagrah in Goa in 1955, I asked the women of Goa whether the State should be merged with Mysore or Maharashtra. They told me that they were in favour of the merger of the State with Maharashtra as the majority of people speak Marathi. If Goa is merged with Maharashtra, she will prosper more. The people speaking Konkani in Goa are less than the 'Marathi' speaking people therefore the claim of Mysore cannot be supported.

गृह-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री श्री विद्याचरण शुक्ल : सब से पहले मैं इस सुझाव का खण्डन करता हूं कि विधेयक को इस सभा के समक्ष किसी दबाव के अन्तर्गत पेश किया जा रहा है। यह विधेयक उन गम्भीर आशवासनों का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत किया गया था जो गोआ, दमन तथा दीव के लोगों को इस बारे में दिये गये थे अर्थात् उन राज्यक्षेत्रों के भविष्य के सम्बन्ध में निर्णय करने से पहले वहां के लोगों का मत मालूम किया जायेगा।

यह विधेयक अधिक विवादास्पद नहीं है। उसमें एक ऐसी व्यवस्था निर्धारित की गई है जिसे उन राज्यक्षेत्रों के लोगों का मत जानने के लिए प्रयोग में लाया जायेगा। हम उन लोगों को मत के अधिकार नहीं दे रहे जिनका गोआ से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसमें मत केवल ऐसे व्यक्ति दे सकते हैं जो गोआ, दमन तथा दीव के सामान्य निवासी है। यदि कोई व्यक्ति निर्वाचक अधिकारी को सन्तुष्ट कर सके कि वह गोआ का सामान्य नागरिक है तो उसे राय सम्बन्धी मतदान में मत देने की अनुमति दी जायेगी। स्थानीय सरकार पर मतदाता सूची में फेर बदल रखने का आरोप बिल्कुल निराधार है। मैं सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि नामावलियां चुनाव आयोग की देख रेख में तैयार की गई थीं।

स्थानीय सरकार को त्यागपत्र देने के लिए कहने का कारण यह है कि यह शंका व्यक्त की गई थी कि कहीं कुछ हस्ताक्षेप हो सकता है।

राय सम्बन्धी इस मतदान का कशमीर अथवा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में कोई सम्बन्ध नहीं है। यह आन्तरिक मामलों पर लोगों की राय जानने के लिए है। दुर्भाग्य की बात है कि यह कहा गया है कि यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जा सकता है।

उन लोगों के लिए, जो गोआ के सामान्य निवासी हैं परन्तु गोआ के मतदाताओं के रूप में पंजीकृत नहीं है, निर्वाचक नामावलियों में नाम दर्ज कराने की सुविधा देने के लिए हमारा एक संशोधन पेश करने का विचार है। उन्हे पंजीकरण के लिए अपेक्षित 50 पैसे का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। प्रार्थना पत्र डाक द्वारा भेजे जा सकते हैं। केवल निर्वाचक अधिकारी को सन्तुष्ट करना होगा कि प्रार्थी गोआ का सामान्य रूप से निवासी है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : क्या गोआ का विलय सामान्य चुनाव के बाद संविधान में संशोधन द्वारा किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं इस सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहूंगा।

श्री रंगा (चित्तूर) : गोआ में "सामान्यतः निवासी" का क्या अर्थ है। जो लोग व्यापार आदि के लिए गोआ से बाहर रहते हैं और उनके परिवार मकान आदि गोवा में है, उनका क्या होगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल :

"सामान्यतः निवासी" का अर्थ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है: "कि गोआ, दमन और दीव की भावी प्रास्थिति की बाबत उनके निर्वाचकों की इच्छाओं को अभिनिश्चित करने के लिए उनकी राय सम्बन्धी मतदान करने तथा तत्संस्कत विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खण्डशः चर्चा होगी । खण्ड २ में कुछ संशोधन रखे जाते है ।

श्री नि० चं चटर्जी (बर्दवान) : मैं सशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : मैं संशोधन संख्या १६ तथा १७ प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नि० चं० चटर्जी : यदि मेरे अथवा श्री नारायण दांडेकर के संशोधन स्वीकार नहीं किये जायेंगे तो यह विश्वास-घात होगा । बम्बई मे रहने वाले गोआनियों ने स्वतन्त्रता संग्राम में बलिदान दिये परन्तु संसद तथा राज्य विधान सभा के चुनाव के समय उन्हें मताधिकार नही दिया गया क्योंकि वे अभी तक गोआनी माने जाते थे । यह अनुचित होगा कि जब तक गोआ के सम्बन्ध में मत जानने का समय आये तो आप उन्हें इसकी अनुमति न दें । यह हजारों लोगो को मताधिकार से वंचित करना होगा ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एक बिल्कुल भिन्न उद्देश्य के लिए है । "सामान्यत निवासी" की परिभाषा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में से नहीं ली जानी चाहिये । हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री नारायण दांडेकर : संशोधन संख्या 17 में गोआ निवासी की सरल परिभाषा रखी गई है । इसके अनुसार उस व्यक्ति को गोआ निवासी माना जाना चाहिए जिसका जन्म गोआ, दमन तथा दीव में हुआ हो और जो गोआ, दमण और दीव (नागरिकता) आदेश, 1962 के अधीन 20 दिसम्बर, 1966-को भारत के नागरिक बने थे । सशोधन सख्या 16 के दूसरे भाग के अनुसार उन सब लोगों के अनुसार उन सब लोगों के नाम, जो गोआ निवासी हैं, परन्तु जिनके नाम मतदाता सूचियों में केवल इसलिए शामिल नहीं किये गये हैं, कि वे गोआ, दमन और दीव के साधारणतः निवासी नहीं थे, इस बात के बावजूद कि वे भारत के किसी अन्यभाग अथवा क्षेत्र में साधारणतः निवासी थे, मतदाता सूची में शामिल किये जाये ।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : गोआ का भविष्य निर्धारित करने के लिए गोआ को अनुपस्थिति में कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता । केवल वही लोग इस मामले का निर्णय कर सकते हैं जो गोआ के साधारणतः निवासी है और जिनका नाम निर्वाचन सूची में दर्ज है । इसलिए, श्री दांडेकर का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए ।

गोआ में साधारणतः नाविक लोग रहते हैं और नाविकों द्वारा चाहे वे कहीं भी क्यों न हो, गोआ की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने पर अवश्य ही कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । श्री दांडेकर तथा अन्य सदस्यों ने कहा है कि बम्बई तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले ऐसे गोआनियों को भी राय सम्बन्धी मतदान सूची में रखा जाये, जो कि गोआ में नहीं रहे हैं । यह कहा गया है कि गोआनियों को संसदीय तथा विधान सभा के चुनाव के लिए मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराने की अनुमति नहीं दी गई हैं । मैं कहना चाहता हूं कि बम्बई नगर में बहुत से गोआनी रहते हैं और उन्हें मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराने का अधिकार दिया गया है । महाराष्ट्र सरकार तथा चुनाव आयोग ने प्रत्येक गोआनी को यह अधिकार दे रखा है कि यदि वे यह कहें कि वे भारतीय नागरिक हैं तो वे अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवा सकते हैं तथा बहुत से गोआनियों ने जिन्होंने

अपने आपको भारतीय नागरिक घोषित किया हैं, अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाये हैं। अतः कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि बम्बई में गोआनी संसदीय तथा विधान सभा के चुनावों के लिए मतदाता सूची में अपना नाम नहीं लिखा सकते। कोई भी गोआनी जो अपने आपको भारतीय बतलाता हो, मतदाता सूची में नाम लिखा सकता है। केवल उन्हीं गोवानियों के और उनकी सख्या काफी है, जो अपने आपको भारतीय नहीं मानते और जो अपने आपको स्वतन्त्रता के दिन तक पुर्तगाली राष्ट्रक मानने का आग्रह करते रहे हैं, मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं किये गये हैं।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत यह परिभाषित करना असम्भव है कि कौन गोआनी है। दूसरे गोआ के भविष्य के बारे में निर्णय करने का अधिकार केवल उन्हीं गोआनियों को होना चाहिये जो किसी विशेष क्षेत्र के निवासी हैं। तीसरे यह धारणा गलत है कि नाविकों को मतदान का हक नहीं है, क्योंकि कोई भी गोआनी नाविक, जो अपने आपको साधारणतः वहां का निवासी बताता है मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकता है।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : श्री अल्वारेस का यह कथन सच नहीं है कि कोई भी गोआनीजो अपने आपको भारतीय नागरिक बताता है मतदाता सूची में अपना नाम लिखा सकता है। मैंने चुनाव आयोग से यह विशिष्ट प्रश्न पूछा था कि क्या वर्ष 1952, 1957 तथा 1962 के आम चुनावों में गोआनियों को मतदाता सूची में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि वे भारतीय नागरिक नहीं थे तथा उनके उत्तर से स्पष्ट होता है कि केवल उनकी गोआनियों के नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जा सके थे जो संविधान के अनुच्छेद 5 के अन्तर्गत दी गई भारतीय नागरिकता की परिभाषा में आये थे।

श्री शिकरे (मरमागोआ) मैं श्री डांडेकर तथा श्री चटर्जी के मत से सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन यह है कि गोआ, दमन और दीव की स्वतन्त्रता के पश्चात, जो 20 सितम्बर, 1961 को प्राप्त की गई थी, उन गोआनी लोगों पर, जो बम्बई तथा अन्य स्थानों में रह रहे हैं, गोआ की मतदाता सूची में अपने नाम लिखाने पर कोई रोक नहीं है, यदि वे निर्वाचन अधिकारियों को यह संतुष्ट कर सकें कि वे गोआ के साधारणतः निवासी हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : कलकत्ता में रहने वाले व्यक्ति अपना नाम कैसे दर्ज करा सकता है।

श्री शिकरे : ऐसे एक व्यक्ति के लिए जो एक वर्ष में दस महीने बम्बई में रहता है और दो महीने के लिए गोआ में चला जाता है, यदि वह चाहे तो अपना नाम लिखाना कठिन नहीं था। परन्तु उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। अब जब कि राय जानने सम्बन्धी विधेयक सभा के समक्ष है, उस समय कुछ ऐसे व्यक्तियों को मतदाता सूची में सम्मिलित करने का प्रयत्न उचित नहीं है. जो कभी गोआ में नहीं रहे। पुर्तगाल अधिनियम के अन्तर्गत जो भी व्यक्ति गोआ में जन्म लेता था उसे पुर्तगाली राष्ट्रक समझा जाता था, और उसके चाहने पर उस भारतीय नागरिकता अधिनियम की किसी भी धारा के अन्तर्गत भारतीय नागरिकता नहीं दी जा सकती थी। वास्तव में यह हुआ था कि बहुत से गोआनियों ने भारत की मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज करवा लिये थे। वे साधारणतः भारत में रहते थे और गोआ कभी कभी जाते थे। साथ-साथ भारत सरकार ने गोआ तथा शेष भारत के बीच यात्रा एवं यातायात पर प्रतिबन्ध लगा रखा था और केवल गोआनियों को गोआ जाने की अनुमति दी जाती थी। वे पुर्तगाली राष्ट्रक होने के सब लाभों को उठाना चाहते थे और कभी कभी गोआ जाया करते थे। परन्तु अब स्थिति बिलकुल भिन्न है।

भारत सरकार ने गोआ, दमन और दीव (नागरिकता) आदेश कुछ ऐसे भिन्न कारणों से जारी किया था, जिसका गोआनियों से सम्बन्धित इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर राय देने या न देने से कोई सम्बन्ध नहीं था। इसका प्रभाव केवल उन गोआ निवासियों के भविष्य पर पड़ेगा जिन्होंने गोआ को अभी तक अपना स्थान बताया है और जिनका भविष्य अभी तक इस स्थान से सम्बद्ध है। उन गोआनियों को जो कई पीढ़ियों से अन्य स्थानों में बसे हुए हैं, गोआ के भविष्य पर राय देने का कोई अधिकार नहीं है। अतः मैं श्री सवं श्री डांडेकर तथा चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधनों का विरोध करता हुं।

श्री नम्बियार (तिरूचिनापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पत्र इस निर्णय का समर्थक है कि केवल उन गोआनियों जो कि गोआ में रहते हैं गोआ के भविष्य के सम्बन्ध में यह निर्णय करने का अधिकार दिया जाये कि गोआ का महाराष्ट्र के साथ विलय किया जाये अथवा इसे अलग रखा जाये। उन लोगों को जो बम्बई, मद्रास तथा किसी अन्य स्थान पर रह रहे हैं और जो किसी समय गोआनी थे यह निर्णय करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह ठीक नहीं है। मेरा दल सरकार से यह कड़ा अनुरोध करता है कि केवल उन गोआनियों को गोआ के भविष्य के बारे में निर्णय करने का अधिकार दिया जाये जो गोआ के निवासी हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The word "elector" has been defined in the Bill thus:

"in relation to Goa, a person whose name is entered in the electrol roll of an assembaly constituency for the time being in force in Goa"

It has been provided in the new law just passed by us that the electoral roll would be renewed before the election. I think the whole matter could be settled if the Minister clarifies that those Goans who fulfil the condition of registering themselves in the electoral rolls of Goa can go there and do so, if they so like and take part in the opinion Poll. The electoral roll will be renewed before the opinion poll.

श्रीमती रेणुकाराय (माल्वा) : मैं श्री नि० चं० चटर्जी के संशोधन के पक्ष का समर्थन करना चाहती हूं, जहां तक कि इसका सम्बन्ध पृष्ठ 2, पंक्ति 18 के बाद के उपबन्ध से है और जिसमें कहा गया है उन सब गोआनी लोगों को जो इस समय गोआ में नहीं रह रहे है तथा उन सब गोआनी नाविकों को जो इस समय गहरे समुद्रों पर गये हुए हैं, और जो गोआ, दमन और दीव नागरिकता आदेश, 1962 के अन्तर्गत आते हैं को राय सम्बन्धी मतदान में भाग लेने की अनुमति दी जाये। परन्तु मैं समझती हूं कि उपमन्त्री द्वारा दिये गये इस सुझाव से, कि जो व्यक्ति अपने आपको गोआनी दर्ज करना चाहते हैं उन्हें एक मास का समय दिया जायेगा और वे वहां जा सकेंगे तथा अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करा सकेंगे श्री चटर्जी के संशोधन का मुख्य प्रयोजन हल हो जाता है। मैं यह महसूस करती हूं कि गोआनियों की जिन्होंने बाहर से ही सही, गोआ के स्वतन्त्रता संग्राम में सहायता दी थी और उसमें भाग लिया था, इस समय उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये, क्योंकि उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि उनका नाम शामिल किया जायेगा। यदि वे बाहर काम काम कर रहे थे तो इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें गोआ के भविष्य के बारे में दिल-चस्पी नहीं है।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : आम चुनावों की मतदाता सूचियों के बारे में जो यह नियम है कि मतदाता सूचियों को ठीक करने तथा उन व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज करने के लिये, जिनका कि नाम पहले उनमें नहीं होता है, कुछ समय दिया जाता है, उसको गोआ के

बारे में भी लागू किया जाना चाहिये, क्योंकि गोआ अब भारत का भाग है। उदाहरणार्थ मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे में और विशेषतया: देश के पूर्वी भाग में बहुत से ऐसे गोआनी हैं जो एक अथवा दूसरे कारण से गोआ की मतदाता सूची में अपने नाम नहीं लिखा सके हैं। उन लोगों को गोआ की मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके सेवा अभिलेखों में लिखा हुआ है कि वे गोआनी हैं। अत: यदि कुछ कारणोंवश वे अपने नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करा सके हैं, तो राय सम्बन्धी मतदान होने से पहले उन्हें गोआ की मतदाता सूचियों में अपने नाम दर्ज कराने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके लिये कोई क्षेत्री प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। "गोआनी" तथा "गोआ के लोग" शब्दों की स्पष्ट परिभाषा की जानी चाहिए।

श्री बासप्पा : . निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : कोई निवास सम्बन्धी प्रतिबन्ध नहीं है। नागरिकता आदेश जिसका प्राय: उल्लेख किया गया है वह केवल इस सीमित उद्देश्य के लिए बनाया गया था कि स्वतन्त्रता के बाद गोआ के नागरिकों को भारतीय नागरिक बनाया जा सके। स्वतन्त्रता के बाद जो कोई भी व्यक्ति गोआ में रहता है वह गोआ का ऐसा ही नागरिक है, जैसा कि वह गोआनी जिसका अथवा जिसके बाप दादा का गोआ में जन्म हुआ था। मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि केवल वही व्यक्ति गोआनी है जिसका अथवा जिसके मां बाप का गोआ में जन्म हुआ था। कोई भी व्यक्ति जो अब गोआ में रहता है अथवा साधारणतय: गोआ का निवासी है, वही गोआनी है।

मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नि० चं० चटर्जी के संशोधन संख्या 3 और 4 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 और 4 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

Amendements Nos 3 & 4 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नारायण दांडेकर के संशोधन संख्या 16 और 17 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 16 और 17 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendments Nos 16 and 17 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

खड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खंड 4

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 4 के बारे में तीन संशोधन हैं, अर्थात् संशोधन संख्या 6, 7

और 10। क्या इनमें से कोई संशोधन प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये संशोधन प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं। प्रश्न यह है : "कि खड 4 विधेक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया :

Clause 4 was added to the Bill

नया खण्ड 4 क

New Clause 4 A

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं कि **पृष्ठ 3, पंक्ति 14 के बाद निम्नलिखित रखा जाये :**

after line 14, **insert**—

"Fees not to be paid on applications for inclusion of names in electoral roll etc.

4A. Notwithstanding anything contained in the Representation of the people Act, 1950, 43 of 1950 or in any rule made thereunder, no fee shall be payable in respect of —

(a) any application for inclusion of any name in the electoral roll of any assembly constituency in Goa, Daman and Diu under section 23 of that Act; or

(b) any appeal preferred against any order made on such application,

if such application or appeal is made or preferred within a period of thirty days immediately following the commencement of this Act."

"मतदाता सूची में नामों के सम्मिलित किये जाने आदि के आवेदन पत्रों पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा" ["4क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबन्ध के होते हुए भी इन मामलों में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा :

(क) उस अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत गोआ, दमण और दीव में विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कोई नाम सम्मिलित करवाने का आवेदन पत्र, अथवा

(ख) उस आवेदन पत्र पर दिये गये किसी आदेश के विरूद्ध दायर की गई कोई अपील यदि वह आवेदन पत्र अथवा अपील इस अधिनियम के लागू होने के तुरन्त बाद 30 दिनों की अवधि के अन्दर की गई हो।"]

श्री हनुमन्तैया : मंत्री जी बतायें कि 30 दिन की अवधि कब आरम्भ होगी।

श्री विद्याचरण शुक्ल : अधिनियम उस तिथि से चालू होगा, जिस तिथि को सरकारी राजपत्र में इस की घोषणा होगी। गोआ के लिये कोई तिथि हो सकती है और दमन और दीव के लिये कोई और तिथि हो सकती है। अधिनियम लागू होने के एक महीने पश्चात् यह खन्ड लागू होगा।

श्री हनुमन्तैया : अधिनियम अनुसूचित होते ही लागू हो जाता है, परन्तु यह भी उपबन्ध है कि खण्ड 1 (2) के अनुसार अधिसूचित तिथियों से इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्ध लागू होंगे। 30 दिन की अवधि का इससे तालमेल होना चाहिये। यह अधिनियम के लागू होने की तिथि नहीं, अपितु यह अधिसूचना के पश्चात लागू होने की तिथि होनी चाहिये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस अधिनियम के लागू होने से 30 दिन की अवधि है।

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख (परमणी) : तिथि की तो अधिसूचना करनी पड़ेगी। अधिनियम अधिसूचना मात्र से लागू नहीं होता।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जब सरकारी राजपत्र में इसकी अधिसूचना की जायेगी तो उसी राजपत्र म तिथि की भी अधिसूचना दी जायेगी। इस तिथि से एक महीने की तिथि होगी

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : **पृष्ठ 3, पंक्ति 14 के बाद निम्नलिखित खण्ड में**

"Fees not to be paid on application for inclusion of names in electoral roll etc.

4A. Notwithstanding anything continued in the Representation of the people Act, 1950, 43 of 1950, or in any rule made thereunder, no fee shall be payable in respect of—

(a) any application for inclusion of any name in the electoral roll of any assembly constituency in Goa, Daman and Diu under section 23 of that Act; or

(b) any appeal preferred against any order made on such application,

if such application or appeal is made or preferred within a period of thirty days immediately following the commencement of this Act.

"मतदाता सूची में नामों के सम्मिलित किये जाने आदि के आवेदन पत्रों पर कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा" [4क लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम में अन्तर्निविष्ट किसी उपबन्ध के होते हुए भी इन मामलों में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा :

(क) इस अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत गोआ, दमण और दीव में विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में कोई नाम सम्मिलित करने का आवेदन पत्र ; अथवा

(ख) उस आवेदन पत्र पर दिये गये किसी आदेश के विरुद्ध दायर की गई कोई अपील, यदि वह आवेदन पत्र अथवा अपील इस अधिनियम के लागू होने के तुरन्त बाद 30 दिनों की अवधि के अन्दर की गई हो।"] (22)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खण्ड 4क विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

नया खण्ड 4 क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

New Clause 4A was added to the Bill.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5 was added to the Bill.

खन्ड 6 (राय सम्बन्धी मतदान आयुक्त)

श्री हरि विष्णु कामत : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12 और 13 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड तथा संशोधन सभा के समक्ष हैं ।

श्री हरिविष्णु कामत : यह प्रसन्नता की बात है कि हमारी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोआ को आजाद कराने के पांच वर्ष पश्चात यह विधेयक लाया जा रहा है जो कि अपनी प्रकार का प्रथम विधेयक है और जिसमें गोआ के भविष्य का निर्णय करने के लिये जनता की राय जानने की व्यस्वथा की गई है । भविष्य में यह एक अच्छी परम्परा होगी ।

[**श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए**
Shri Shayam Lal Saraf in the Chair]

भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने कुछ सकेत दिया था कि वह मद्य निषेध के प्रश्न पर भी लोकनिर्देश लेगे अतः हो सकता है कि बाद में मद्यनिषेध के प्रश्न पर भी लोकनिर्देश लिया जाये । यह एक अच्छी परम्परा है ।

इस विधेयक में गोआ के लोगों की राय जानने के लिये एक कार्य प्रणाली निश्चित की गई है । सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात कि है कि हम यह राय सम्बन्धी मतदान अथवा लोक-निर्देश इस प्रकार से आयोजित करें जो कि न केवल पक्षपातरहित तथा स्वतंत्र हो, बल्कि चुनाव की भांति लोगों को भी यह विश्वास हो कि यह राय सम्बन्धी मतदान पक्षपातरहित तथा स्वतंत्र हुए हैं।

इसी कारण से मैंने अपने संशोधन पेश किये हैं । साधारण चुनाव तथा लोक निर्देश में मूलभूत अन्तर है । हमारे संविधान के अन्तर्गत लोक निर्देश की व्यवस्था नहीं है, परन्तु मैंने कम से कम छः ऐसे देशों के संविधानों का अध्ययन किया है जिन में लोकनिर्देश की व्यवस्था की गई है तथा लगभग उन सब देशों में लोकनिर्देश के परिणामों को जानने की प्रणाली चुनाव के परिणामों को जानने की प्रणाली से भिन्न है । अतः मैं इस मामले का विस्तार पूर्वक उल्लेख किये बिना यह कहना चाहता हूं कि लोकनिर्देश मतदान और चुनाव को समान नहीं समझना चाहिये ।

खण्ड 6 में मुख्य चुनाव आयुक्त को यह शक्ति दी गई है कि वह गोवा के लिये एक राय सम्बन्धी मतदान आयुक्त तथा दमन और दीव के लिये एक अन्य राय संबंधी मतदान आयुक्त नियुक्त अथवा नाम निर्देश करेगा और ये आयुक्त सरकारी कर्मचारी होंगे, परन्तु यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी का अर्थ केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है । अतः मैं चाहता हूं कि यह स्पष्ट किया जाये कि सरकारी कर्मचारी का अभिप्राय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी से है ।

दूसरे वे अधिकारी जो गोवा दमन और दीव में मतदान का संचालन करेंगे ऐसे नहीं होने चाहियें जिनका जन्म स्थान क्रमशः महाराष्ट्र या गुजरात में हुआ हो, क्योंकि गोआ में मतदाता

के सम्मुख यह विकल्प है कि वे गोआ का महाराष्ट्र में विलय करना चाहते हैं अथवा उसकी वर्तमान स्थिति को कायम रखना चाहते हैं और दीव तथा दमन में मतदाताओं के समक्ष यह विकल्प है कि वे दीव तथा दमन का गुजरात में विलय करना चाहते हैं अथवा वर्तमान स्थिति को कायम रखना चाहते हैं और यदि मतदान संचालक ऐसे व्यक्ति नियुक्त किये गये जिनका कि जन्म क्रमशः महाराष्ट्र तथा गुजरात में हुआ है तो चुनावों की निशपक्षता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी।

मेरा तीसरा संशोधन संख्या भी यही है कि पृष्ठ 3 पर 24 वीं तथा 25 वीं पंक्तियों में सरकार के स्थान पर केन्द्रीय सरकार रखा जाये।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परमणी) : यह ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य जनमत संग्रह अथवा लोक निर्देशक मतदान से राय सम्बन्धी मतदान को उलझा रहे हैं। राय सम्बन्धी मतदान, जैसी की विधेयक में अपेक्षा की गई है, एक प्रकार से चुनाव है। राय सम्बन्धी मतदान एक प्रकार का निर्वाचन ही है, हालांकि उससे कुछ व्यक्तियों का निर्वाचन नहीं किया जाये, बल्कि इस से लोगों की राय का पता लगाया जायेगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत उन सभी अपराधों को अपराध घोषित किया गया है, जिन्हें सामान्य निर्वाचन विधि के अन्तर्गत अपराध समझा जाता है। जहां तक वर्तमान विधेयक की योजना का सम्बन्ध है, जनमत संग्रह, लोक निर्देशक मतदान अथवा राय सम्बन्धी मतदान में कोई अन्तर नहीं है। खंड 6 के संशोधन की जो मांग की गई है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमें एक प्रदेश के अधिकारी तथा दूसरे प्रदेश के अधिकारी में अन्तर नहीं करना चाहिये। हमें यह धारणा नहीं बनानी चाहिये कि सब अधिकारी अपने प्रदेश के हितों का ज्यादा ख्याल रखते हैं और वे प्रदेशिक राजनीति का अंग हैं। सारे देश में रहने वाले गोआनियों को राय संबंधि मतदान में सम्मिलित करना असंगत होगा। जिस व्यक्ति के बाप दादा गोआ में पैदा हुए थे तथा जो गोआ में नहीं रहता उसका मत जानना अनावश्यक है। मैं एक राजपूत हूं तथा क्या यह उचित होगा कि केवल इसी बात को ध्यान में रख कर कि क्योंकि मैं राजपूत हूं, इस सम्बन्ध में मेरी राय ली जाये कि राजस्थान का मुख्य मंत्री कौन होना चाहिये अथवा राजस्थान की सरकार कैसी होनी चाहिये। मैं समझता हूं यह अनावश्यक है। अतः इन संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

श्री बड़े : महोदय मैं, श्री कामत तथा श्री डांडेकर के संशोधनों का विरोध करता हूं क्योंकि उनसे यह जाहिर होता है जैसा कि हमें अपने अधिकारियों में विश्वास नहीं है। उन्होंने संविधान में निष्ठा की शपथ ली है। अतः मैं नहीं समझता कि महाराष्ट्र वाले अथवा गूजराती में कोई अन्तर है अतः मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। साथ ही श्री कामत ने कहा है कि श्री मुरारजी देसाई शराब बन्दी के प्रश्न में जनमत संग्रह करवाने जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गोहत्या बन्दी पर जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाया जाता ? यदि गोहत्या बन्दी पर जनमत संग्रह करवाया जाये, तो गोहत्या बन्द हो जायेगी।

सभापति महोदय : इन खण्डों पर चर्चा कल होगी। 6 बजे हमने दूसरा कार्य अर्थात ध्यान दिलाने वाली सूचना को लेना है तथा उसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे और फिर आधे घण्टे की चर्चा होगी। अतः इस विधेयक पर आगे चर्चा कल तक के लिये स्थगित की जाती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना जारी

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT IMPORTANCE CONTD.

केरल में सरकारी सेवा में इंजीनियरों की प्रस्तावित हड़ताल

श्री अ० व० राघवन (बड़ागरा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:—

केरल में सरकारी सेवा में सभी इंजीनियरों की 5 दिसम्बर, 1966 को प्रस्तावित हड़ताल ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पू० शे० नास्कर) : राज्य सरकार से प्राप्त सूचनाओं से पता लगता है कि केरल की इन्जीनियरिंग सर्विस एसोसिएशन की संयुक्त कार्यवाही परिषद ने राज्यपाल को वेतन क्रमों तथा भत्ते, इन्जीनियरों के दर्जे और गोपनीय प्रतिवेदनों के रिकार्ड सम्बन्धी प्रणाली में पुनरीक्षिण के बारे में एक ज्ञापन दिया है। केरल के राज्यपाल ने ज्ञापन सम्बन्धी मामलों पर बातचीत करने के लिसे संयुक्त कार्यवाही परिषद से 5 दिसम्बर, 1966 को भेंट करने के लिए सहमत हो गये हैं। यह भी पता चला है कि यदि परिषद की राज्यपाल से यह भेंट संतोषजनक सिद्ध नहीं होती तो वह सीधी कार्यवाही करेगी। इससे केरल के राज्यपाल ने यह महसूस किया कि परिषद की इस धमकी को देखते हुए उनसे बातचीत का कोई लाभदायक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। इस लिसे राज्यपाल ने भेंट रद्द कर दी है।

समाचार पत्रों में छपे समाचारों से यह प्रतीत होता है कि संयुक्त कार्यवाही परिषद् अनुमति के बिना सामूहिक रूप से लोगों के काम पर न आने की योजना बना रही है जिसे गलती से सामूहिक छुट्टी कहा गया है और भविष्य की किसी तिथि पर इन्जीनियरों को सामूहिक रूप से अपने त्यागपत्र देने के लिए भी निदेश देने की योजना की जा रही है।

सरकारी कर्मचारी अपनी शिकायतों को दूर करने तथा सेवा की शर्तों को अच्छी बनाने के लिए कानूनी तरीके से अभ्यावेदन दे सकते हैं। सरकार निःसन्देह अपने कर्मचारियों की उचित मांगों पर सहानुभुति पूर्वक विचार करने के लिये तैयार होगी और उनके प्रतिनिधियों से बातचीत करने को भी तैयार है। फिर भी धमकी को देखते हुए कोई लाभदायक बातचीत नहीं की जा सकती। सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत हड़ताल की कार्यवाही अनुशासनहीनता के समान है और यदि ऐसा किया जाता है तो सरकार दृढ़ता से इससे निपटेगी और विशेषकर राजपत्रित अधिकारियों के साथ जोकि निम्न श्रेणियों के कर्मचारियों से बहुत अच्छी स्थिति में हैं।

केरल सरकार स्थिति पर सावधानी से निगाह रखे हुए हैं और यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही की जायेगी।

श्री अ० व० राघवन : क्या यह सच है कि केरल इन्जीनियरों का दर्जा घटा दिया गया है और उनके उपलब्धियों में कमी कर दी गई है जबकि कार्यपालिका के कर्मचारियों का दर्जा बढ़ा दिया गया है और यदि हाँ तो इस विभेद के क्या कारण है ?

श्री पू० शे० नास्कर : मैं नहीं जानता कि कार्यालय के कर्मचारियों की तुलना में वे निम्न

हैं। केरल राज्य में वेतन आयोग नियुक्त किया गया था और जनवरी 1966 से उसने जो सिफारिश की है उससे उनके वेतन क्रमों का पुनरीक्षिण कर दिया गया है और वह पहले से अच्छे हैं।

श्री प० कुन्हन (पालघाट) : क्या केरल इन्जीनियरों की एसोसियशन ने सरकार को कोई ज्ञापण दिया है और सरकार ने उस ज्ञापण पर क्या कार्यवाही की है।

श्री पू० शे० नास्कर : 8 सितम्बर को एसोसियशन ने एक ज्ञापण दिया था और 5 दिसम्बर को भेंट का समय नियत किया गया। परन्तु उनकी धमकी को देखते हुए यह भेंट रद्द करदी गई क्योंकि इससे कोई लाभदायक प्रमाण प्राप्त होने वाले नहीं थे।

श्री उमानाथ (पुद्दुकोटै) : जिलास्तर पर कार्यकारी इन्जीनियरों के गोपनीय प्रतिवेदन कलक्टर लिखता है जबकि सचिव सुपरिटैंडिंग इन्जीनियर और मुख्य इन्जीनियर के गोपनीय प्रतिवेदन लिखता है। मैं जानना चाहता हूं कि यह अधीनस्थ स्थिति किस प्रकार बनी और क्या सरकार इन्जीनियरों की इस शिकायत को दूर करने पर विचार कर रहीं है।

श्री पू० शे० नास्कर : सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार थी परन्तु जब उन्होंने सीधी कार्यवाही की धमकी दी तो राज्यपाल ने इस भेंट को रद्द कर दिया। यदि हड़ताल की धमकी वापस ले ली जाती है तो मुझे विश्वास है कि राज्यपाल उनसे मिलेगा और उनकी शिकायतों को सुनेगा।

श्री इम्बीचीबावा (पोन्नाणि) : क्या सरकार ने इन्जीनियरों द्वारा ज्ञापन में उठाये गये प्रश्नों पर विचार किया है, यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है। क्या राज्यपाल की भेंट को रद्द करना उचित है? क्या सरकार ने इस धमकी के बावजूद मन्त्री सम्बन्ध बनाने के लिये राज्यपाल को उनकी मांगो पर विचार करने के लिये कहा है।*

श्री० पू० शे० नास्कर : मैं मांगों के गुण अवगुण में नहीं जाना चाहता। राज्यपाल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों से मिलने के लिये तैयार थ। परन्तु जब उन्होंने सीधी कार्यवाही की धमकी दी तो राज्यपाल ने भेंट रद्द कर दी। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह एसोसिएशन को धमकी न देने राज्यपाल से मिलने आदि का परामर्श दे।

सभापति महोदय : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यपाल को उनकी शिकायतों पर विचार करने का कोई निर्देश दिया है अथवा दिया जा रहा है।

श्री अ० व० राघवन : क्या सीधी कार्यवाही की धमकी के बावजूद भी सरकार इन्जीनियरों की विधिवत मांगों पर विचार करने तथा उनको स्वीकार करने को तैयार है।

सभापति महोदय : माननीय उप-मंत्री ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि इन्जीनियरों की मागों पर विचार करना राज्यपाल के क्षेत्राधिकार में है।

श्री उमानाथ : उन्होंने एक तार भेजा है जिसमें कहा है कि चूंकि राज्यपाल ने भेंट करने मे इन्कार कर दिया है इसलिये उन्होंने हड़ताल की धमकी दी है।

गृह-कार्य मंत्री, (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : तथ्यों के बारे में कुछ भ्रम है। राज्यपाल ने भेंट का समय सूचित कर दिया था परन्तु उसी समय कार्य समिति ने कहा कि हम राज्यपाल से

*मूल मलयालम के अंग्रेजी अनुवाद से अनूदित्त

*English translation of speech delivered in Malayalam

अवश्य मिलेंगे परन्तु यदि परिणाम अच्छे नहीं निकलते तो सीधी कार्यवाही करेंगे। यह एक असाधारण सी बात थी।

Shri Bagri (Hissar): Even when the Engineers have given notice of Strike, there is no harm in conducting negotiations with them.

सभापति महोदय : अब गृह कार्य मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री ऋषि राज ब्रह्मचारी की मृत्यु के बारे में वक्तव्य

DEATH OF SHRI RISHI RAJ BRAHMCHARI

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्री ऋषि स्वरूप ब्रह्मचारी ने, जिनकी आयु 74 वर्ष थी 22 और 23 नवम्बर, 1966 के बीच की रात को अखिल भारतीय धर्म संघ, दिल्ली के कार्यालय में व्रत रखा था। ऐसा कहा जाता है कि वह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले थे।

कल प्रातः चार बजे के लगभग उनको मरे हुए पाया गया था। जिला अधिकारियों ने उनके मरणोत्तर शव परीक्षा का सुझाव दिया था परन्तु धर्म संघ के सदस्यों के विरोध के कारण ऐसा नहीं किया गया।

धर्म संघ के सदस्यों की इच्छानुसार श्री ऋषि स्वरूप ब्रह्मचारी के शव को ट्रक द्वारा दाह संस्कार के लिये गढ़मुक्तेश्वर ले जाया गया। ट्रक धर्म संघ के कार्यालय से 3·15 बजे सायं को चला था। दाह संस्कार आज प्रातः 10·30 बजे हुआ है। अन्तिम संस्कार मृत व्यक्ति के पोते द्वारा अन्य सम्बन्धियों की उपस्थिति में सम्पन्न हुए हैं।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The people who were going along with the dead body were pushed out of the truck at Shahadra crossing by the police and that the people took the dead body in its own possession. The same Deputy Commissioner also gave wrong statement to the Home Ministry regarding the arrest of Jagad Guru Shankracharya. Keeping in view the seriousness of the matter I would like to know whether Government have issued any such directions to the police not to take such actions?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : जो तथ्य मुझे बताये गये हैं वे यह है कि वे लोग शव के साथ जाना नहीं चाहते थे और कि उन्होंने ट्रक की विन्डस्क्रीन को भी हानि पहुंचाई। कुछ अपराध दर्ज किये हैं और उनकी जांच की जा रही है।

Shri Bade (Khargon): I would like to know why the people were not allowed to go with the dead body and also what was the need of two thousand police men? The people were driven out of the truck forcefully. They also got injuries.

Shri Y. B. Chavan: My information is absolutely different than that of the hon. Member. There is no truth in it.

Shri Prakash Vir Shastri: At the time of Guru Shankracharyaji arrest, an ex. M. P. Shri Nand Lal Shastri was also present there. This gentleman has sent a written statement to the speaker. This cannot be taken as unbelievable.

Shri Y. B. Chavan: I do not intend to say that it is unbelievable. I have got the report of the responsible officers who were present there. Unless these reports are proved otherwise I have to believe them.

Mr. Chairman : If the hon. Member has got any information, he can pass it over to the hon. Minister. He will hold an enquiry into it.

Shri Ram Sewak Yadav (Barabanki) : I would like to know why the police entered into the office of the Dharm Sangh when said Swami died after giving up hungerstrike. Why the dead body was not handed over to his grandson ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम स्वामी जी के सम्बन्धियों से संपर्क बनाने का यत्न कर रहे थे । और वह कल सायंकाल को ही बन सका । उन्होंने संदेशा भेजा था कि शव को रात्रि में जलाना ठीक नहीं इसलिये पुलिस को आज प्रातः तक प्रतीक्षा करना पड़ी ।

Dr. Ram Mnohar Lohia (Farrukhabad) : When Swamiji died while on hungerstrike, then what was the need to take the dead body by the police. The hon. Minister is not replying to this question.

Second thing is this that in Hindu religion there is considered to be no relation of a Swami.

Mr. Chairman : There is no point of order in it.

Shri Bagri (Hissar) : I would like to know why police interfered in this matter and what action Government propose to take to check such like of interference in future ?

I would also like to know arrangement of the police when swamiji was on fast.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण मामले पर भूखहड़ताल कर रहा हो और पुलिस को सूचना मिले कि उक्त व्यक्ति मर गया है तो पुलिस को वहां पर जाना पड़ता है ताकि कोई गड़बड़ी न हो ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The hon. Minister has given a wrong Statement that the people went away leaving the dead body. This has not been permitted in any religion. Actually those people were forced to go away. I would like to know whether the hon. Minister will like to have another enquiry so that he may know the facts.

सभापति महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष महोदय ने गृह-कार्य मंत्री को एक अथवा तीनों व्यक्तियों के बारे में वक्तव्य देने को कहा था :

श्री यशवंतराव चव्हाण : केवल एक के बारे में ।

श्री बड़े : मैं शंकराचार्य जी की दशा के बारे में क्योंकि उनको थूक के साथ खून आ रहा है और स्वामी जी के शव को ले जाये जाने के बारे में पूछा था । दोनों बातों पर मैंने ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव दिये थे । उनकी अनुमति नहीं दी गई थी । मैंने इस पर विरोध किया तो अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि गृह-कार्य मंत्री श्री शंकराचार्य तथा दिल्ली की घटना दोनों पर वक्तव्य देंगे । अध्यक्ष महोदय ने वचन दिया था कि सायं 6 बजे वक्तव्य दिया जायेगा ।

Shri S. M. Banarjee (Kanpur) : I would like to know whether it is the policy of the Government that they will not give the dead body of the person who may have died due to police firing, hungerstrike or due to starvation ? Whether instructions to this effect has been issued ?

Mr. Chairman : The hon. Minister has stated that keeping in view the law and order situation they have to take this precaution.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like the reasons why Government took possession of the dead body ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

Shri Yashpal Singh : The Hon. Minister has stated that instructions have been given to the police not to misbehave with the religious people but they themselves are misbehaving with them. Government have not created necessary atmosphere where Sadhus could live in peace.

श्री यशवन्तराव चव्हाण :मुझे कोई उत्तर नहीं देना है ।

Mr. Chairman : I think three or four opportunities have been provided to members of all the parties here to ask the questions. Sufficient time has already been taken. I will now request Dr. Ram Manohar Lohia to proceed with his Half-an Hour Discussion.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इससे पूर्व कि डा० राम मनोहर लोहिया अपना भाषण दे मेरा निवेदन है कि इस आधे घन्टे की चर्चा के पश्चात् सभा बैठे तथा इस विधेयक को समाप्त कर दिया जाये ।

Mr. Chairman : I am putting it before the House.

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

आधे घंटे की चर्चा

HALF-AN-HOUR DISSCUSSION

मैसर्स अमीचन्द प्यारेलाल द्वारा बर्मा से लाये गये चावल की कम सप्लाई

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : It has been found that Ajit Pal Shipping Lines, a firm of Messers Amin Chand Pyare Lal has brought hundred of tons less rice from Burma to Cochin during the years 1962--63. Even in 1961 a ship name "Shivshiva' brought 104 tons of less rice to Cochin part. This ship also belongs to Jit Pal Shipping Company. Similarly in 1962 various ships of the said firm brought less rice to the Cochin port which amounted to the loss of about 70—80 thousand of rupees. In 1963 also ships named 'Ashvin' and Anjil' brought less rice which again amounted to the loss of thousands of rupees. During all this period Shri S. K. Patel was the Minister incharge of this ministry. In 1964 one ship named Rajiv' brought less rice to the tune of 983 tons- In this way Government has been cheated to the tune of lakhs of rupees. So I would say that ships were not loaded to the capacity. On the 7th March, 1962 the owners of the Company wrote a letter to the Captain of the ships asking them to keep empty bags on the ships to avoid the suspicion.

According to the rules the ships are held responsible for the bags in which cargo is brought. It is the responsibility of the Government to see the conditions of the bags. Once the Company has fraudulently increased the number of the racks and given the correct account, responsibility of the firm is then over. The reply of the Government given on the 8th November, 1966 to the question regarding document pertaining to the supply of less rice carried by the Company is evasive.

** कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** NOT RECORDED

Both Sarvashri S. K. Patel and Swaran Singh, former minister of the Food are involved in the cheating which amounts to lakhs of rupees by the Company. It is rather more surprising that neither the audit nor the Public Accounts Committee have been able to detect this fraud.

I would like to know and House should also be made aware of the action taken by Government in this regard. Government should not remain silent on this issue and if it kept silent then history will paint it in the black colour;

Shri Kishan Pattnayak (Samblepur): I want to know whether Government considered the possibility of making use of the provisions of the Indian Penal Code while taking action in the matter ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): Government should State whether they made some efforts to punish those responsible for defrauding the Government of lakhs of rupees under the relevent provisions of the prevention of corruption Act ?

Shri Bagri (Hissar): This is a very big Scandal, I want to know whether some Judicial inquiry be held into the charges leveled against the Ministers, so openly by Dr. Ram Manohar Lohia.

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियम 353 के अन्तर्गत मैं यह औचित्य प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिस प्रकार डा० लोहिया आरोप लगा रहे हैं वैसे नहीं लगाये जा सकते। वह किसी बात के उल्लेख में कुछ कहते तो और बात थी, परन्तु वह तो नाम लेकर आरोप लगाने लग गये, यह बात आपत्तिजनक है।

श्री उमानाथ (पुछकोटे) : इसी नियम के अन्तर्गत जब अध्यक्ष महोदय ने निर्णय दिया था कि यदि माननीय सदस्य इस बात के लिये सन्तुष्ट हो जायें कि जो आरोप वह लगा रहे हैं वे ठीक हैं तो ऐसे आरोप लगा सकते हैं। अब माननीय उपमन्त्री के पास कोई नैतिक आधार नहीं है जिस पर कि वह इस बार नियम का उल्लेख करें।**

सभापति महोदय : यह शब्द रिकार्ड में नहीं जायेंगे।

Shri Madhu Limaya (Monghyr): I feel Mr. Deputy Minister cannot read the rule correctly. Rule says that no allegation against any person of a defamatory or incrimatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given Previous intimation to the speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation in to the matter for the purpose of a reply.

In this connection what I want is that it may be stated what were the reasons for with drawing the black-listing order against the company which have such a bad record.

सभापति महोदय : अब तो हमें कार्यवाही करनी चाहिए। इस मौके पर औचित्य प्रश्न का कोई औचित्य नहीं। आधे घंटे की चर्चा अध्यक्ष के आदेश से निर्धारित की गई थी। जब तक मंत्री महोदय कुछ उत्तर नहीं देते तब तक जो कुछ डा० लोहिया ने कहा है, उसे कार्यवाही से निकाला नहीं जा सकता।

Shri Ram Sewak Yadav : Dr. Lohia has said that comany had to suffer some loss, I want to know the amount of money that has been charged from the Company concerned as damages ? Whether something has been received, if not why not.

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार निकल गये।

**Expunged as ordered by the Chair

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :

मेरा कहना है कि जो कुछ डा० लोहिया ने कहा है उसके अनुसार एक नहीं तीन मन्त्री आते हैं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्रियों के विरुद्ध आरोपों को केन्द्रीय जांच कार्यालय के पास भेजा जायेगा अथवा जांच के लिये उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक आयोग को भेजा जायेगा ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोबिन्द मेनन) : डा० लोहिया ने बहुत व्यापक और आपत्तिजनक आरोप लगाये हैं। पता नहीं यह जानबूझ कर लगाये हैं अथवा अचानक लग गये हैं। मेरा निवेदन यह है कि जिस जहाज में चावल बर्मा से कोचीन ले जाये जा रहे थे। उसमें बर्मा के खाद्य सहकारी (अटैची) ने उन निदेशों का पता जो कि मालिकों ने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को दिये थे। वे यह थे कि वे जहाज में कुछ खाली बोरिया ले जाय ताकि अगर ले जा रहे चावलों में कोई कमी हो तो उसे पूरा किया जा सके। स्पष्ट है कि इस पत्र द्वारा धोखा दिये जाने का प्रयास किया जा रहा था।****

सभापति महोदय :—यह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

I will impress upon the honourable members that they hear the Minister patiently. For only after hearing him, we shall be able to decide anything.

श्री गोबिन्द मेनन :—मेरा कहना है कि किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़ी। जैसे ही हमें सूचना मिली सभी पत्तनों पर मंत्रालय के प्रतिनिधियों को सूचना दे दी गई। डा० लोहिया का कहना है कि वह पत्र ठीक ही था। यह ठीक है कि पत्र द्वारा धोखा देने का प्रयास किया गया था परन्तु धोखा दिया नहीं गया। इस जहाज में चावल की कमी नहीं हुई जिसके बारे में पत्र में उल्लेख किया गया था। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जहाज का नाम रीता है।

कम्पनी का नाम काली सूची में क्यों नहीं रखा गया, इसके बारे में मेरा इतना ही निवेदन है कि जैसे ही खाद्य मन्त्री के नोटिस में बात आई कम्पनी का नाम काली सूची में रख दिया गया। यह बात भी गलत है कि कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। बर्मा में हमारे दूतावास से जो सूचना मिली वह भी उस चावल के सम्बन्ध में ही थी जो उस यात्रा में ले जाया जा रहा था। उसमें भी कोई जानकारी नहीं थी। हमने इस बारे में पूरी पूरी कार्यवाही की है कि कम्पनी खाद्य मन्त्रालय को कोई धोखा न दे सके डा० लोहिया ने जिन मामलों का उल्लेख किया है, वे 5, 6 वर्ष पुराने हैं।

जिस पत्र का उल्लेख किया गया है, उसमें शब्द कुछ भी हो, परन्तु उन्हें ऐसा करके कोई लाभ उठाने का अवसर नहीं दिया गया। तीन मन्त्रियों के विरुद्ध डा० लोहिया ने आरोप लगाये हैं जिस से इस मामले पर चर्चा आरम्भ हुई है। मेरा निवेदन यह है कि सारी बाते असंगत है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य बातों का उल्लेख किया गया। उनके बारे में मुझे नोटिस नहीं था अन्यथा उसके बारे में मैं भी उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता।

Mr Speaker : काफी कुछ कहा जा चुका है, मुझे खेद है कि मैं इस मामले पर और आगे चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता।

****कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

****Not Recorded.

गोआ, दमण और दीव अभिमत संग्रह विधेयक—जारी

GOA, DAMAN AND DIU(OPINION POLL) BILL—(CONTD)

श्री विद्याचरण शुक्ल : श्री कामत ने अपने संशोधन संख्या 11, 12 और 13 प्रस्तुत किये है, उन संशोधनो के संबंध में कुछ बाते कहीं है। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राय सम्बन्धी मतदान मुख्य चुनाव आयुक्त के नियत्रण में होगा। गोआ प्रशासन के किसी व्यक्ति को यह जिम्मेदारी नहीं सौपी गयी।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 11, 12, 13 और 18 मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 11, 12, 13, और 18 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment No. 11, 12, 13, and 18 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6 was added to the Bill.

सभापति महोदय : खंड 7 के संशोधन संख्या 14 और 19 प्रस्तुत नहीं किये जा रहे हैं प्रश्न यह है :—

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause was added to the Bill.

सभापति महोदय : खंड 8 से 19 तक सभा के समक्ष है इस खंड में कोई संशोधन नहीं है। **प्रश्न यह है : कि खंड 8 से 19 तक विधेयक का अंग बने**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 से 19 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 8 to 19 was added to the Bill

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20 was added to the Bill

खण्ड 21 से 31 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 21 to 31 were added to the Bill

खंड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 32 was added to the Bill

खण्ड 33 और 34 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 33 and 34 were added to the Bill

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1 the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल :—मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाय ।"

श्री बड़े (खारगांव) : क्या सरकार यह गोआ वाला सिद्धान्त अन्य बातों का निर्णय करने के लिए भी प्रयोग में लायेगी । क्या गौ हत्या के बारे में भी ऐसे ही निश्चय किया जायेगा । यदि यह सिद्धान्त गोआ पर लागू की जाती है तो उसे गौ हत्या के बारे में भी लागू किया जाना चाहिये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :—आज जो भी वातावरण है, उसे देखते हुए मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । यह तथ्य है कि गोआ महाराष्ट्र को ही जाना चाहिए । मेरा मत यह है कि ऐसा न करके गोआ वालों के साथ भारी अन्याय किया गया है ।

श्री शिकरें (मरमागोआ) :—मैं प्रथम बार इस विधेयक के लिये सरकार को बधाई देता हूं ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I want to ask the Government whether they are making some special effort to secure the release of Shri Ranade who is in the Portuguese jail these days.

Shri J. P. Jyotshi (Sagaur): This Bill is going to solve very important problem of the country. It is good that the problem is going to be solved in a democratic manner. I hope that the opinion Poll will be conducted and completed in a peaceful manner.

श्री विद्याचरण शुक्ल : इस विधेयक के बारे में कोई निश्चित होने की बात नहीं है, जो आश्वासन इस दिशा में दिया गया था, उसे कार्यान्वित करने के लिये यह विधेयक हाजिर है ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है **"कि विधेयक को संशोधित रूप से पारित किया जाय ।"**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted

इसके पश्चात् लोक सभा 2 दिसम्बर, 1966/कार्तिक, 1888 (शक) शुक्रवार के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, December 2, 1966, Kartika 11. 1888 (Saka)